[2020] 7 एस. सी. आर 392

एम/एस। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर।

वी.

राजस्थान और ओआरएस का राज्य।

(2020 की सिविल अपील संख्या 2773)

17 जुलाई, 2020

[ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी, जे. जे.]

औद्योगिक विकासः

पूंजी निवेश सब्सिडी-राजस्थान निवेश के तहत

पदोन्नति योजना 2003-खंड 7 (i) (ए), 7 (i) (बी), 7 (vi) और 7 (vii),

10 और 13-अपीलार्थी-कंपनी द्वारा सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन के अनुकूलित पैकेज के लिए अनुरोध-प्री-बी. आई. डी. आई. (प्री बोर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन)

बैठक में अनुरोध पर विचार करने के बाद सिफारिश की गई कि सीमेंट पैकेज और 2003 की योजना कंपनी पर लागू होगी।

—

बी. आई. डी. आई. ने यह भी संकल्प लिया कि हाल ही में घोषित सीमेंट पैकेज और 2003 की योजना कंपनी पर लागू होगी।

द.

कंपनी ने 2003 की योजना के खंड 7 के उपखंड (vii) के संदर्भ में पंजीकरण की मांग करते हुए उद्योग आयुक्त को दिनांक 26.4.2006 का पत्र संबोधित किया-इससे पहले कि इस पर कोई निर्णय लिया जा सके

पत्र, राज्य सरकार ने खंड 7 से उपखंड (vi) और (vii) को अधिसूचना दिनांक 28.4.2006 द्वारा हटा दिया-कंपनी का

अधिसूचना दिनांक 28.4.2006 को वापस लेने की मांग करने वाला अभ्यावेदन

राज्य ने जवाब दिया कि कंपनी रियायतों के लिए पात्र होगी

2003 की योजना के अनुसार-कंपनी ने भी राज्य के साथ समझौता ज्ञापन किया-सीमेंट संयंत्र की स्थापना और उसमें उत्पादन शुरू करने के बाद, कंपनी ने इसके तहत पात्रता प्रमाण पत्र की मांग की।

2003 की योजना-राज्य स्तरीय जांच समिति (एस. एल. एस. सी.) ने कंपनी को 75 प्रतिशत की सीमा तक पूंजी निवेश सब्सिडी की अनुमति दी।

कंपनी

जमा किए गए वैट और पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए थे पात्रता प्रमाणपत्र के संदर्भ में 75 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठाया

राज्य के वित्त विभाग द्वारा संदेह व्यक्त किए जाने के बाद

कंपनी को 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी देने के संबंध में निर्णय लेते हुए एस. एल. एस. सी. ने मामले की फिर से जांच की और 2003 की योजना के खंड 13 के तहत उचित कार्रवाई का सुझाव दिया।

खंड 13 के तहत, सक्षम प्राधिकरण ने निर्णय लिया कि एस. एल. एस. सी. ने गलती से पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए थे और कंपनी थी

392 एम/एस। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य।

देय और जमा किए गए कर के 50 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी के हकदार नहीं-इसके अनुसार संशोधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए थे जिसमें 50 प्रतिशत तक सब्सिडी की अनुमति दी गई थी-कंपनी को 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ अतिरिक्त सब्सिडी की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था-आदेशों को चुनौती देने वाली रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था

उच्च न्यायालय-उच्चतम न्यायालय में अपील-आयोजितः छूट, छूट, रियायत या सब्सिडी के रूप में किसी भी प्रोत्साहन का विस्तार करना सरकार की नीति का विषय है-एक सरकार को एक विशेष नीति बनाने और उसमें बदलाव करने का अधिकार है-क्या सीमेंट उद्योग को 2003 के तहत 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जानी थी योजना एक नीतिगत विषय था-सीमेंट उद्योग को 75 प्रतिशत सब्सिडी देने की नीति को सरकार ने 2003 की योजना के खंड 7 के उपखंड (vi) और (vii) को हटाकर वापस ले लिया था क्योंकि 75 प्रतिशत सब्सिडी देने की नीति उस समय मौजूद नहीं थी जब कंपनी के आवेदन पर विचार किया गया था, कोई लाभ नहीं हो सकता था।

गैर-अस्तित्व नीति के तहत दावा किया गया है-कंपनी केवल 50 प्रतिशत की सीमा तक सब्सिडी की हकदार है और इसलिए अतिरिक्त 25 प्रतिशत वापस करने के लिए उत्तरदायी है-क्योंकि कंपनी को 75 प्रतिशत सब्सिडी का वितरण गलत निर्णय के आधार पर किया गया था और इससे संबंधित नहीं था - कंपनी की ओर से योजना की किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हुए, राजस्व 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त राशि पर ब्याज की मांग करने का हकदार नहीं है-हालाँकि, कंपनी ने 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ उठाकर अनुचित लाभ प्राप्त किया था और

12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ अतिरिक्त सब्सिडी वापस करें। कंपनी 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी है।

सिद्धांत/सिद्धांत

समकालीन प्रदर्शनी का सिद्धांत क़ानून या दस्तावेज़ की व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक है जो उस व्याख्या का उल्लेख करता है जो उसे सक्षम प्राधिकारी से प्रासंगिक समय पर प्राप्त हुई थी-आयोजित, वर्तमान मामले में लागू नहीं है।

वादा निपटान का सिद्धांत-लागू होना-वर्तमान मामले के तथ्यों में लागू नहीं होता है।

अधिकतमः

' समकालीन प्रदर्शनी इष्टतम और इष्टतम है।

का अर्थ है।

20] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 . कंपनी द्वारा पहले किया गया आवेदन

बी. आई. डी. आई. (बुनियादी ढांचा विकास और निवेश संस्थान बोर्ड) की दिनांकित बैठक में विचार किया गया था।

28.03.2006 और उसमें की गई सिफारिशों का प्रभाव केवल यह था कि हाल ही में घोषित सीमेंट पैकेज और आर. आई. पी. एस. 2003 (राजस्थान निवेश संवर्धन योजना, 2003) कंपनी पर लागू होना चाहिए। बी. आई. डी. आई. की दिनांकित बैठक में बी. आई. डी. आई. का निर्णय विशेष रूप से बी. आई. डी. आई. से पहले की सिफारिशों के अनुरूप था जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि 'हाल ही में घोषित सीमेंट पैकेज और आर. आई. पी. एस.-2003 कंपनी पर लागू होंगे'। बी. आई. डी. आई. की पूर्व-आई. डी. 3 अनुशंसाओं और बी. आई. डी. आई. के दिनांक आई. डी. 1 के निर्णय के दिए गए चरण में, आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के उपखंड (vi) और (vii) अस्तित्व में थे और वास्तव में, "हाल ही में घोषित सीमेंट पैकेज" वाक्यांश का उल्लेख उपखंड (vi) और (vii) के उक्त प्रावधानों के लिए किया गया था, जिन्हें आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 में आई. डी. 2 पर जोड़ा गया था। इसके अलावा, जब बी. आई. डी. आई. ने कहा कि 'हाल ही में

घोषित सीमेंट पैकेज कंपनी पर लागू होगा, इसे योजना, यानी आर. आई. पी. एस.-2003 की प्रयोज्यता की आवश्यकता के साथ जोड़ा गया था। बी. आई. डी. आई. के दिनांकित उपरोक्त निर्णय के बाद 01.04.2006 , कंपनी ने उद्योग आयुक्त को लिखे अपने पत्र में एक नए सीमेंट संयंत्र/कैप्टिव बिजली संयंत्र के लिए आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के उपखंड (vii) के संदर्भ में पंजीकरण की मांग की है। हालांकि, वहाँ महत्वपूर्ण था

बी. आई. डी. आई. दिनांक 01.04.2006 के उक्त निर्णय के बाद आर. आई. पी. एस.-2003 के संबंध में विकास/संशोधन और

खंड 7 के तत्कालीन मौजूदा उपखंड (vi) और (vii) की शर्तें 28.04.2006 तक। बाद में कंपनी द्वारा 21.02.2010 पर किया गया आवेदन और उसके बाद एस. एल. एस. सी. द्वारा लिया गया निर्णय 17.03.2011 बी. आई. डी. आई. के दिनांकित 01.04.2006 के निर्णय के साथ सह-संबंध नहीं रखते हैं और न ही कर सकते हैं, जिसका प्रारंभिक भाग, अर्थात 'हाल ही में घोषित सीमेंट पैकेज' उपरोक्त संशोधन के साथ निरर्थक हो गया है।

आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 और इसके उपखंडों (vi) और (vii) को हटाना। [पैरा 19.1] [458-बी-जी] एम/एस।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य।

1.2 यह कहना सही नहीं है कि बी. आई. डी. आई. ने 75 प्रतिशत दिया था।

आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के प्रावधान के तहत सब्सिडी। अभिलेख पर यह स्पष्ट है कि न तो प्री-बी. आई. डी. आई. में आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के लिए उक्त परंतुक के आह्वान और आवेदन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं था। कंपनी की ओर से किया गया आवेदन सटीक रूप से सामग्री के संदर्भ में था

ब्याज और मजदूरी/रोजगार सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी की सीमा के साथ ब्याज की प्रलेखित दर के 5 प्रतिशत तक। अपीलार्थी कंपनी के मामले में बी. आई. डी. आई. के समक्ष आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के उक्त परंतुक को लागू करने का कोई प्रस्ताव कभी नहीं आया था ताकि सब्सिडी की अधिकतम सीमा को 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके। निर्णय से पहले आगे बढ़ना बी. आई. डी. आई. दिनांक 01.04.2006, यह तथ्य कि कंपनी जानबूझकर आर. आई. पी. एस. 2003 के खंड 7 के उप-खंड (vii) के तहत लाभ की मांग कर रही थी, अपने दिनांकित 26.04.2006 आवेदन की सामग्री पर एक नंगे नज़र डालने पर रिकॉर्ड के चेहरे पर फिर से स्पष्ट है। आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के लिए परंतुक का आह्वान एस. एल. एस. सी. की दिनांकित बैठक में केवल एक सृजन प्रतीत होता है।

अपीलार्थी द्वारा किए गए आवेदन पर विचार करते समय

21.02.2010 . उल्लेखनीय है कि उक्त आवेदन में भी, अपीलार्थी ने जो दावा किया था, वह केवल आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के उपखंड (vi) के संदर्भ में रियायत थी। दावा सटीक रूप से यह था कि उक्त अधिसूचना दिनांक 02.12.2005 के संदर्भ में लाभों की अनुमति दी जा सकती है। एस. एल. एस. सी. ने उक्त आवेदन को लेते समय, अपने दम पर, अपीलार्थी की प्रार्थना को बी. आई. डी. आई. के निर्णय से जोड़ा और उस मामले के लिए, ऐसा पढ़ा मानो बी. आई. डी. आई. का निर्णय आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के उक्त परंतुक के संदर्भ में 75 प्रतिशत की सीमा तक सब्सिडी देने का था। ऐसा कोई तर्क या तर्क नहीं है कि एस. एल. एस. सी. ने अपनी दिनांकित 17.03.2011 की बैठक में बी. आई. डी. आई. दिनांक 01.04.2006 के निर्णय में आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (आई) (ए) और 7 (आई) (बी) के लिए उक्त परंतुक और फिर, इस तरह लागू किया गया

निर्णय लेने की प्रक्रिया में बी. आई. डी. आई. के आदेश को गलत तरीके से पढ़ना

ताकि 75 प्रतिशत अनुदान दिया जा सके। एस. एल. एस. सी., जिसके पास 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने की शक्ति थी, बी. आई. डी. आई. के दिनांक [2020] 7 एस. सी. आर. के निर्णय के अनुचित आवेदन द्वारा इस सीमा से आगे अनुदान नहीं दे सकता था।

01.04.2006 और वह भी अपने गलत निर्माण के साथ; इसमें ऐसी शक्तियों को पढ़कर, जिन्हें न तो बी. आई. डी. आई. द्वारा लागू किया गया था और न ही प्रयोग किया गया था। एस. एल. एस. सी. का दिनांक 17.03.2011 का निर्णय और दिनांक 24.11.2011 का इसका दोहराया गया निर्णय पूरी तरह से विकृत और गलत साबित हुआ।

केवल अस्वीकृत किया जा सकता है। [पैरा 20 और 20.2] [459-सी-एफ] [460-सी-जी]

1.3 आर. आई. पी. एस.-2003 के तहत सब्सिडी को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी, उसके खंड 6 के संदर्भ में केवल एस. एल. एस. सी. था। भले ही बी. आई. डी. आई. एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय होता, लेकिन इसके प्रस्तावों या निर्देशों को केवल किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू प्रावधानों के अनुरूप पढ़ा जा सकता था; और यह तथ्य कि सचिवों में से एक बी. आई. डी. आई. और एस. एल. एस. सी. दोनों का सदस्य रहा होता, बी. आई. डी. आई. के प्रस्ताव को एस. एल. एस. सी. की निर्णय लेने की प्रक्रिया में आयात नहीं किया जा सकता था।

योजना के तहत अनुमेय। [पैरा 19.2] [458-एच] [459-ए-सी]

1.4 किसी विशेष कंपनी या प्रतिष्ठान के लिए अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज का अनुदान आर. आई. पी. एस. के खंड 6-ए द्वारा नियंत्रित था।

2003 जिसके पास एक समिति के रूप में एक पूरी तरह से अलग निर्धारित प्राधिकरण था, जिसे व्यक्तिगत मामलों की जांच करनी थी और बी. आई. डी. आई. के माध्यम से अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज की मंजूरी के लिए सिफारिश कर सकता था। खंड 6-ए में निर्दिष्ट समिति द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं है और अपीलार्थी के संबंध में अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज के लिए कोई सिफारिश नहीं है। बी. आई. डी. आई. का दिनांकित 01.04.2006 का निर्णय भी अपीलार्थी कंपनी के लिए किसी भी अनुकूलित पैकेज का उल्लेख नहीं करता है और न ही उससे संबंधित है। [पैरा 21] [460-जी-एच] [461-ए-बी]

1.5 आर. आई. पी. एस.-2003 के अभिलेख और विभिन्न संशोधनों/संशोधनों के समग्र परिप्रेक्ष्य में, यह प्रतीत होता है कि हालांकि एक स्तर पर (यानी आई. डी. 1 पर), राज्य सरकार ने सीमेंट इकाइयों के लिए पूरी तरह से अलग व्यवहार की घोषणा करना उचित समझा।

उन्हें एक अलग पद्धति के साथ 75 प्रतिशत सब्सिडी देकर और इसलिए, आर. आई. पी. एस. 2003 के खंड 7 में उपखंड (vi) और (vii) जोड़ा गया, लेकिन इसने उस नीति को जारी नहीं रखा और 28.04.2006 पर उक्त उपखंड को हटा दिया। यह सामान्य बात है कि छूट, छूट, रियायत या सब्सिडी के रूप में किसी भी प्रोत्साहन का विस्तार सरकार की नीति और उस मामले के लिए राजकोषीय नीति का विषय है। आम तौर पर, नीति का ऐसा प्रारूपण एम/एस के भीतर रहता है।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य।

सरकार का अधिकार क्षेत्र; और सरकार को एक विशेष नीति बनाने और उसे बदलने का अधिकार है, जैसा कि उचित और उचित समझा जाता है। सीमेंट उद्योग को आर. आई. पी. एस.-2003 के तहत 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जानी थी या नहीं, यह निश्चित रूप से सरकार की नीति का विषय था और जब अपीलार्थी के आवेदन पर विचार करने के समय ऐसी नीति मौजूद नहीं थी, तो इसके तहत किसी भी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता था।

विद्यमान नीति। [पैरा 22] [461-बी-ई]

1.6 इस प्रकार, किसी भी कल्पना से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि बी. आई. डी. आई. द्वारा किसी भी स्तर पर एक सचेत निर्णय लिया गया था कि अपीलकर्ता कंपनी को सामान्य रूप से स्वीकार्य 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत सब्सिडी की अनुमति देकर किसी भी अंतर और लाभप्रद व्यवहार की अनुमति दी जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सही माना है कि एस. एल. एस. सी. का निर्णय दिनांकित 17.03.2011 है।

और इसका दोहराया गया दिनांक 24.11.2011 का निर्णय बहुत ही बुनियादी बातों पर गलत था जहां यह माना गया था कि जैसे कि बी. आई. डी. आई. ने पहले ही कंपनी को 75 प्रतिशत सब्सिडी स्वीकृत कर दी थी। उच्च न्यायालय ने भी स्वतंत्र रूप से आवश्यक विवरणों में पूरे मामले की जांच की है और जब उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अपीलकर्ता कंपनी केवल इस सीमा तक सब्सिडी की हकदार थी, तो इसमें कोई कमी नहीं है - 50 % देय और जमा किए गए कर का 75 प्रतिशत की सीमा तक नहीं। [पैरा 20.1 और 23] [460-बी] [461-ई-जी]

जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम राज्य

यू. पी. [1961] 3 एस. सी. आर. 185-निर्दिष्ट।

बेतुकेपन के स्तर तक पहुँचना। एस. एल. एस. सी. का दृष्टिकोण नहीं हो सकता है किसी भी दृष्टिकोण या किसी भी कोण से मामले के संभावित दृष्टिकोण के रूप में माना जाता है। उपरोक्त के अलावा, भले ही यह माना जाए कि

इस तर्क के लिए कि आर. आई. पी. एस.-2003 के लागू प्रावधानों या बी. आई. डी. आई. के निर्णय में कोई अस्पष्टता थी, ऐसी किसी भी अस्पष्टता का लाभ अपीलकर्ता कंपनी को नहीं दिया जा सकता था। इसका लाभ केवल इस साधारण कारण से राजस्व के पक्ष में जाता कि इन प्रावधानों के तहत -

सवाल यह है कि राज्य अपने राजस्व का एक हिस्सा देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में सहमत हो गया था। इस तरह के प्रावधान, चाहे वे क़ानून में हों या गैर-वैधानिक दस्तावेज़ में, अपनी प्रकृति से, विषय (2020) 7 एस. सी. आर. हैं।

जहाँ तक उनकी प्रयोज्यता का संबंध है, सख्त व्याख्या के लिए। [पैरा 24.1 और 24.2] [462-सी-एफ]

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम। दिलीप कुमार एंड कंपनी और अन्य। (2018) 9 एससीसी 1: [2018] 7 एससीआर

1191 - पीछा किया।

रामनाथ एंड कंपनी वी. आयकर आयुक्त 2020

(8) स्केल 585-· पर भरोसा किया गया।

3.1 कंटेम्पोरानिया एक्सपोज़िशियो का सिद्धांत 'कंटेम्पोरानिया एक्सपोज़िशन एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमो इन लेज' उक्ति में सन्निहित है जिसका अर्थ है कि किसी दस्तावेज़ को समझने का सबसे अच्छा तरीका इसे पढ़ना है जैसा कि इसे बनाए जाने पर पढ़ा जाता। संक्षेप में, समकालीन प्रदर्शनी के सिद्धांत को एक क़ानून या यहां तक कि दस्तावेज़ की व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में लागू किया जाता है, जो उस व्याख्या का उल्लेख करता है जो उसे संबंधित समय पर सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त हुई थी। यह सिद्धांत टकटकी लगाने के निर्णय के सिद्धांत से भी संबंधित है, जिसके तहत, लंबे समय तक चलने वाली एक व्याख्या को एक कानून माना जाता है और इसे इस तरह से लागू किया जाता है। समकालीन निर्माण के संबंध में कानून के निष्पादन के लिए आरोपित प्रशासनिक या कार्यकारी अधिकारियों द्वारा, अदालतें इसे काफी महत्व देने के पक्ष में झुकती हैं, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि किसी विशेष प्रशासनिक या निष्पादन प्राधिकरण की समझ हमेशा उचित होती है और इसे गलत होने पर भी लागू करना पड़ता है। सच है।

सिद्धांत इसके ठीक विपरीत हैः अर्थात्, यदि समकालीन प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई निर्माण स्पष्ट रूप से गलत या त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए। [पैरा 25,25.1 और 25.3] [464-बी-सी] [465-एफ] [466-ए-सी]

स्पेंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। सी. सी. ई. (2016) 1 एस. सी. सी. 780:

[2015] 11 एस. सी. आर. 487 लागू नहीं किया गया।

देशबंधु गुप्ता बनाम। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1049: [1979] 3 एससीआर

373 - संदर्भित किया गया।

न्यायमूर्ति जी. पी. द्वारा वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत

सिंह 14 वां संस्करण, पीपी। 375-376 - संदर्भित किया गया।

3.2 तथ्यों पर और वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, एम/एस पर समकालीन प्रदर्शनी के सिद्धांत का आह्वान।

लागू किया जाता है। यह जानना दूर की बात नहीं है कि यदि इस सिद्धांत को लागू किया जाता है, तो इसका परिणाम यह होगा कि निर्णय कितना भी गलत क्यों न हो। कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा, एक बार जब यह कुछ अधिकारियों या अधिकारियों की समझ से उत्पन्न हो जाता है, तो वह आने वाले सभी समय के लिए जांच से प्रतिरक्षा प्राप्त कर सकता है। समकालीन प्रदर्शनी के सिद्धांत का इरादा कभी ऐसा नहीं रहा है और न ही ऐसा कोई परिणाम हो सकता है

मुखरता से। [पैरा 25.4 और 25.5।] [466 - एफ-एच]

4.1 उच्च न्यायालय ने कहा कि सिद्धांत

किसी कानून के खिलाफ वादा रोक का आह्वान नहीं किया जा सकता है। आर. आई. पी. एस 2003 मान लीजिए कि यह एक गैर-वैधानिक योजना थी, लेकिन इस योजना के उद्देश्य की प्रकृति को देखते हुए इससे शायद ही कोई फर्क पड़ता है, जिसके द्वारा राज्य को अंततः लाभ का विस्तार करना था

बिक्री कर/वैट की राशि के इसके सेवन को कम करना और इस तरह का सेवन वास्तव में क़ानून द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अलावा, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि किसी भी स्तर पर एक सचेत निर्णय लिया गया था या

किसी भी स्तर पर कि अपीलार्थी को एस. एल. एस. सी. द्वारा कोई अंतर और लाभप्रद व्यवहार दिया जाना था और सामान्य रूप से स्वीकार्य 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत सब्सिडी की अनुमति दी जानी थी। बी. आई. डी. आई. ने अपीलार्थी को 75 प्रतिशत सब्सिडी देने के लिए एस. एल. एस. सी. को कभी कोई निर्देश जारी नहीं किया। इसने केवल यह निर्देश दिया कि "हाल ही में घोषित सीमेंट पैकेज और आर. आई. पी. एस.-2003 कंपनी पर लागू होंगे।

99

जाहिर है, अपीलार्थी के मामले को एस. एल. एस. सी. द्वारा केवल लागू प्रावधानों के अनुसार ही निपटाया जाना आवश्यक था।

आर. आई. पी. एस.-2003 में निहित। जिन प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता 75 प्रतिशत तक कर सब्सिडी का लाभ उठा सकता था, यानी खंड 7 के उक्त उपखंड (vi) और (vii) को कंपनी द्वारा दिनांकित आवेदन जमा करने के केवल दो दिन बाद 28.04.2006 पर हटा दिया गया था।

26.04.2006 इसके तहत लाभ उठाने के लिए। कंपनी द्वारा इस तरह के विलोपन को वापस लेने और उक्त हटाए गए उपखंडों के तहत लाभ की अनुमति देने के लिए बार-बार अनुरोध, दिनांक 26.05.2006 के अपने अभ्यावेदन के तहत, किसी भी सफलता के साथ नहीं मिला और बी. आई. पी. के माध्यम से सरकार की एकमात्र प्रतिक्रिया इस प्रभाव पर थी कि

' कंपनी आर. आई. पी. एस. में निहित रियायतों के लिए पात्र होगी।

2003 ' . यहां तक कि आई. डी. 1 दिनांकित समझौता ज्ञापन में भी, राज्य ने केवल आर. आई. पी. एस.-2003 के तहत अनुमेय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए काम किया था, जिसमें प्रचलित [2020] 7 एस. सी. आर. के अनुसार अतिरिक्त सहायता भी शामिल थी।

नीति। अब तक खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के प्रावधान के तहत 75 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए, अपीलार्थी को उस उद्देश्य के लिए एस. एल. एस. सी. को आवेदन करना आवश्यक था, जिसके बाद एस. एल. एस. सी.

उन्होंने इसे बी. आई. डी. आई. को भेजा है, लेकिन न तो अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई आवेदन किया गया था और न ही ऐसा कोई मामला बी. आई. डी. आई. के समक्ष तब तक रखा गया था जब तक कि यह अस्तित्व में नहीं रहा, अर्थात 07.06.2009। इस मामले के समग्र दृष्टिकोण से, यह खोजना मुश्किल है कि किसी भी स्तर पर, राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रतिनिधित्व किया गया था जिसके कारण कंपनी को अपनी स्थिति में बदलाव करना पड़ा। उपरोक्त के अलावा, जब एस. एल. एस. सी. के दिनांकित 17.03.2011 और 24.04.2011 के निर्णय अनधिकृत साबित होते हैं और लागू प्रावधानों के अनुरूप नहीं होते हैं। योजना के तहत, वचन पत्र के सिद्धांतों को उनके प्रवर्तन के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। [पैरा 26,26.1 और 26.2] [467-ए-एच]

डॉ. अशोक कुमार माहेश्वरी बनाम उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य

(1998) 2 एस. सी. सी. 502 [1998] 1 एस. सी. आर. 147-पर निर्भर।

4.2 अन्यथा भी, जब एस. एल. एस. सी. का निर्णय, या कोई

उस मामले के लिए किसी भी प्राधिकरण का निर्णय, योजना के खंड 13 के संदर्भ में सरकार द्वारा संशोधन के अधीन था, यह सुझाव नहीं दिया जा सकता है कि संशोधन की उक्त शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वचन निरसन के सिद्धांत सरकार की ऐसी पुनरीक्षण शक्ति के खिलाफ काम नहीं कर सकते हैं। [पैरा 26.3] [468-डी-ई]

5. के खंड 13 के अनुसार संशोधन की शक्ति का प्रयोग

वर्तमान मामले में योजना अप्राप्य बनी हुई है। एस. एल. एस. सी. का प्रारंभिक निर्णय पूरी तरह से गलत था और ऐसा नहीं हो सकता।

कहा जाता है कि यह मामले का एक संभावित दृष्टिकोण है। इसके साथ, उक्त निर्णय सीधे तौर पर राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल था जहां राज्य के खजाने को अपीलार्थी से प्राप्त या प्राप्य कर राशि का अतिरिक्त 25 प्रतिशत देना था। प्राधिकरण ने योजना के खंड 13 के तहत संशोधन की ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 1 का आदेश पारित करते हुए पूरी सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की है और पक्षों के व्यवहार और योजना के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक निष्कर्ष को दर्ज किया है। [पैरा 27.2] [470-ई-एफ] एम/एस।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य।

मालाबार औद्योगिक कंपनी लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त, केरल राज्य (2000) 2 एस. सी. सी. 718 [2000] 1 एस. सी. आर. 744-लागू नहीं है।

6.1 यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि सब्सिडी को पूर्वव्यापी प्रभाव से और पूरी तरह से लाभ उठाने के बाद रद्द या वापस नहीं लिया जा सकता है। योजना के खंड 13 के उपखंड (बी) में विशेष रूप से निम्नलिखित तिथि से पांच साल की अवधि का प्रावधान है -

योजना के तहत किन लाभों का लाभ उठाया जाता है। योजना के खंड 13 के उपखंड (बी) में विशेष रूप से उस तारीख से पांच साल की अवधि का प्रावधान है जिसके द्वारा योजना के तहत लाभ प्राप्त किए जाते हैं, वह अवधि जिसके भीतर राज्य सरकार द्वारा संशोधन की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। मान लीजिए, वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता कंपनी ने लाभ उठाए थे

फरवरी 2017 के महीने तक और योजना में निर्धारित पांच साल की अवधि के भीतर संशोधन का आदेश 12.03.2018 पर पारित किया गया था। [पैरा 28] [470-जी-एच] [471-ए-बी]

6.2 एस. एल. एस. सी. दिनांकित 17.03.2011 के निर्णय की शुद्धता पर बुनियादी सवाल वास्तव में द्वारा उठाए गए थे

सरकार का वित्त विभाग अपने दिनांकित 17.11.2011 पत्र द्वारा। उद्योग विभाग ने असामान्य अवधि के लिए वित्त विभाग के उक्त संचार और अनुस्मारकों का जवाब नहीं देने का फैसला किया और केवल फरवरी 2017 के महीने में जवाब भेजा। उस समय तक, अपीलार्थी ने व्यावहारिक रूप से

एस. एल. एस. सी. के प्रश्नगत निर्णय के तहत पूरा लाभ उठाया। इसके बाद, एस. एल. एस. सी. ने केवल 22.05.2017 पर मामले की फिर से जांच की और इसे लेने के लिए वित्त विभाग पर छोड़ दिया।

आर. आई. पी. एस.-2013 के खंड 13 के तहत कार्यवाही। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, यह सुझाव कि पहले से ही लाभ प्राप्त किया जा चुका है, वापस नहीं लिया जा सकता है, खोखला और आधारहीन साबित होता है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया गया था, उससे परे पात्रता, केवल एस. एल. एस. सी. के एक गलत और अनधिकृत निर्णय पर आधारित थी। किसी भी मामले में, आर. आई. पी. एस.-2003 सब्सिडी के रूप में रियायत का मामला है, जिससे लाभ प्राप्त होता है।

अपीलार्थी द्वारा सार्वजनिक खजाने की कीमत पर अनुमति नहीं दी जा सकती थी और इस योजना के लिए स्वयं राज्य सरकार में त्रुटिपूर्ण और त्रुटिपूर्ण को संशोधित करने की शक्तियां सुरक्षित रखी गई थीं।

[2020] 7 एस. सी. आर. की तारीख से पाँच साल की अवधि के भीतर प्रतिकूल आदेश।

लाभों का पूरी तरह से लाभ उठाते हुए, ऐसी शक्तियों का राज्य सरकार द्वारा उचित रूप से उपयोग किया गया है। [पैरा 29] [471-सी-- एफ]

बिड़ला जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम एम. पी. राज्य 119 एस. टी. सी. 14

(एस. सी.) प्रतिष्ठित।
आयुक्त, वाणिज्यिक कर, राजस्थान, जयपुर और अन्न। वी. राजस्थान कराधान न्यायाधिकरण और अन्य। 38 कर

अप-डेट 131-संदर्भित।

7.1 आर. आई. पी. एस.-2003 का खंड 10, योजना के तहत प्राप्त लाभों से जुड़े नियम और शर्तें प्रदान करता है,

यह परिकल्पना की गई कि किसी भी शर्त का 'उल्लंघन' पूंजी निवेश सब्सिडी/छूट राशि को उस तारीख से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कर या भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल करने के लिए उत्तरदायी बना देगा, जिस तारीख से पूंजी निवेश किया गया है।

सब्सिडी प्रदान की गई थी '। यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि अपीलार्थी ने किसी भी शर्त का उल्लंघन किया था

योजना के खंड 10 में बताया गया है कि सब्सिडी की अत्यधिक राशि (25 प्रतिशत) इस तरह के किसी भी उल्लंघन के कारण वसूल की जा रही थी। अपीलार्थी के 50 प्रतिशत सब्सिडी के अधिकार पर कोई सवाल नहीं उठाया गया है। अपीलार्थी को इस तरह की 75 प्रतिशत सब्सिडी का वितरण केवल गलत निर्णयों के आधार पर किया गया था।

और एस. एल. एस. सी. द्वारा जारी किए गए दिनांकित 29.04.2011 और 24.11.2011 पात्रता प्रमाण पत्र। यहां तक कि जब एस. एल. एस. सी. के उक्त निर्णय गलत और अमान्य पाए जाते हैं और अपीलकर्ता कंपनी पाई जाती है। केवल 50 प्रतिशत की सीमा तक सब्सिडी का हकदार, यह नहीं कहा जा सकता है कि अतिरिक्त 25 प्रतिशत अपीलार्थी की ओर से योजना की किसी भी शर्त के उल्लंघन के लिए संबंधित है और न ही अपीलार्थी को सब्सिडी की अत्यधिक राशि का लाभ उठाने के लिए कहा जा सकता है।

किसी भी गलत प्रस्तुति के लिए। मूल गलती एस. एल. एस. सी. की ओर से गलत निर्णय लेने और दिनांक 29.04.2011 और 24.11.2011 के अनधिकृत पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने में थी। प्रत्यर्थी राज्य ने अपने अधिकारियों की ओर से गलती का एहसास करने में असामान्य रूप से लंबा समय लिया और पूरे लाभ का लाभ उठाने के बाद ही सुधारात्मक उपाय किए क्योंकि वापस बुलाने की कार्यवाही केवल जुलाई 2017 के महीने में शुरू की गई थी, जिसके कारण एम/एस का विवादित आदेश आया था।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य।

12.03.2018 और फिर, पुनः संशोधित पात्रता प्रमाणपत्र केवल 02.04.2018 पर जारी किया गया था। [अनुच्छेद 33 और 33.1] [473-ई-एच] [474-ए-सी]

7.2 यहां तक कि जब योजना में दर पर ब्याज की परिकल्पना की गई थी

अपीलार्थियों द्वारा दाखिल किए गए प्रपत्र 2 में कहा गया है कि अत्यधिक लाभ प्राप्त करने या योजना के प्रावधानों का पालन न करने की स्थिति में प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ सब्सिडी की राशि का भुगतान किया जाएगा। दोनों पक्ष उक्त वचन के संदर्भ में आगे बढ़े थे। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया और इसे उनके बीच अनुबंध की बाध्यकारी अवधि के रूप में माना जाना आवश्यक है।

[पैरा 33.2] [474-सी-डी]

7.3 इसलिए, प्रत्यर्थी को हकदार नहीं ठहराया जा सकता है -

आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 10 में निर्धारित दर पर ब्याज की मांग करें। हालांकि, और साथ ही, जब अपीलकर्ता कंपनी ने 25 प्रतिशत का लाभ उठाकर मौद्रिक संदर्भ में अनुचित लाभ प्राप्त किया था अतिरिक्त सब्सिडी; और 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ किसी भी अत्यधिक लाभ को वापस करने का वचन दिया था, अपीलार्थी

कंपनी सहमत दर यानी 12 प्रतिशत प्रति वर्ष पर ब्याज के साथ अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी रहती है।

[पैरा 33.3] [474-ई-एफ]

इंडिया कार्बन लिमिटेड और अन्य। वी. असम राज्य (1997) 6

एस. सी. सी. 479 [1997] 3 पूरक। एस. सी. आर. 1; मारुति वायर

इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड वी. बिक्री कर अधिकारी (2001) 3 एससीसी

735 [2001] 2 एस. सी. आर. 829; जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम सी. टी. ओ

(1994) 4 एससीसी 276: [1994] 3 एस. सी. आर. 964-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2000] 1 एससीआर 744

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 13.11

38 टैक्स अप-तिथि 131

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15.6

[2001] 2 एससीआर 829

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15.7

[1994] 3 एससीआर 964

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15.7

[1961] 3 एससीआर 185

पै

रा 16.1

संदर्भित किया गया है

[2018] 7 एससीआर 1191

पीछा किया।

पैरा

24.2 [2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उस पर भरोसा करें

2020 (8) स्केल 585

पै

रा 24.2

[1979] 3 एससीआर 373

पै

रा 25.1

संदर्भित किया गया है

अप्रयोज्य रखा गया

[2015] 11 एससीआर 487

पै

रा 25.4

[1998] 1 एससीआर 147

उस पर भरोसा करें

पै

रा 26.2

[1997] 3 पूरक। एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पै

रा 33.4

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 2773

2020 से।

उच्च न्यायालय के 11.01.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 की डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9090 में जयपुर पीठ, जयपुर में राजस्थान के लिए न्यायपालिका।

एस. गणेश, वरिष्ठ अधिवक्ता। , यू. ए. राणा, एम. एल. पटोदी, हिमांशु मेहता

(एम/एस के लिए। गागराट एंड कंपनी), एड. अपीलार्थियों के लिए।

डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सत्येंद्र कुमार, सुश्री शैलजा नंदा

मिश्रा, सुश्री हर्ष विनॉय, इरशाद अहमद, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दिनेश माहेश्वरी, जे.

प्रारंभिक और संक्षिप्त बाह्य रेखा

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील दिनांकित निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है।

11.01.2019 2018 की डी. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 9090 में पारित किया गया, जिसके तहत राजस्थान के लिए उच्च न्यायालय, जयपुर की पीठ ने खारिज कर दिया राजस्थान निवेश संवर्धन योजना-2003 2 के खंड 13 के तहत संशोधन कार्यवाही में अपर मुख्य सचिव, वित्त, राजस्थान सरकार, जयपुर 1 द्वारा पारित संशोधन के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिका।

2.1 . अपीलार्थी सं. 1, मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (इकाई)

कोटपुतली सीमेंट वर्क्स), कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और सीमेंट और संबद्ध उत्पादों के निर्माण और विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि पहले, अपीलार्थी के नाम पर अपना व्यवसाय चला रहा था

मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड 3, आदित्य बिड़ला समूह की एक कंपनी,

1 'ए. सी. एस.' के लिए संक्षिप्त 2 इसके बाद 'आर. आई. पी. एस.-2003' या बस 'योजना' के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। 3 कंपनी का नाम बदलकर मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड डब्ल्यू. ई. एफ. 01.08.2010 कर दिया गया।

एम/एस। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

जो मुख्य फाइबर, सीमेंट, कपड़ा, स्पंज के निर्माण में लगा हुआ था

लोहा, एल्यूमीनियम आदि। कंपनी के मूल रूप से दो सीमेंट संयंत्र थे, एक चित्तौड़गढ़ जिले में और दूसरा जोधपुर जिले में स्थित था। राजस्थान राज्य। अपीलार्थी सं. 2 को वरिष्ठ जनरल कहा जाता है।

अपीलार्थी सं. 1 की उक्त कोटपुतली इकाई का प्रबंधक। वर्तमान मामले में जारी मामला अनिवार्य रूप से उस सीमा से संबंधित है जिस तक अपीलार्थी संख्या 1 कंपनी आर. आई. पी. एस.-2003 के तहत इसका लाभ उठाने की हकदार थी।

इसकी कोटपुतली इकाई के संबंध में पूंजी निवेश सब्सिडी। 5

2.2 . इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 राजस्थान राज्य है और प्रत्यर्थी संख्या 5 से संबंधित विभागों से संबंधित इसके अधिकारी हैं जबकि प्रत्यर्थी संख्या 6 राज्य स्तरीय जांच समिति है, जो विचाराधीन योजना के तहत सब्सिडी के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी थी। 6

2.3 . दिनांक 12.03.2018 के संशोधन के उपरोक्त आदेश द्वारा, ए. सी. एस. ने माना कि कंपनी की कोटपुतली इकाई पूंजी की हकदार थी। निवेश सब्सिडी केवल देय और जमा किए गए बिक्री कर/वैट के 50 प्रतिशत की सीमा तक और 75 प्रतिशत की सीमा तक नहीं, जैसा कि उसने निम्नलिखित के अनुसार प्राप्त किया हैः

राज्य स्तरीय जाँच समिति द्वारा गलती से जारी किए गए 29.04.2011 और 24.11.2011 दिनांकित पात्रता प्रमाण पत्र। एस. एल. एस. सी. को कंपनी की उक्त कोटपुतली इकाई को कुल कर के 50 प्रतिशत की सीमा तक सब्सिडी के लिए एक नया पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था। देय और जमा किए गए कर के 50 प्रतिशत से अधिक की सब्सिडी की राशि को 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया गया है।

वार्षिक।

3. संक्षेप में कहें तो अपीलार्थी का मामला यह है कि विचाराधीन सब्सिडी, देय और जमा किए गए कर के 75 प्रतिशत की सीमा तक, राजस्थान निवेश संवर्धन योजना-2003 के तहत केवल निम्नलिखित के संदर्भ में और उसके अनुसार प्राप्त की गई थीः (क) अवसंरचना विकास और निवेश संस्थान के उच्चाधिकार प्राप्त बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय

01.04.2006 ; (ख) के साथ किया गया समझौता ज्ञापन

4 इसके बाद इसे 'सब्सिडी' भी कहा जाता है। 5 चर्चा की निरंतरता के लिए, हम केवल अपीलार्थी संख्या 1 को 'अपीलार्थी' या 'कंपनी' के रूप में संदर्भित करेंगे। 6 चर्चा की निरंतरता के लिए, हम सामूहिक रूप से उत्तरदाताओं का उल्लेख करेंगे और संदर्भ में आवश्यक होने पर ही विशेष उत्तरदाता का उल्लेख करेंगे।

7 ' एस. एल. एस. सी. 'संक्षेप में।

8 " संक्षेप में बी. आई. डी. आई.। 9 " एमओयू "संक्षेप में।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

01.04.2006 अपीलार्थी के लिए कोई लाभ नहीं है क्योंकि उसमें निर्दिष्ट पैकेज को वापस ले लिया गया था और योजना में संबंधित प्रावधानों को 28.04.2006 पर हटा दिया गया था; और हटाए गए प्रावधानों के तहत लाभ केवल उनके हटाए जाने की तारीख, यानी 28.04.2006 तक ही दिए जा सकते थे। इस प्रकार, उत्तरदाताओं के अनुसार, कंपनी के साथ राज्य सरकार की समझ केवल सब्सिडी के संदर्भ में प्रोत्साहन का लाभ योजना के तहत अनुमत सीमा तक बढ़ाने के लिए थी, न कि उससे आगे। उत्तरदाता इस बात पर जोर देंगे कि उपरोक्त एस. एल. एस. सी. द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र गलती से जारी किए गए थे और मामला सरकारी खजाने से संबंधित होने के कारण, अपीलार्थी लागू प्रावधानों/शर्तों के विपरीत किसी भी राहत का दावा करने का हकदार नहीं है।

4. इस मामले के तथ्यात्मक पहलू ज्यादा विवादित नहीं हैं।

लेकिन, यहाँ ऊपर जो देखा गया है और हमारे सामने पक्षकारों की ओर से जो तर्क दिया गया है, उसके लिए इस मामले में शामिल प्रमुख प्रश्न, जिनमें बी. आई. डी. आई. के निर्णय के प्रभाव से संबंधित प्रश्न और पक्षों के बीच समझौता ज्ञापन भी शामिल हैं, राजस्थान निवेश संवर्धन योजना के नियमों और शर्तों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। 2003. इसलिए, शुरुआत में, इस योजना के प्रासंगिक खंडों पर ध्यान देना उचित होगा जो मामले से संबंधित हैं।

राजस्थान निवेश संवर्धन योजना-2003: प्रासंगिक

05.08.2010 तक खंड और उनके संशोधन/संशोधन

5. राजस्थान निवेश संवर्धन योजना-2003, जिसके बारे में हम इस मामले में चिंतित हैं, राजस्थान सरकार द्वारा अपने वित्त विभाग के आदेश दिनांक 28.07.2003[10] के माध्यम से घोषित एक गैर-वैधानिक योजना थी। हमारे सामने रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि इस योजना में समय-समय पर कई संशोधन/संशोधन किए गए थे। हम प्रासंगिक खंडों के साथ-साथ उनके महत्वपूर्ण संशोधनों/संशोधनों को भी अवसंरचना के रूप में संदर्भित कर सकते हैं। 11 10 'वित्त विभाग' कुछ अभिव्यक्तियों में 'एफ. डी.' के संक्षिप्त रूप में प्रकट हुआ है। 11 इस योजना की एक प्रति, जैसा कि 05.08.2010 तक संशोधित की गई है, को अनुलग्नक पी-1 के रूप में रिकॉर्ड में रखा गया है और इस योजना की एक अन्य प्रति, जैसा कि 25.01.2010 तक संशोधित की गई है, उत्तरदाताओं द्वारा संकलन में अवलोकन के लिए रखी गई है। यहाँ निकाले गए निष्कर्षण 05.08.2010 तक संशोधित योजना की प्रति से हैं।

एम/एस। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

5.1 . प्रस्तावना के अनुसार, इस योजना को शुरू किया गया था

राज्य सरकार निवेशकों को आकर्षक निवेश प्रदान करने की दृष्टि से राजस्थान राज्य में निवेश करने का अवसर '। इसके संशोधित के अनुसार

खंड 2, इस योजना को डब्ल्यू. ई. एफ. 01.07.2003 से लागू होना था और 31.03.2011¹2 तक लागू रहना था। योजना की प्रयोज्यता, इसके संशोधित रूप में, निम्नानुसार निर्दिष्ट की गई थीः

" 3. योजना की प्रयोज्यता

यह योजना सभी नए निवेशों पर लागू होगी और

मौजूदा इकाइयों और उद्यमों द्वारा किए गए निवेश

इकाइयों सहित आधुनिकीकरण/विस्तार/विविधीकरण कृषि प्रसंस्करण और कृषि व्यवसाय, 2010 को बढ़ावा देने की नीति के तहत शामिल उद्यम, इस शर्त के अधीन कि ऐसी इकाइयां इस तरह के कारण वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन शुरू करेंगी।

योजना की परिचालन अवधि के दौरान निवेश।

5.2 . योजना के पाठ में उपयोग की गई कुछ अभिव्यक्तियों और वाक्यांशों को उसके खंड 4 में परिभाषित किया गया था। फिर, के लिए पात्रता

पूंजी निवेश सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए योजना के खंड 5 में निम्नलिखित 1313 का प्रावधान किया गया थाः

" 5. योग्यताः

खंड 7 के अनुसार पूंजी निवेश सब्सिडी के लाभ और

योजना के तहत खंड 8 के अनुसार छूट उपलब्ध होगी।

अयोग्य इकाइयों की सूची में शामिल इकाइयों के अलावा सभी इकाइयों के लिए,

निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीनः

(i) राज्य/केंद्रीय वित्तीय संस्थान (ओं)/अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान/निगम और/या अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (ओं) द्वारा स्वीकृत सावधि ऋण।

चालू बैंक (ओं) को इस अवधि के दौरान स्वीकृत और उपयोग किया गया है।

योजना की परिचालन अवधि; बशर्ते कि यह शर्त भूमि की खरीद/उपयोग से संबंधित लाभों के लिए लागू नहीं होगी।

12 दिनांक 06.08.2008 1 3 खंड 5A के संशोधन के अनुसार, बीमार औद्योगिक इकाइयों के मामले में पात्रता से संबंधित और जैव प्रौद्योगिकी इकाइयों के मामले में पात्रता से संबंधित खंड 5B वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं हैं।

इकाई में रुपये के निवेश के लिए न्यूनतम उधार होगा। 10 लाख या कम से कम रुपये का निवेश होना। 10 भूमि के लिए डी. एल. सी./आर. आई. आई. सी. ओ. दर के आधार पर गणना की गई भूमि और/या भवन में लाख, और रु। 3228 / - प्रति वर्ग मीटर। मीटर (रु। 300 / - प्रति वर्ग मीटर। फीट)। निर्माण के लिए, संचालन के दौरान

अवधि;

बशर्ते कि रुपये की उपरोक्त सीमा। 10 लाख रुपये होंगे। 5

लघु उद्योग के मामले में लाख। पूंजी निवेश सब्सिडी (मजदूरी घटक) का दावा करना

इकाई प्रदान करेगीः

(क) कम से कम दस व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार

एक नई इकाई; और

(ख) विविधीकरण, आधुनिकीकरण या विस्तार के मामले में न्यूनतम दस व्यक्तियों के अधीन पँचिश प्रतिशत अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार।

इकाई पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए पात्र होगी।

(ब्याज घटक) और/या पूंजी निवेश सब्सिडी (मजदूरी घटक) केवल तभी जब यह पहले वाणिज्यिक रूप से शुरू होती है।

परिचालन अवधि के दौरान उत्पादन/संचालन

योजना;

बकाया के पुनर्भुगतान में कोई चूक नहीं हुई है।

संबंधित वित्तीय संस्थान का सावधि ऋण और/या

बैंक (ओं) और

इस योजना के तहत आवश्यक आवेदन हैं -

वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के 90 दिनों के भीतर उपयुक्त प्राधिकारी के समक्ष आवश्यकतानुसार पूर्ण विवरण और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करना। परियोजना का संचालन जिसके संबंध में राजधानी

निवेश सब्सिडी (मजदूरी घटक)/पूंजी

निवेश सब्सिडी (ब्याज घटक) की मांग की जाती है। हालांकि इस तरह के वाणिज्यिक उत्पादन/संचालन को होना चाहिए।

योजना के संचालन की अवधि के दौरान शुरू,

यानी 31 मार्च 2011 को या उससे पहले।

योजना को मंजूरी देने के लिए निर्धारित प्राधिकारी और एम/एस की सिफारिश करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी से संबंधित प्रावधान।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

खंड 6 में निहित अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज और

विज्ञापन इस प्रकार था 1 4:

" 6. के तहत लाभ प्रदान करने के लिए प्राधिकरण

योजनाः पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी, सिवाय इसके कि -

स्टाम्प शुल्क और/या रूपांतरण शुल्क से छूट, के तहत

यह योजना निम्नलिखित जाँच समितियाँ होंगी, जिनकी

योजना के अन्य प्रावधानों के अधीन निर्णय अंतिम होंगेः

निर्धारित प्राधिकरण

एस. एन.

निवेश

स्थिति

राशि

राज्य स्तरीय जाँच समिति (एस. एल. एस. सी)

1 .

ऊपर निवेश करें

जिसमें निम्नलिखित शामिल हैंः

रु. 10.00 करोड़

अ) प्रा. सचिव, उद्योग

सभापति

ख) सचिव, वित्त (रेव.) या उनका

सदस्य

प्रतिनिधि जो उप-पद से कम न हो

सचिव

ग) आयुक्त, वाणिज्यिक कर या उनका

सदस्य

अतिरिक्त आयुक्त।

घ) सीएमडी, आरएफसी या उनके प्रतिनिधि, नहीं

सदस्य

ईडी के पद से नीचे

ई) एम. डी., आर. आई. आई. सी. ओ. या उनके प्रतिनिधि, नहीं

सदस्य

ईडी के पद से नीचे

च) आयुक्त, उद्योग

सदस्य

सचिव

2 .

तक का निवेश

जिला स्तरीय जाँच समिति (डी. एल. एस. सी)

रु. 10.00 कोर

जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

क) जिला कलेक्टर

सभापति

ख) आर. एफ. सी. के संबंधित शाखा प्रबंधक

सदस्य

जिला

ग) संबंधित वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक/सदस्य

जिले में आर. आई. आई. सी. ओ. के क्षेत्रीय प्रबंधक।

सदस्य

घ) सहायक/सहायक। आयुक्त, वाणिज्यिक कर/वाणिज्यिक कर अधिकारी (सीटीओ)

सदस्य

सचिव

ई) महाप्रबंधक डी. आई. सी.

" 6 ए. अनुकूलित प्रोत्साहन अनुदान की सिफारिश करने के लिए प्राधिकरण

पैकेजः के किसी भी खंड/खंड के तहत निहित किसी भी चीज़ के बावजूद

निवेश की और अनुकूलित की मंजूरी के लिए सिफारिश कर सकते हैं बी. आई. पी या बी. आई. डी. आई. के माध्यम से प्रोत्साहन पैकेज।

से 6 बी, जो गुणवत्ता और मानकों के उन्नयन के लिए प्रोत्साहन से संबंधित है, वर्तमान मामले में भी नहीं है।

निर्धारित अधिकारी

एस. एन.

निवेश

स्थिति

राशि

3

4

500 से अधिक प्रधान सचिव, वित्त या उनके

सदस्य

पद से नीचे का प्रतिनिधि नहीं

1 .

करोड़

सचिव

प्रधान सचिव, उद्योग /

सदस्य

2 .

उद्योग सचिव।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर।

3 .

सदस्य

4 .

आयुक्त (निवेश और एनआरआई)

संयोजक "

5.4 . के तहत पूंजी निवेश सब्सिडी की सीमा और सीमा

राजस्थान निवेश संवर्धन योजना-2003 को इस योजना के खंड 7 में निर्दिष्ट किया गया था, जिसमें समय के साथ बड़ी संख्या में संशोधन/संशोधन हुए थे। वास्तव में, उपखंड (vi) और (vii) (02.12.2005 से प्रभावी) के सम्मिलन के साथ इस खंड के संशोधन/संशोधन और उनका विलोपन (28.04.2006 से प्रभावी) इस मामले में विवाद का कारण बनते हैं। हम समय-समय पर संशोधित/संशोधित उपखंड (i) से (v) के साथ पूरे खंड 7 पर ध्यान दे सकते हैं, साथ ही प्रासंगिक संशोधनों/संशोधनों की तारीखों की ओर भी इशारा कर सकते हैं, जिनका वर्तमान मामले पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता हैः

" 7. पूँजी निवेश अनुदानः

(i) (क) किए गए नए निवेशों के मामले में, कुल पूँजी

निवेश सब्सिडी (मजदूरी घटक) विषय होगा। देय कर के पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक और

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के तहत जमा किया गया

केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 और राजस्थान मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003

(ख) "आधुनिकीकरण/विस्तार में किए गए निवेश के मामले में,

पूंजी निवेश सब्सिडी की राशि विषय होगी। केंद्र की राशि का अधिकतम पचास प्रतिशत

इकाई द्वारा देय या जमा किया गया बिक्री कर और वैट अतिरिक्त क्षमता, इसलिए स्थापित के ऊपर और ऊपर बनाई गई

विस्तार/आधुनिकीकरण 100 टन था और विस्तार के बाद यह 150 टन हो जाता है लेकिन इकाई 'ए' 140 टन का उत्पादन करती है। कर

15 उप-खंड (वी. ए.), जो अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार आधारित सब्सिडी प्रदान करता है, जिसे दिनांक 05.08.2010 के एफ. डी. आदेश द्वारा जोड़ा गया है, वर्तमान मामले में प्रासंगिक नहीं होने के कारण हटा दिया गया है।

ट्रेटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. स्टेट ऑफ स्टैन एंड ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

(140 टन-100 टन) = 40 टन पर भुगतान पूंजी निवेश सब्सिडी की गणना के लिए योग्य होगा। विविधीकरण के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी की राशि केंद्रीय बिक्री कर की राशि के अधिकतम पचास प्रतिशत और इकाई द्वारा देय या जमा किए गए वैट के साथ-साथ देय या जमा किए गए उच्चतम कर, जो भी अधिक हो, के अधीन होगी।

बशर्ते कि पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा

खंड 7 (i) (ए) और खंड 7 (i) (बी) के तहत निर्धारित बी. आई. डी. आई. (बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड) द्वारा उठाया जा सकता है।

& निवेश संवर्धन, सरकार या राजस्थान) ऐसे मामलों में साठ प्रतिशत तक जहां निवेश अधिक है।

रु. 100 करोड़ लेकिन रुपये से कम या बराबर हैं। 200 करोड़; और इस अधिकतम सीमा को उन मामलों में 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है जहां निवेश अधिक है। रु. 200 1 6 16 करोड़।

और आगे यह प्रावधान किया कि 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा

जैव प्रौद्योगिकी नीति, 2004 के संदर्भ में स्थापित जैव प्रौद्योगिकी इकाई के लिए खंड 7 (i) ए और खंड 7 (i) बी के तहत निर्धारित राशि को 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

बशर्ते कि वस्त्र में नए निवेश के लिए

इस क्षेत्र में, खंड 7 (i) (बी) के तहत निर्धारित 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा को ऐसे मामलों में 60 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा, जहां ऐसा निवेश रु। 50 करोड़ लेकिन कम है

रुपये से अधिक या उसके बराबर। 100 करोड़ और उन मामलों में पचहत्तर प्रतिशत जहां इस तरह का निवेश रुपये से अधिक है। 100 करोड़।

खंड (i) पूंजी निवेश सब्सिडी (ब्याज) के अधीन घटक) 5 प्रतिशत (प्रतिशत अंक) होगा। एक अतिरिक्त

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के लिए एक प्रतिशत की पूंजी निवेश सब्सिडी (ब्याज घटक) उपलब्ध होगी। यदि ब्याज की प्रलेखित दर है अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के मामले में 5 प्रतिशत से कम या 6 प्रतिशत से कम, पूंजी निवेश सब्सिडी (ब्याज घटक) की पात्रता निम्न तक सीमित होगी -

एफ. डी. आदेश दिनांक 22.10.2003 द्वारा संशोधित।

न्यायालय की पूर्व रिपोर्ट

ब्याज की प्रलेखित दर और वास्तव में भुगतान की गई राशि ब्याज के रूप में लेकिन इसमें दंडात्मक ब्याज शामिल नहीं होगा।

) पूंजी निवेश सब्सिडी निवेशकों को पहले पुनर्भुगतान की तारीख से सात साल के लिए उपलब्ध होगी।

पूँजी निवेश सब्सिडी (ब्याज घटक) के मामले में ब्याज और पूँजी निवेश सब्सिडी (मजदूरी घटक) के मामले में मजदूरी/रोजगार का पहला भुगतान।

इकाई के विस्तार/आधुनिकीकरण के मामले में उनके अतिरिक्त कर पर जमा कर के भुगतान की तारीख से योजना के तहत पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए पात्र होगा।

विस्तार/आधुनिकीकरण के बाद उत्पादन और विविधीकरण, केंद्रीय बिक्री कर और वैट से अधिक राशि जो इकाई द्वारा जमा की जाती है और जो भी अधिक हो, उसमें देय या जमा किए गए उच्चतम कर से अधिक राशि।

तत्काल पूर्ववर्ती तीन वर्षों में से कोई भी।

बशर्ते कि पहले सीमेंट संयंत्र के लिए, न्यूनतम

3 मिलियन टन प्रति वर्ष की क्षमता और न्यूनतम

बशर्ते कि नई सीमेंट इकाई या उसके तहत दोनों के लिए पुनरुत्थान राजस्थान शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत किया गया या किया गया निवेश प्रतिदिन 200 टन से अधिक क्षमता वाला विस्तार इस खंड के तहत इस शर्त पर पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए पात्र होगा कि ऐसी इकाई वाणिज्यिक रूप से शुरू होगी।

31.03.2011 द्वारा उत्पादन। 17

एफ. डी. आदेश दिनांक 30.09.2008 द्वारा अंतःस्थापित किया गया।

ट्रेटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. स्टेट ऑफ स्टैन एंड ओआरएस। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

कैप्टिव पावर प्लांटः कैप्टिव पावर प्लांट में निवेश करने वाली मौजूदा इकाई विस्तार/आधुनिकीकरण के तहत योग्य होगी।

इस खंड के तहत पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए।

) जहाँ किसी इकाई ने दावा किया है और/या इसका लाभ उठा रही है

पूंजी निवेश सब्सिडी (ब्याज घटक) पूँजी निवेश सब्सिडी (मजदूरी घटक), मजदूरी के पँचिश प्रतिशत तक उपलब्ध होगी।

निवेशकों द्वारा श्रमिकों को दिया जाने वाला वेतन जिनके लिए

कर्मचारी और नियोक्ता दोनों योगदान कर रहे हैं अनुमोदित भविष्य निधि। हालांकि, इकाई के मामले में है

(ब्याज घटक), पूंजी निवेश सब्सिडी (मजदूरी घटक) की राशि उन श्रमिकों को दिए जाने वाले वेतन/वेतन का तीस प्रतिशत होगी, जिनके लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों स्वीकृत राशि में योगदान कर रहे हैं। भविष्य निधि,

बशर्ते कि कुछ भी निहित होने के बावजूद

इस खंड में, पूंजी निवेश सब्सिडी (मजदूरी)

घटक) के विविधीकरण/विस्तार के मामले में

आधुनिकीकरण केवल इस संबंध में उपलब्ध होगा -

ऐसे श्रमिकों की अतिरिक्त संख्या जिनके लिए काम किया गया है

कर्मचारी और नियोक्ता दोनों स्वीकृत भविष्य निधि में योगदान कर रहे हैं,

और आगे बशर्ते कि ऐसी अतिरिक्त संख्या

विविधीकरण, आधुनिकीकरण या विस्तार के मामले में श्रमिक मौजूदा प्रत्यक्ष रोजगार का कम से कम पच्चीस प्रतिशत है, बशर्ते कि कम से कम दस अतिरिक्त व्यक्ति, जैसा कि पहले से ही खंड 5 (iii) (a) (b) के तहत प्रदान किया गया है। इस योजना को।

पूंजी निवेश सब्सिडी (ब्याज घटक) के लिए

वास्तव में अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज का भुगतान किया जा रहा है

पूँजी की गणना के लिए उधार ही एकमात्र आधार होगा।

निवेश अनुदान। पूँजी निवेश सब्सिडी (मजदूरी घटक) के मामले में अतिरिक्त राशि के लिए भुगतान किया गया वेतन/वेतन

सृजित रोजगार आधार होगा

पूँजी निवेश सब्सिडी (मजदूरी) की गणना

5.4. 1 . जैसा कि देखा गया है, उपखंड (vi) और (vii) को योजना के उक्त खंड 7 में 02.12.2005 पर डाला गया था और बाद में हटा दिया गया था।2006 ; लेकिन खंड 7 के ये उपखंड (vi) और (vii) इस मामले में शामिल मुद्दों का निर्माण करते हैं और इसलिए, तैयार संदर्भ के लिए, निम्नानुसार संक्षिप्त किया गया है:

" (vi) उपखंड (i) से (v) में कुछ भी निहित होने के बावजूद

ऊपर, नई सीमेंट इकाई के मामले में जिसमें निवेश अधिक है

Rs.400 करोड़ और न्यूनतम 200 के नियमित रोजगार के साथ

व्यक्तियों, सब्सिडी की राशि अधिकतम के अधीन होगी राजस्थान बिक्री कर, 1994 या मूल्य वर्धित कर अधिनियम के तहत देय या जमा किए गए कर के 75 प्रतिशत की सीमा

राज्य) और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 7 साल की अवधि के लिए

उत्पादन शुरू होने की तारीख से, के अधीन

निम्नलिखित शर्तें, अर्थात्

1. निवेशक सदस्य सचिव को एक विकल्प प्रस्तुत करेगा,

एस. एल. एस. सी. 180 दिनों के भीतर इस योजना के तहत लाभ उठाएगा

यह संशोधन;

2. यह इकाई 5 वर्षों के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देगी।

विकल्प के लिए आवेदन दाखिल करना; और

3. कुल 75 प्रतिशत सब्सिडी की गणना निम्नलिखित में की जाएगी:

तरीका -

(क) राजस्थान बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर और केंद्रीय बिक्री कर के 45 प्रतिशत की सब्सिडी की अनुमति होगी।

वास्तविक कर देयता के आधार पर अग्रिम; और

(ख) राजस्थान बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर और केंद्रीय बिक्री कर देयता के 30 प्रतिशत की सीमा तक शेष सब्सिडी को ब्याज सब्सिडी, मजदूरी/रोजगार सब्सिडी के रूप में अनुमति दी जाएगी, जिसमें से ब्याज सब्सिडी होगी।

ब्याज की प्रलेखित दर के 5 प्रतिशत तक सीमित होगा और वास्तव में ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि में दंडात्मक ब्याज और मजदूरी/रोजगार सब्सिडी शामिल नहीं होगी। एक इकाई नहीं

किसी भी ब्याज सब्सिडी का दावा मजदूरी का दावा कर सकते हैं /

30 प्रतिशत की सीमा तक रोजगार सब्सिडी, बशर्ते -

इस संशोधन के तहत अन्य शर्तें।

4. सब्सिडी का दावा इसके प्रावधानों के अनुसार होगा।

योजना।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान राज्य और ओ. आर. एस. [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

उपरोक्त उपखंड (i) से (v) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, मौजूदा सीमेंट के विस्तार के लिए निवेश के मामले में

एक इकाई जिसका निवेश Rs.200 करोड़ से अधिक है और

100 व्यक्तियों का न्यूनतम नियमित रोजगार, सब्सिडी की राशि 75 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन होगी। अतिरिक्त कर (पिछले 3 वर्षों के औसत से गणना की गई)

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के तहत देय या जमा

या मूल्य वर्धित कर अधिनियम (जब और जब राज्य में लागू किया जाता है) और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 से 7 साल की अवधि के लिए

उत्पादन शुरू होने की तारीख, इसके अधीन

निम्नलिखित शर्तें, अर्थात्

1. निवेशक सदस्य को एक विकल्प प्रस्तुत करेगा।

सचिव, एस. एल. एस. सी. इस योजना के तहत लाभ उठाएंगे

180 इस संशोधन के दिन;

2. यह इकाई 5 वर्षों के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर देगी।

विकल्प के लिए आवेदन दाखिल करना; और

3. कुल 75 प्रतिशत सब्सिडी की गणना में की जाएगी -

निम्नलिखित तरीके सेः (क) राजस्थान बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर और केंद्रीय बिक्री कर के 45 प्रतिशत की सब्सिडी को वास्तविक कर देयता के आधार पर अग्रिम अनुमति दी जाएगी; और

(ख) राजस्थान बिक्री कर या मूल्य वर्धित कर और केंद्रीय बिक्री कर देयता के 30 प्रतिशत की सीमा तक शेष सब्सिडी को ब्याज सब्सिडी, मजदूरी/रोजगार सब्सिडी के रूप में अनुमति दी जाएगी, जिसमें से ब्याज सब्सिडी राज्य के राजस्व के 5 प्रतिशत तक सीमित होगी।

ब्याज की प्रलेखित दर और वास्तव में राशि

ब्याज के रूप में भुगतान में दंडात्मक ब्याज और मजदूरी/रोजगार सब्सिडी शामिल नहीं होगी। एक इकाई जो किसी भी ब्याज सब्सिडी का दावा नहीं करती है, अन्य शर्तों के अधीन 30 प्रतिशत तक मजदूरी/रोजगार सब्सिडी का दावा कर सकती है।

यह संशोधन।

4. सब्सिडी का दावा इसके प्रावधानों के अनुसार होगा।

योजना "।

2. योजना के खंड 7 में संशोधनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू यह थे कि अधिसूचना [2020] 7 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बेयरिंग नं. एफ. 12 (20) एफ. डी./कर/2005 दिनांक 22.05.2008, राजस्थान सरकार इस अस्पष्टता को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने के लिए आगे बढ़ी। खंड 7 के उपखंड (vi) और (vii) को हटाने वाले दिनांक 28.04.2006 के उपरोक्त संशोधन के मद्देनजर सीमेंट उद्योग के संबंध में सब्सिडी की स्वीकार्यता से संबंधित। आई. डी. 2 की उक्त अधिसूचना में, राज्य सरकार ने विशिष्ट शब्दों और दृष्टांतों के माध्यम से स्पष्ट किया कि आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के हटाए गए उपखंड (vi) और (vii) के तहत कोई भी लाभ आई. डी. 1 पर और उसके बाद निम्नानुसार उपलब्ध नहीं होगाः

" राज्य सरकार एतद्द्वारा स्पष्ट करती है कि हटाए गए प्रावधान के तहत लाभ 28.04.2006 पर और उसके बाद नहीं दिए जा सकते हैं, यानी यह दोहराना है कि क्र. सं. में सूचीबद्ध किसी भी प्रकार का नहीं है। खंड 1 से 6 तक, हटाए गए उपखंड (vi) और (vii) के तहत लाभों की गुणवत्ता

आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 का 28.04.2006 पर या उसके बाद।

1. जहाँ विकल्प 28.04.2006 और लाभों से पहले प्रस्तुत किया गया था

एस. एल. एस. सी. द्वारा 28.04.2006 से पहले भी प्रदान किया गया था।
2. जहाँ विकल्प 28.04.2006 और लाभों से पहले प्रस्तुत किया गया था

एस. एल. एस. सी. द्वारा 27.04.2006 के बाद प्रदान किया गया था।

3. जहाँ विकल्प 28.04.2006 और लाभों से पहले प्रस्तुत किया गया था

एस. एल. एस. सी. द्वारा प्रदान नहीं किया गया था,
4. जहां विकल्प 27.04.2006 के बाद प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 02.12.2005 के 180 दिनों के भीतर और इसके द्वारा लाभ प्रदान नहीं किए गए थे

एसएलएससी,

5. जहाँ विकल्प 27.04.2006 के बाद प्रस्तुत किया गया था लेकिन 02.12.2005 के 180 दिनों के भीतर और मामले पर विचार नहीं किया गया है

एसएलएससी, और
6. जहां विकल्प 27.04.2006 के बाद प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 02.12.2005 के 180 दिनों के भीतर और इकाई ने अभी भी इसके लिए आवेदन नहीं किया है

लाभ "।

5.4. 3 . उपरोक्त स्पष्टीकरण के बाद सं. एफ. 12 (20) एफ. डी./कर/2005-पं. दिनांक 30.09.2008 जिसके द्वारा, राजस्थान सरकार ने आर. आई. पी. एस. 2003 के खंड 7 के उपखंड (iii) में इस प्रभाव के लिए परंतुक जोड़ा कि निवेश 22.05.2008 से पहले या समझौता ज्ञापन के तहत किया गया या किया गया, दोनों के लिए एक नया सीमेंट एम/एस।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]आर विस्तार के तहत, प्रति दिन 200 टन से अधिक की क्षमता रखने वाले, इस शर्त पर सब्सिडी के लिए पात्र होंगे कि वाणिज्यिक उत्पादन

31.03.2011 से शुरू करें। इसी तरह का प्रावधान भी जोड़ा गया था

योजना का 8.

5.5 . योजना का खंड 8 सब्सिडी के अलावा लाभार्थी के लिए विभिन्न छूटों से संबंधित है। फिर, योजना के तहत प्रोत्साहन की प्रक्रिया खंड 9 में निर्दिष्ट की गई थी और

ताल (बी) को उपयोगी रूप से निम्नलिखित रूप में ध्यान में रखा जा सकता हैः

" 9. प्रक्रियाएँः

(ए) स्टैम्प ड्यूटी के अपवादों का दावा और

परिवर्तन शुल्कः

***

***

(ख) पूँजीगत निवेश का दावाः ((i)

के तहत पूंजी निवेश सब्सिडी का दावा करने के लिए हकदार एक इकाई

इस योजना में विधिवत पूरा किया गया आवेदन जमा करना चाहिए उपयुक्त जाँच समिति (एस. एल. एस. सी./डी. एल. एस. सी.) के सदस्य सचिव को निर्धारित प्रपत्र। इस तरह के आवेदन के साथ निम्नलिखित शामिल होंगेः

दस्तावेज़, जो लागू हो सकते हैं,

(क) सावधि ऋण द्वारा जारी ऋण स्वीकृति पत्र

संस्थान/बैंक;

(ख) स्व-वित्त के मामले में निवेश का प्रमाण और

(ग) भविष्य निधि जमा की स्वीकृत रसीद।

((ख)

सदस्य सचिव इसके लिए औपचारिकताएं पूरी करेंगे।

आवेदन प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर पूर्ण आवेदन को उपयुक्त जांच समितियों के समक्ष प्रस्तुत करना। जहां कोई आवेदन 15 दिनों के भीतर पूरा नहीं किया गया है, ऐसे मामले अलग से होंगे - कारणों के साथ समिति के समक्ष रखा गया।

ध्यान दें: जिला स्तरीय जांच समिति या राज्य स्तरीय जांच समिति, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट होने पर निर्धारित तिथि से आवेदन दाखिल करने में 180 दिनों से अधिक की देरी को माफ कर सकती है।

आवेदन।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

जाँच समिति आवेदन का निपटारा करेगी।

सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने के पंद्रह दिनों के भीतर

सचिव। यदि समिति मामले को मंजूरी देती है, तो सदस्य सचिव इस तरह के निर्णय के तीन दिनों के भीतर निर्धारित प्रारूप में पात्रता प्रमाण पत्र जारी करेगा और सभी संबंधित विभागों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों, सर्कल के सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी को निर्णय से अवगत कराएगा जहां व्यापारी आरएसटी/के तहत पंजीकृत है।

आवश्यक अनुपालन के लिए सीएसटी/वैट प्रावधान।

यदि समिति आवेदन को अस्वीकार कर देती है, तो एक सप्ताह के भीतर आवेदक को सूचित कर दिया जाएगा।

इस तरह के निर्णय की तारीख।

सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी

जिस क्षेत्र में पात्र इकाई पंजीकृत है, वहां जांच समिति के निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए नोडल अधिकारी होगा।

इस योजना के तहत पूंजी निवेश सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए पात्र घोषित इकाइयां, पूंजी निवेश सब्सिडी का दावा करने के लिए सहायक आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी को एक आवेदन प्रस्तुत करेंगी जो प्रदान करेंगी।

के आदेश के अनुसार पूंजी निवेश सब्सिडी

सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

पूंजी निवेश सब्सिडी (ब्याज घटक) का भुगतान केवल उस अवधि के लिए किया जाएगा जिसके लिए इकाई राज्य और/या केंद्रीय बिक्री कर जमा करती है और/या ऋण और ब्याज का नियमित पुनर्भुगतान करती है।

आयुक्त/वाणिज्यिक कर अधिकारी वाणिज्यिक कर विभाग और संबंधित वित्तीय संस्थान यदि ऐसी इकाई अपने सभी बकाया भुगतान करती है और बिक्री कर और अवधि का नियमित भुगतान करना शुरू कर देती है

ऋण/ब्याज।

" गलती में सुधार ", रिकॉर्ड पर स्पष्ट गलती को सुधारने के लिए, मूल्यांकन मेसर्स द्वारा सब्सिडी को मंजूरी दी गई।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

वाणिज्यिक कर विभाग का प्राधिकरण, इस योजना के तहत राजस्थान मूल्य वर्धित कर अधिनियम-2003 की धारा 33 के प्रावधान के अनुसार अपने आप या अन्यथा पारित किसी भी आदेश में सुधार कर सकता है।

(ix) योजना के तहत सब्सिडी की गणना के लिए आवधिकता

यह तिमाही आधार पर होगा।

5.6 . राज्य सरकार ने खंड 10 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन इस योजना के तहत प्रोत्साहन दिया

वहाँ से। यह खंड इस मामले में शामिल प्रश्नों पर भी अपना प्रभाव डालता है, जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा दावा किए जाने वाले ब्याज का प्रश्न भी शामिल है। खंड 11 ने योजना के कार्यान्वयन/व्याख्या के लिए अधिकारियों को निर्दिष्ट किया; और खंड 12 ने संबंधित अधिकारियों के साथ-साथ पीड़ित पक्ष द्वारा भी समीक्षा और अपील का प्रावधान किया। इस योजना का खंड 13, जिसे राज्य सरकार द्वारा अपने वित्त विभाग में स्वतः या अन्यथा संशोधन के लिए प्रदान किए गए दिनांक 12.03.2018 के विवादित आदेश को पारित करने के लिए लागू किया गया है, जहां कोई आदेश गलत और राज्य राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल पाया गया था। अंत में, खंड 14 ने राज्य सरकार को जनहित में आवश्यकता पड़ने पर योजना की समीक्षा या संशोधन करने की सामान्य शक्ति प्रदान की। इन खंड 10 से 14 को निम्नानुसार भी पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

" 10. शर्तें और शर्तेः
पूंजी निवेश सब्सिडी (ब्याज घटक) और/या पूंजी निवेश सब्सिडी (वेतन घटक) स्वीकृत और

योजना के तहत भुगतान और विलासिता कर, बिजली शुल्क, मंडी कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, रूपांतरण शुल्क और योजना के तहत प्राप्त अन्य लाभों की छूट के अधीन होगी

निम्नलिखित शर्तें। इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन पूंजी निवेश सब्सिडी/छूट राशि को कर या भूमि राजस्व के बकाया/ब्याज के रूप में वसूल करने के लिए उत्तरदायी बना देगा।

@ 18 % प्रति वर्ष उस तारीख से जब से राजधानी

निवेश अनुदान प्रदान किया गया था।

पूँजी निवेश सब्सिडी (ब्याज) प्राप्त करने वाली इकाई

(अ)

घटक) और/या पूंजी निवेश सब्सिडी (मजदूरी घटक) और योजना के तहत विलासिता कर, बिजली शुल्क, मंडी कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, रूपांतरण शुल्क और अन्य लाभों की छूट का लाभ उठाना सभी वैधानिक कानूनों और विनियमों का पालन करेगा। गैर-अनुपालन [2020] 7 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

इसके परिणामस्वरूप लाभों को रद्द/वापस लिया जाता है

योजना।

पूंजी निवेश सब्सिडी (ब्याज घटक) और/या पूंजी निवेश सब्सिडी (मजदूरी) का लाभ उठाने वाली इकाई घटक) और इस योजना के तहत विलासिता कर, बिजली शुल्क, मंडी कर, मनोरंजन कर, स्टाम्प शुल्क, रूपांतरण शुल्क और अन्य लाभों में छूट का लाभ उठाया जाएगा।

शर्तों, प्रक्रियाओं, निर्देशों के अधीन, समय-समय पर जारी किए गए स्पष्टीकरण या संशोधन

यदि सरकार की किसी अन्य योजना के तहत कोई सब्सिडी भारत या राजस्थान सरकार को ब्याज भुगतान के संबंध में इकाई द्वारा प्राप्त किया जाता है, या मजदूरी/रोजगार सब्सिडी के रूप में तब योजना के तहत देय कुल पूंजी निवेश सब्सिडी को सब्सिडी की सीमा तक कम कर दिया जाएगा।

इसलिए प्राप्त किया।

बशर्ते कि यदि कोई इकाई कपड़ा क्षेत्र के लिए भारत सरकार की प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि (टीयूएफ) योजना के तहत ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा रही है, तो वह इस योजना के तहत पूंजी निवेश सब्सिडी (ब्याज घटक) के ढाई प्रतिशत तक का लाभ उठाने के लिए पात्र होगी। टी. यू. एफ. योजना के तहत प्राप्त ब्याज सब्सिडी के लिए।

यह लाभ संभावित प्रभाव से उपलब्ध होगा।

इस आदेश के जारी होने की तारीख।

: पूंजी निवेश सब्सिडी जारी करने का आदेश जारी होने के बाद 30 दिनों से अधिक की अवधि के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी के भुगतान में देरी होने पर निवेशक को प्रति वर्ष 5 प्रतिशत की दर से ब्याज देय होगा।

कार्यान्वयन के लिए प्राधिकरण /

प्रक्षेपणःसभी संबंधित विभाग इस योजना को लागू करेंगे। उद्योग विभाग नोडल समन्वय, शोधन और कार्यान्वयन विभाग के रूप में कार्य करेगा। योजना के किसी भी खंड की गलत व्याख्या से संबंधित किसी भी मामले को मेसर्स को भेजा जाएगा।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

वित्त विभाग में राजस्थान सरकार जिसका

ऐसे मामले में निर्णय अंतिम होगा। 12. समीक्षा और आवेदनः

इस योजना के खंड 6 और खंड 6 सी के तहत वर्णित राज्य स्तरीय जांच समिति और जिला स्तरीय जांच समिति को भी अपने निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार होगा।

राज्य स्तरीय जाँच समिति सुनेगी और निर्णय लेगी।

जिला स्तरीय जाँच समिति के आदेशों के विरुद्ध अपील।

बशर्ते कि पीड़ित पक्ष ने समीक्षा आवेदन दायर किया हो या

की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर अपील

समिति के निर्णय की सूचना।

13. राज्य सरकार द्वारा संशोधनः

वित्त विभाग में राज्य सरकार स्वतः संज्ञान ले सकती है।

(अ)

या अन्यथा किसी भी जांच द्वारा पारित आदेश को संशोधित करें

इकाई। उपखंड (ए) के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा

(ख)

पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद राज्य सरकार

उस तारीख के बाद जब तक इस योजना के तहत लाभ हैं

पूरी तरह से उपयोग किया गया।

14. योजना की समीक्षा या परिवर्तनशीलता

वित्त विभाग में राज्य सरकार के पास आवश्यकता पड़ने पर योजना की समीक्षा या संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

जनहित में।

बीआईडीआईः रचना और आदेश

6. मुख्य विशेषताओं पर ध्यान देने के साथ-साथ प्रासंगिक भी

आर. आई. पी. एस.-2003 योजना और उनके संशोधनों के आधार पर, हम बी. आई. डी. आई. से संबंधित कुछ तथ्यों पर भी ध्यान देते हैं, जिसका निर्णय इस मामले में शामिल प्रश्नों से संबंधित सामग्री है।

6.1 . बी. आई. डी. आई. के पुनर्गठन और इसके अधिदेश को राज्य सरकार द्वारा अपने प्रशासनिक सुधार (जी. आर. 3) विभाग के ई-आदेश दिनांक 15.01.2005 में निम्नलिखित शब्दों में निर्दिष्ट किया गया थाः

" विभाग के आदेश सं। एफ. 6 (51) ए. आर./जी. आर. 3/96 दिनांक 26 जनवरी, 1999 को राज्यपाल ने 7 एस. सी. आर. की पुनर्संरचना [2020] की है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अवसंरचना विकास और विकास बोर्ड

निम्नलिखित के लिए निवेश संस्थान (बी. आई. डी. आई.) सदस्यः

सभापति

1 .

मुख्यमंत्री

उद्योग मंत्री

उपाध्यक्ष

2 .

योजना मंत्री

सदस्य

3 .

ऊर्जा मंत्री

4 .

सदस्य

सदस्य

5 .

यूडीएच मंत्री

मुख्य सचिव

सदस्य-सचिव

6 .

***

***

***

1. योजनाओं पर विचार करना और उनकी समीक्षा करना और इसके लिए निर्देश प्रदान करना

राज्य में निवेश में तेजी लाना।

2. निवेश से संबंधित इन मामलों पर विचार करना, जिनके पास है

संबंधित विभागों/निगम/द्वारा निपटाया नहीं गया

राज्य द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकरण

सरकार।

3. निवेश नीतियों और प्रक्रिया में संशोधन करना -

राज्य के आर्थिक विकास में तेजी लाना।

4. प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर निर्णय लेना।

निवेश संवर्धन।

6. प्रोत्साहनों के एक अनुकूलित पैकेज को मंजूरी देना जहां बोर्ड ऐसा लगता है कि निवेश रोजगार को उत्प्रेरित करेगा और/या

राज्य में और निवेश करें। 7. संबंधित अंतर-विभागीय मुद्दों पर विचार करना और उनका निपटारा करना।

निवेश प्रस्ताव।

8. कोई अन्य निर्देश देना जिस पर बोर्ड विचार करता है -

निवेश को प्रोत्साहित करें।

6.2 . से उभरने वाले महत्वपूर्ण और प्रासंगिक पहलुओं में से एक

अभिलेख पर रखा गया रियाल यह है कि उपरोक्त आदेश के स्थान पर

15.01.2005 बी. आई. डी. आई., राज्य सरकार का पुनर्गठन

प्रशासनिक सुधार विभाग, आदेश के माध्यम से No.F.6 (51) ए. आर /

96 दिनांक 08.06.2009, ने स्थान निवेश संवर्धन बोर्ड के नाम से एक अन्य निकाय का गठन किया। इसलिए, बी. आई. डी. आई. 07.06.2009 के भंग होने के बाद अस्तित्व में नहीं था।

एम/एस। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलू

7. राजस्थान निवेश संवर्धन योजना-2003 के उपरोक्त प्रावधानों और विशेषताओं के साथ-साथ बी. आई. डी. आई. को ध्यान में रखते हुए, अब हम इस मामले के प्रासंगिक तथ्यात्मक और पृष्ठभूमि पहलुओं को उनके व्यवहार्य कालक्रम में ध्यान में रख सकते हैं।

7.1 . जैसा कि शुरुआत में देखा गया है, अपीलकर्ता मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (यूनिट-कोटपुतली सीमेंट वर्क्स) एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है।

कोटपुतली में 3 एम. टी. पी. ए. 1.8 की स्थापित क्षमता वाला सीमेंट संयंत्र स्थापित करें, राजस्थान राज्य में जयपुर जिला और बी. आई. डी. आई. की दिनांकित 10.01.2002 बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, 5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए खनन पट्टा। किमी. रुपये की लागत से कंपनी को हस्तांतरित किया गया था। 46.50 इस शर्त के साथ कि कंपनी सीमेंट संयंत्र लगाएगी

तीन साल की अवधि के भीतर। हालांकि, कोटपुतली में सीमेंट संयंत्र लगाने का यह कार्य अपेक्षित समय के भीतर पूरा नहीं हो सका, शायद विभिन्न लंबित मुकदमों के कारण। जो हो सके, उसके बाद

उपरोक्त उपखंड (vi) और (vii) को योजना के खंड 7 में जोड़ा गया था। और इस अनुरोध पर 28.03.2006 पर आयोजित 11 वीं प्री-BIDI बैठक में विधिवत विचार किया गया था।

7.2. 1 . उक्त 11 वीं पूर्व-बी. आई. डी. आई. बैठक 1 9 का प्रासंगिक कार्यसूची प्रस्ताव निष्पक्ष रूप से बी. आई. डी. आई. द्वारा किए गए अनुरोध की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि देता है। कंपनी, वित्त विभाग के साथ-साथ उद्योग मंत्री के विचार

और प्री-बी. आई. डी. आई. की सिफारिशें। इसलिए, इसे नीचे दिए गए विस्तार में पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

कंपनी ने एक अनुकूलित पैकेज के लिए अनुरोध किया है इस आधार पर प्रोत्साहन कि यह एक मेगा परियोजना है

18 ' एम. टी. पी. ए. का अर्थ है मीट्रिक टन प्रति वर्ष 19 पी. पी.। 175-178 पेपर की-पुस्तक [2020] 7 एस. सी. आर.

रुपये से अधिक का निवेश। 1000 करोड़। इसका विवरणकंपनी द्वारा मांगी गई रियायतें/प्रोत्साहन इस प्रकार हैं:

वित्तीय प्रभाव

एस. आई. कंपनी की मांग

मौजूदा नीति

कंपनी द्वारा दिया गया

नहीं।

आर. आई. पी. एस. 2003 में कहा गया है कि

1 .

ब्याज सब्सिडी (@)

अगर कंपनी

नई सीमेंट इकाइयों का मामला

अनुरोध स्वीकार किया जाता है,

7.75 % प्रति वर्ष ए 15 वर्ष की अवधि

वित्ती य

रुपये से अधिक का निवेश। 400

कुल

न्यूनतम नियमित के साथ करोड़

इसका निहितार्थ रुपये होगा।

कुल निवेश। मजदूरी सब्सिडी @25 प्रतिशत

200 व्यक्तियों को रोजगार,

1102.50 एक करोड़ से अधिक

ब्याज सब्सिडी और

15 वर्ष की अवधि

एक अवधि के लिए प्रति वर्ष

मजदूरी/रोजगार सब्सिडी होगी

जबकि वित्तीय

15 साल।

अधिकतम सीमा के अधीन

आर. आई. पी. एस. के अनुसार निहितार्थ

75 % देय कर और

2003 रु. हो जाएगा। 448 आरएसटी/सीएसटी/वैट के तहत जमा किया गया। एक अवधि में करोड़

इस 75 प्रतिशत सब्सिडी में से 45 प्रतिशत

7 वर्षों से।

सब्सिडी की अनुमति पहले ही दी जाएगी।

वास्तविक कर देयता के आधार पर

के साथ पत्राचार में

और सीमा तक शेष सब्सिडी

कंपनी, उनके पास था

30 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी

इंगित किया कि

ब्याज सब्सिडी का रूप और

कंपनी स्वयं है

मजदूरी/रोजगार सब्सिडी

पर्याप्त और नहीं

कौन सी ब्याज सब्सिडी होगी

एक वित्तीय द्वारा

मूल्यांकन

दस्तावेज के 5 प्रतिशत तक सीमित

संस्था

था।

परिकल्पना की गई

ब्याज की दर।

द.

ब्याज पर रियायत ये सब्सिडी सब्सिडी के लिए स्वीकार्य हैं,

इसके लिए कहा गया है।

7 साल की अवधि।

कुल निवेश पर।

वित्ती

य

प्रवेश कर में छूट ऐसी कोई नीति मौजूद नहीं है।

कुल

2 .

15 साल की अवधि

संयंत्र पर प्रभाव और हालांकि, बी. आई. डी. आई. ने 50

प्रतिशत मशीनरी की मंजूरी दी है। 10 करोड़।

उपभोग्य वस्तुएँ और पैकेजिंग

आर. ए. एस. के मामले में सामग्री

सीमेंट लिमिटेड अधिसूचना के माध्यम से

नहीं। एफ. 4 (10) एफ. डी./कर प्रभाग/02-197

दिनांक 21 फरवरी, 2003।

ऐसी कोई नीति मौजूद नहीं होने पर रॉयल्टी की छूट

कुल वित्तीय

3 .

एक अवधि के लिए चूने का पत्थर

ए पर प्रभाव

15 वर्षों

रु. हो। 290.70

करोड़।
अगर बिजली खरीदी जाती है

4 .

100 % की छूट

आर. आई. पी. एस.-2003 के अनुसार, 50 प्रतिशत

ग्रिड (डिस्कॉम) से,

बिजली शुल्क से छूट है

ए के लिए बिजली शुल्क

सात साल के लिए उपलब्ध।

15 वर्ष की अवधि

कुल वित्तीय

ए पर प्रभाव

इसके अलावा, नए निवेश के लिए

निवेश के संबंध में ऊर्जा

कैप्टिव पावर प्लांट।

अनुदान विषय होगा।

ऐसी कोई नीति नहीं है।

उस मामले में,

5 .

कंपनी पूछ रही है कि

अधिकतम कुल

परियोजना में निवेश

तक का कुल लाभ

अर्थात रु. 1200 करोड़।

रु. की सीमा। 1200

करोड़।

वित्त विभाग के विचार बढ़े हुए प्रोत्साहनों/छूटों का मूल्य होगा

लगभग रु। 1130 करोड़ जो लगभग बराबर होगाकंपनी द्वारा स्थापित किए जा रहे संयंत्र की लागत (रु। 1200 करोड़)। वित्त विभाग का विचार है कि एम/एस को प्रोत्साहन दिया जाए।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

आर. आई. पी. एस.-2003 से परे छूट नहीं दी जानी चाहिए। यदि और प्रोत्साहन/छूट दी जाती है, तो राज्य के भीतर काम कर रही 18 अन्य कंपनियों को प्रतिस्पर्धी कीमत का सामना करना पड़ेगा।

हानि। यह सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने की घोषित नीति के विपरीत भी होगा। इसके अलावा, विभाग ने कहा है कि वैट व्यवस्था में रियायतें किसी भी मामले में संभव नहीं हो सकती हैं। इसलिए, भविष्य में आर. आई. पी. एस. को सीमित लाभ (एस. आई. सी.) को मजबूत किया गया।

उद्योग मंत्री के विचार यदि आर. आई. पी. एस.-2003 काफी अच्छा होता तो निवेश में उछाल आता। इसके अलावा, विस्तार और स्थापना में अंतर करना होगा। एक विस्तार प्रक्रिया पर लगभग 250 से 400 करोड़ रुपये खर्च होते हैं। अब, 2 एम. टी. क्षमता वाले एकल भट्टे वाले नए संयंत्र एक कारक है, जो कोरिया, चीन को अन्य सभी खिलाड़ियों से आगे रख रहा है। इस मामले को चर्चा और निर्णय के लिए बी. आई. डी. आई. के पास ले जाया जाना चाहिए।

बी. आई. डी. आई. से पहले की सिफारिश प्री-बी. आई. डी. आई. ने सिफारिश की कि सीमेंट पैकेज के रूप में

प्रस्तावित निर्णय बी. आई. डी. आई. एक दृष्टिकोण ले सकता है।

7.3 . उक्त प्रस्ताव पर 01.04.2006 पर आयोजित बी. आई. डी. आई. की 21 वीं बैठक में एजेंडा मद संख्या 13 के तहत विचार किया गया था।

तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यह संकल्प लिया गया कि 'हाल ही में घोषित सीमेंट पैकेज और आर. आई. पी. एस. 2003 कंपनी पर लागू होंगे' और यह कि वैट व्यवस्था के बाद कोई भी बदलाव अन्य इकाइयों के लिए भी उपलब्ध होगा '। बी. आई. डी. आई. की दिनांक 01.04.2006 की उक्त 21 वीं बैठक के कार्यवृत्त की प्रासंगिक सामग्री नीचे दी गई हैः

" कार्यसूची सं. 13

ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

बी. आई. डी. आई. ने निर्देश दिया कि हाल ही में घोषित सीमेंट पैकेज और आर. आई. पी. एस. 2003 कंपनी पर लागू होंगे। पोस्ट में कोई भी बदलाव

वैट व्यवस्था अन्य इकाइयों के लिए भी उपलब्ध होगी।

7.4 . इसके बाद, कंपनी ने उद्योग आयुक्त को दिनांक 26.04.2006 का एक पत्र संबोधित किया, जिसमें [2020] 7 एस. सी. आर. के संदर्भ में पंजीकरण की मांग की गई।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के उपखंड (vii) का (जैसा कि तरीके से जोड़ा गया है) एक नए सीमेंट संयंत्र/कैप्टिव के लिए दिनांक 02.12.2005) का संशोधन

कोटपुतली में स्थापित किया जाने वाला बिजली संयंत्र। प्रासंगिक

इस दिनांकित 26.04.2006 पत्र की सामग्री भी उपयोगी हो सकती है। निम्नानुसार निकाला गयाः

" यह अधिसूचना संख्या के संदर्भ में है। एफ 4 (18) एफ. डी./कर-प्रभाग /

2001 2.12.05 पर संशोधित। कृपया ध्यान दें कि हमारे समूह का इरादा है 35 लाख टन/वर्ष के विनिर्माण के लिए एक नया संयंत्र स्थापित करना।

2 X 23 मेगावाट कैप्टिव पावर के साथ कोटपुतली में सीमेंट संयंत्र

पौधा लगाएं। विवरण इस प्रकार हैः

प्रस्तावित कुल लागत

: रु. 1,100 करोड़

कुल क्षमता

: 3.5 मिलियन टन/वर्ष

न्यूनतम रोजगार

: 250

: मार्च 2008

पूरा होने की अपेक्षित तिथि

हम आपसे राजस्थान निवेश में उपरोक्त को पंजीकृत करने का अनुरोध करते हैं। पदोन्नति नीति 2003 खंड 7 के उपखंड (vii) की योजना

अधिसूचना सं। एफ. 12 (20) एफ. डी./कर/05-पं. दिनांक 2/12/2005।

किसी भी अन्य समान सीमेंट संयंत्र के लिए अनुमोदित, तो वही हो सकता है हमारे उपरोक्त संयंत्र को भी दिया जाए।

7.5 . हालांकि, इस पर कोई भी निर्णय लेने से पहले

आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के उपरोक्त उपखंड (vi) और (vii) को राज्य सरकार ने अपने संशोधन अधिसूचना सं. एफ. 12 (63) एफ. डी./कर/05 दिनांक 28.04.2006।

7.6 . कंपनी ने उपरोक्त संशोधन से व्यथित महसूस किया

दिनांक 28.04.2006 और योजना के खंड 7 के उपखंड (vi) और (vii) को हटाना और इसलिए, 26.05.2006 पर, इसके समूह कार्यकारी अध्यक्ष ने राजस्थान के मुख्यमंत्री को एक अभ्यावेदन दिया, जिसमें कहा गया था कि

दिनांक 1 की अधिसूचना के तहत लाभ प्राप्त करने का विकल्प प्रस्तुत करने के बाद कंपनी द्वारा उठाए गए कदम और 45 प्रतिशत अग्रिम सब्सिडी की वापसी पर कंपनी की निवेश योजनाओं को झटका लगने की संभावना है। यह इंगित करते हुए कि कंपनी ने, वास्तव में, प्रोत्साहन के अनुकूलित पैकेज के लिए सरकार का प्रतिनिधित्व किया था, इस अभ्यावेदन में यह प्रार्थना की गई थी कि अधिसूचना दिनांक 28.04.2006 M/S है।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

वापस ले लिया जाए। दिनांकित इस अभ्यावेदन की प्रासंगिक सामग्री

5.2006 नीचे पढ़ेः

" इसमें उपर्युक्त अधिसूचना का संदर्भ है, जिसके अनुसार राजस्थान निवेश संवर्धन नीति 2003 के खंड 7 के उपखंड (vi) और (vii) को हटा दिया गया है। अधिसूचना सं. 7 द्वारा उपरोक्त नीति में खंड 7 जोड़ा गया था। एफ. 4 (18) एफ. डी./कर प्रभाग/2001

डीटी। 02 दिसंबर 2005।

28 अप्रैल 2006 की उपरोक्त अधिसूचना के बाद, वैट और सी. एस. टी. में वास्तविक कर देयता की 45 प्रतिशत अग्रिम सब्सिडी का लाभ

अनुमति नहीं दी जाएगी।

ग्रासिम सीमेंट-कोटपुतली, जिला जयपुर और जयपुर में 35 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के 2 सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया। आदित्य सीमेंट-शंभूपुरा जिला। चित्तौड़गढ़ में कुल मिलाकर

रुपये से अधिक का निवेश। 2200 / - करोड़।

संयंत्र पूंजी गहन संयंत्र हैं और अधिकांश राज्य किसी न किसी रूप में सब्सिडी/प्रोत्साहन की पेशकश कर रहे हैं और पिछले मामलों में राजस्थान सरकार ने विशिष्ट कंपनियों के लिए विशिष्ट योजनाओं की घोषणा की है, यानी 11 साल तक के लिए अलग-अलग अधिसूचना जारी करके 75 प्रतिशत तक कर की छूट। मामला आधार।

हम पहले ही इसके तहत लाभ उठाने का विकल्प प्रस्तुत कर चुके हैं।

उक्त योजना के पैरा 7 (vi) (1) में दी गई तारीख 2 दिसंबर 2005 की अधिसूचना और हमारा इरादा मार्च 2008 तक इन दोनों संयंत्रों में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करना है, अर्थात योजना में दिए गए विकल्प को दाखिल करने के 5 साल के भीतर। हमने प्रोत्साहन के आधार पर संयंत्र और मशीनरी की प्रमुख वस्तुओं के लिए ऑर्डर देने जैसे प्रभावी कदम उठाए हैं।

2 दिसंबर 2005 की अधिसूचना के माध्यम से दी गई सब्सिडी।

हम अधिसूचना के 5 से 6 महीने के भीतर सीमेंट उद्योग को दिए गए प्रोत्साहनों की वापसी के बारे में जानकर व्यथित हैं, जिससे हमारे प्रस्तावित संयंत्र अव्यवहारिक हो जाएंगे। वास्तव में हमने प्रतिनिधित्व किया था [2020] 7 एस. सी. आर. के अनुकूलित पैकेज के लिए राजस्थान सरकार को।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

राजस्थान निवेश नीति 2003 के तहत दिए गए प्रोत्साहन

1000 करोड़ रुपये और उससे अधिक के निवेश के लिए।

उपरोक्त दोनों प्रस्तावित संयंत्रों से 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान होने की उम्मीद है। 225 प्रत्येक राजकोष को करोड़ रुपये और जिसका बड़ा हिस्सा

राज्य सरकार द्वारा साझा किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान उच्च विकास वातावरण में, सीमेंट उद्योग प्रमुख बुनियादी ढांचा उद्योगों में से एक है।

अन्य उद्योगों को सहायता प्रदान करना और इस तरह के प्रतिगामी कदम सीमेंट उद्योग के विकास और अंततः समग्र रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास।

हम आपसे ईमानदारी से अनुरोध करते हैं कि आप इस पर पुनर्विचार करें और इसे वापस लें।

28 अप्रैल 2006 की उपरोक्त अधिसूचना जो प्राकृतिक न्याय में भी होगी क्योंकि हमने इसके आधार पर निवेश की योजना बनाई है

अधिसूचना दिनांक 02 दिसंबर 2005।

हम आशा करते हैं कि हमारे अनुरोध पर अनुकूल रूप से विचार किया जाएगा जिससे हम समयबद्ध तरीके से प्रस्तावित संयंत्रों के कार्यान्वयन के लिए आगे कदम उठा सकें।

7.6. 1 . ऐसा प्रतीत होता है कि कंपनी द्वारा इस प्रकार किए गए अनुरोध पर राज्य सरकार की ओर से केवल कड़ी प्रतिक्रिया आई है -

पत्र सं। निवेश संवर्धन ब्यूरो, राजस्थान के बी. आई. पी./आई. पी./डी. जी. एम. (एन. एस.)/61 दिनांक 17.06.2006 में कहा गया है कि कंपनी आर. आई. पी. एस.-2003 में निहित रियायतों के लिए पात्र होगी।

7.7 . दूसरी ओर, 'रिसर्जेंट राजस्थान' नामक शिखर सम्मेलन के दौरान, कंपनी ने कोटपुतली और नवलगढ़ में नए सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के साथ-साथ शंभूपुरा में मौजूदा संयंत्र का विस्तार करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस प्रस्ताव के विपरीत, राज्य ने आर. आई. पी. एस.-2003 के तहत अनुमेय प्रोत्साहन प्रदान करने के रूप में समर्थन देने का बीड़ा उठाया, जिसमें मंजूरी आदि को सुविधाजनक बनाने के अलावा प्रचलित नीति के अनुसार अतिरिक्त समर्थन के साथ एक 'एकल खिड़की सेवा' की पेशकश की गई। यह समझौता ज्ञापन पांच साल की प्रारंभिक अवधि के लिए वैध रहना था और प्रगति पर विचार करने पर, इसका कार्यकाल ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता था जिस पर पारस्परिक रूप से सहमति हुई हो।

20 इसके बाद 'बी. आई. पी.' एम/एस. के रूप में संदर्भित किया जाता है।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

7.8 . अपीलार्थी का यह मामला था कि बी. आई. डी. आई. के दिनांक 01.04.2006 के निर्णय और दिनांक 30.11.2007 के समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी ने

रुपये का निवेश किया। इसकी कोटपुतली इकाई पर 1661.88 करोड़; 31.12.2009 पर 254 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया; और रु। विभिन्न वित्तीय संस्थाओं से 798.82 करोड़

संस्थाएं और बैंक। इस प्रकार, अपीलार्थी के अनुसार, आर. आई. पी. एस.-2003 के तहत निर्धारित सभी आवश्यक शर्तों को पूरा किया गया। 7.9 . उपरोक्त तथ्यों के संदर्भ में और इस दावे के साथ कि उक्त कोटपुतली इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ

20.01.2010 पर, कंपनी ने आर. आई. पी. एस.-2003 2 1 के तहत पात्रता प्रमाण पत्र देने के लिए सदस्य सचिव एस. एल. एस. सी. को 21.02.2010 पर या उसके आसपास आवेदन किया। इस आवेदन की सामग्री से संबंधित कई पहलू और इसके साथ दिए गए प्रपत्र, शपथ पत्र और अनुलग्नक पक्षों के संघर्ष और विचलन के क्षेत्र बनाते हैं और इसलिए, उनकी प्रासंगिक विशेषताओं पर भी ध्यान देना उचित हो सकता है।

7.9. 1 . उपरोक्त आवेदन में कंपनी ने यह कहने के बाद कि

इसने 20.01.2010 पर वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था और 500 करोड़ रुपये का निवेश किया था। 1661.88 करोड़, ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया कि उसने 02.12.2005 22 की अधिसूचना के अनुसार 26.04.2006 पर विकल्प दाखिल किया था। बी. आई. डी. आई. के दिनांक 01.04.2006 के उपरोक्त निर्णय, दिनांक 17.06.2006 के बी. आई. पी. के पत्र और योजना के खंड 7 के उपखंड (iii) के दिनांकित 30.09.2008 के संशोधन को भी संदर्भित किया गया था और फिर, आवेदक ने निम्नानुसार प्रस्तुत कियाः

कंपनी सब्सिडी के लिए पात्र है क्योंकि निवेश पहले ही किया जा चुका है। रु. की महत्वपूर्ण राशि से किया गया। 30 अप्रैल, 2008 तक (आई. डी. 1 से पहले) 2 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था और 30 नवंबर, 2007 को पुनरुत्थान राजस्थान शिखर सम्मेलन के दौरान मोहनपुरा, तहसील कोटपुतली, जिला में 40 लाख एम. टी./वार्षिक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। जयपुर और समझौता ज्ञापन की प्रति इसके साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न है - 6. हम हैं।

21 इस आवेदन की एक प्रति अनुलग्नक पी-11 के रूप में रिकॉर्ड में रखी गई है, जिसमें तारीख 04.02.2010 है, लेकिन इसकी सामग्री और अनुलग्नक में बाद की तारीखें भी हैं, जैसे कि वैट जमा दिनांक 05.02.2010 और चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र दिनांकित 16.02.2010। रसीद के समर्थन से ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदन 21.02.2010 पर जमा किया गया था और इसलिए, हमने इसे आवेदन की तारीख के रूप में लिया है।

22 जिसके द्वारा उपरोक्त उपखंड (vi) और (vii) को आर. आई. पी. एस. 2003 के खंड 7 में जोड़ा गया था।

इसके साथ रुपये के निवेश को प्रमाणित करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट्स का प्रमाण पत्र भी संलग्न है। 30 अप्रैल तक 1184.47 करोड़,

2008 ग्रासिम सीमेंट-कोटपुतली में अनुलग्नक-7 के रूप में।

7. कि हमने पहले ही 180 दिनों के भीतर अधिसूचना दिनांक 02.12.2005 के तहत विकल्प दाखिल कर दिया है और 20.01.2020 पर वाणिज्यिक उत्पादन भी शुरू कर दिया है, यानी विकल्प दाखिल करने की तारीख से पांच साल के भीतर, रु। 1661.88 करोड़ यानी Rs.400 करोड़ से अधिक और रोजगार दिया है

254 व्यक्तियों को 31.12.2009 यानी 200 से अधिक व्यक्तियों तक, इसलिए दिनांकित 02.12.2005 अधिसूचना की सभी शर्तों को पूरा करें, अर्थात

आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के उपखंड (vi) के अनुसार।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कृपया पात्रता प्रमाण पत्र प्रदान करें और 2 दिसंबर, 2005 की अधिसूचना के संदर्भ में भी लाभों की अनुमति दी जा सकती है। यदि आपको किसी और जानकारी की आवश्यकता है, तो कृपया सूचित करें ताकि उसे प्रस्तुत किया जा सके।

7.9. 2 . आवेदन योजना के खंड 9 (बी) (आई) के संदर्भ में प्रपत्र 2 में प्रस्तुत किया गया था और उसमें ब्याज सब्सिडी का 5 प्रतिशत और रोजगार/मजदूरी सब्सिडी का 25 प्रतिशत 45 प्रतिशत देने का अनुरोध किया गया था।

योजना के तहत 'अप-फ्रंट सब्सिडी'। उक्त प्रपत्र 2 में भी लिखा था कंपनी के उपाध्यक्ष की घोषणा और उपक्रम

निम्नलिखित शर्तें -

" मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैंने राजस्थान निवेश संवर्धन योजना, 2003 के प्रावधानों को पूरी तरह से समझ लिया है और इसका पालन करने के लिए सहमत हूँ। अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने या इस योजना के प्रावधानों का पालन न करने के मामले में, मैं योजना के तहत वास्तव में ली गई पूरी राशि का भुगतान करने का वचन देता हूं और प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

ऐसी राशि पर वार्षिक "।

7.10 . उपरोक्त आवेदन से संबंधित मामले पर एस. एल. एस. सी. द्वारा आई. डी. 1 पर आयोजित अपनी 29 वीं बैठक में विचार किया गया था। जैसा कि देखा गया है, उस समय तक कंपनी का नाम बदलकर वर्तमान अपीलार्थी हो गया था। दिनांक 17.03.2011 की उक्त बैठक में एस. एल. एस. सी. ने अपीलार्थी को पूंजी निवेश सब्सिडी की अनुमति देने का निर्णय लिया।

जमा किए गए वैट के 75 प्रतिशत तक। यह निर्णय एस. एल. एस. सी. द्वारा कथित रूप से बी. आई. डी. आई. की मंजूरी के आधार पर लिया गया था। प्रासंगिक एम/एस।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]एस. एल. एस. सी. की बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 17.03.2011 का 23 तारीख को उनके अनुवाद में निम्नानुसार पढ़ा गया हैः

" 13 ..... समिति इकाई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और योजना में उपलब्ध प्रावधान और वित्त विभाग द्वारा पहले लिए गए निर्णय को देखने और जांचने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि इकाई ने राजस्थान में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं

पुनरुत्थान शिखर सम्मेलन। इसलिए, वित्त के आदेशों के अनुसार

विभाग दिनांकित 30/9/2008 इकाई नकारात्मकता से मुक्त है।

समिति ने यह भी पाया है कि हालांकि वित्त विभाग

उपलब्ध ऋण उधार योजनाओं के संबंध में संशोधन के लिए कोई सहमति नहीं दी है, उसके बाद इकाइयाँ वित्तीय संस्थानों और स्थानीय निकाय से सावधि ऋण लेने के लिए योजना के नियम 5 (i) के तहत पात्र हैं। और इससे पहले कई मामलों में राज्य स्तर की जांच

समिति के पास पूंजी निवेश (ब्याज) के आधार पर है।

घटक) अनुमत पात्रता। इसलिए, इस मामले में इकाई को ई. सी. बी. और खरीदारों के ऋण से सावधि ऋण लेने के लिए सावधि ऋण की परिभाषा के तहत शामिल किया जाता है, फिर इकाई को ब्याज सब्सिडी की पात्रता का लाभ दिया जाना चाहिए। सलाह के आधार पर

वित्त विभाग के प्रतिनिधि सचिव, वित्त समिति ने निर्णय लिया है कि इकाई अभी के लिए है

वाणिज्यिक की पहली तारीख से शुरू करने की अनुमति उत्पादन, 7 साल के लिए पहली वैट चालान जमा तिथि 5/2/2010 पूंजी निवेश सब्सिडी (ब्याज घटक) पात्रता और एचडीएफसी बैंक से प्राप्त 250 करोड़ रुपये के ऋण और एक्सिस बैंक 200 करोड़ रुपये का मतलब है कि कुल 450/करोड़ रुपये आदि को सावधि ऋण के लिए पात्रता प्रदान की जा सकती है और पहले से ही ईसीबी क्रेडिट और खरीदारों के मामले प्राप्त कर चुके हैं।

पहले के मामलों पर विचार करते हुए, मामले को वित्त विभाग को भेजा जा सकता है। पात्रता प्रमाणपत्र में संशोधन किया जा सकता है

समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि इकाई को पूंजी निवेश (25 प्रतिशत रोजगार घटक) के लिए अनुमति दी जा सकती है। 5/2/2010 7 वर्षों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की तिथि। समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि बी. आई. डी. आई. नियम 7 (i) (ए) और (बी) के अनुमोदन के आधार पर कुल देय पूंजी निवेश सब्सिडी (ब्याज घटक) और जमा किए गए वैट की 75 प्रतिशत सीमा होगी। समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि

60-161 कागज की-किताब।

20] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिजली में 50 प्रतिशत की छूट की पात्रता किससे होगी

7 वर्षों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन तिथि 5/2/2010 "।

7.10. 1 . उपरोक्त निर्णय के आधार पर और उसके अनुसार,

सदस्य-सचिव, एस. एल. एस. सी. आवश्यक जारी करने के लिए आगे बढ़े

29.04.2011 पर अपीलार्थी को पात्रता प्रमाण पत्र।

7.11 . इसके बाद, अपीलार्थी कंपनी से संबंधित मामला

एस. एल. एस. सी. की दिनांक 17.10.2011 की बैठक में विशेष रूप से निवेश और उधार की मात्रा के संदर्भ में पुनः जांच की गई थी और एस. एल. एस. सी. द्वारा अंत में लिया गया निर्णय अपने अनुवादित संस्करण में इस प्रकार हैः

" योजना के तहत समिति के पास पूरा होने के बाद और

इकाई द्वारा वांछनीय पात्रता शर्तों और वित्त के दिशानिर्देशों का आधार

तदनुसार समिति, और इकाई से प्राप्त जानकारी पूंजी के तहत 216.25 करोड़ का ई. सी. बी. क्रेडिट भी जोड़ा गया है।

निवेश योजना, पर 5-2-2010 से कुल 666.25 करोड़ रुपये

नई इकाई के आधार पर पूंजी निवेश सब्सिडी (5 प्रतिशत ब्याज)

घटक और 25 प्रतिशत पशु चिकित्सक घटक) 7 वर्षों के लिए पात्रता

5-2-2010 से निर्णय लेने की अवधि, संशोधित पात्रता

इकाई के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। कुल वेतन क्षमता पूंजी निवेश सब्सिडी के तहत इकाई, 75 प्रतिशत की कुल सीमा

वैट जमा का, दिनांकित बैठक में लिया गया निर्णय

17-3-2011 निर्णय की श्रृंखला के अनुसार देय होगा

इकाई। ”

7.12 . दिनांकित एस. एल. एस. सी. के उपरोक्त निर्णय के अनुसार

17.10.2011 , उद्योग आयुक्त कार्यालय, राजस्थान ने 24.11.2011 पर अपीलकर्ता कंपनी को एक संशोधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया, जो पहले के दिनांकित 29.04.2011 प्रमाण पत्र का स्थान लेता

है और निम्नलिखित में पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए अपीलकर्ता की पात्रता को प्रमाणित करता है। शर्तें:

" 8. पूँजी निवेश अनुदान:

(i) ब्याज घटक

सीआरएस। ई. सी. बी. क्रेडिट कुल 666.25 करोड़। केवल)

@ 25 % 05.02.2010 से

((ii) मजदूरी और रोजगार। घटक

24 पीपी। 165-166 पेपर की-पुस्तक एम/एस।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

ध्यान दें:

1. नई इकाइयों के मामले में, ब्याज की अधिकतम राशि और

मजदूरी/रोजगार सब्सिडी राज्य के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

बिक्री कर/वैट और आवेदक द्वारा भुगतान किया गया केंद्रीय बिक्री कर

विक्रेता।

2. यह प्रमाणपत्र संशोधन/निलंबन/निरसन के लिए उत्तरदायी है।

धोखाधड़ी या किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन पर, संबंधित अधिसूचना में उल्लिखित।

3. यह प्रमाण पत्र सात साल की अवधि के लिए वैध होगा।

05.02.2010 .

4. इस प्रमाणपत्र को जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है।

मामला आवेदक योजना की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है

या प्रमाण पत्र।

5. यह संशोधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है।

पहले जारी किए गए पात्रता प्रमाणपत्र का स्थान लेना नं. 29.04.2011 पर 02/190। "

(मूल के रूप में बोल्ड)

7.13 . यह बहुत विवाद का विषय नहीं है कि अपीलार्थी पूरी तरह से

फरवरी 2010 के महीने से और फरवरी 2017 के महीने तक पात्रता प्रमाण पत्र के संदर्भ में 75 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठाया।

8. प्रस्तावों से संबंधित तथ्यों का पूर्वगामी वर्णन

अपीलकर्ता कंपनी के साथ-साथ विभिन्न चरणों में संबंधित अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय भी इस मामले के स्पेक्ट्रम के केवल एक हिस्से को दर्शाते हैं। समग्र परिदृश्य को समझने के लिए, कई अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

8.1 . जैसा कि देखा गया है, एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि

07.06.2009 , राजस्थान के नाम पर एक अन्य निकाय के गठन के साथ राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाने के कारण बी. आई. डी. आई. का अस्तित्व समाप्त हो गया। निवेश संवर्धन बोर्ड डब्ल्यू. ई. एफ. 08.06.2009

8.2 . एक अन्य उल्लेखनीय पहलू यह था कि प्राप्त होने पर

एस. एल. एस. सी. की दिनांक 17.03.2011 की बैठक के कार्यवृत्त, राज्य सरकार के वित्त विभाग ने [2020] 7 एस. सी. आर. के निर्णय की शुद्धता पर संदेह जताते हुए सदस्य सचिव, एस. एल. एस. सी. को दिनांकित 17.11.2011 का एक पत्र भेजा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बी. आई. डी. आई. के निर्णय के संदर्भ में एस. एल. एस. सी., विशेष रूप से जब यह था

यह स्पष्ट नहीं है कि बी. आई. डी. आई. ने अपीलार्थी की इकाइयों से संबंधित मामलों में सब्सिडी की अधिकतम सीमा को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का आदेश कब जारी किया। इस 17.11.2011 दिनांकित पत्र की सामग्री दी गई है

ए. सी. एस. दिनांक 12.03.2018 के आक्षेपित क्रम में विस्तार से पुनः प्रस्तुत किया गया और उससे संबंधित मार्ग को 25 के तहत उपयोगी रूप से निकाला जा सकता हैः

" मेसर्स के दोनों मामलों में। वैट की 75 प्रतिशत सीमा तक लाभ के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट अनुदान का उल्लेख किया गया है, जबकि योजना के खंड 7 (1) (ए) और (बी) के प्रावधान के अनुसार 50 प्रतिशत अधिकतम सीमा केवल अवसंरचना विकास बोर्ड द्वारा बढ़ाई जा सकती है और

निवेश संवर्धन। (बी. आई. डी. आई)

बी. आई. डी. आई. का पुनर्गठन प्रशासनिक सुधारों द्वारा किया गया था।

विभाग ने अपने आदेश सं। एफ. 6 (51)/ए. आर./जी. आर. 3/96 दिनांकित

15.1.2005 . उक्त आदेश दिनांक 15.1.2005 के अधिक्रमण में

प्रशासनिक सुधार विभाग ने अपने आदेश सं। एफ. 6 (51)

ए. आर./जी. आर. 3/96 दिनांक 8.6.2009 ने राजस्थान निवेश का गठन किया पदोन्नति बोर्ड (आर. आई. पी. बी.) जैसे कि 7.6.2009 के बाद BIDI ने नहीं किया है

अस्तित्व में था। इन मामलों में आर. आई. पी. एस.-2003 के तहत आवेदन

यह क्रमशः 23.2.2010 और 19.6.2009 पर दाखिल किया गया है और यह है उपलब्ध जानकारी से स्पष्ट नहीं है कि बी. आई. डी. आई. ने कब जारी किया

इन मामलों में पूंजी निवेश सब्सिडी की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने का आदेश। आर . आई. पी. एस.-2003 के तहत स्वीकृत पदोन्नति के संबंध में सभी प्रासंगिक तथ्य वित्त विभाग की फाइल में उपलब्ध रहे।

इन मामलों में आवश्यक तथ्यात्मक टिप्पणियों को अग्रेषित किया जा सकता है। वित्त विभाग को जल्द से जल्द "।

8.3 . ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त संचार और उसके अनुस्मारक

वित्त विभाग से लेकर उद्योग विभाग तक लंबे समय तक कोई जवाब नहीं मिला। 26 अंत में, एक जवाब दिनांकित

26 प्रस्तुतियों के दौरान, तथ्यों को हमारे सामने यह भी रखा गया है कि उद्योग विभाग ने दिनांक 17.11.2011 के उपरोक्त पत्र का जवाब नहीं भेजा था 18.05.2012,20.05.2013,17.06.2013,29.07.2013 और 12.09.2013 दिनांकित बार-बार अनुस्मारक के बावजूद। अनाचार से बचने के इन पहलुओं के संबंध में और अपीलार्थी के पक्ष में की गई मंजूरी के संबंध में, बड़े जुर्माने के लिए एक विभागीय जांच भी एम/एस थी।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

09.02.2017 सदस्य-सचिव, एस. एल. एस. सी. द्वारा अग्रेषित किया गया था, जिसमें भी कुछ टंकण संबंधी त्रुटियां थीं और इसलिए, उक्त सदस्य-सचिव द्वारा 'आई. डी. 2' पर एक और जवाब भेजा गया था, जिसमें दिनांकित 'आई. डी. 1' की बैठक में अपीलार्थी को '75 प्रतिशत तक पूंजी निवेश सब्सिडी देने के संबंध में तथ्यात्मक टिप्पणियां' प्रस्तुत करने की मांग की गई थी। इसमें, उक्त सदस्य-सचिव ने अन्य बातों के साथ कहा कि "शायद" लाभ बी. आई. डी. आई. द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर दिया गया था। 17.02.2017 दिनांकित इस संचार को दिनांकित 12.03.2018 के आक्षेपित आदेश में भी पुनः प्रस्तुत किया गया है और इसके प्रासंगिक मार्ग को तैयार संदर्भ के लिए 2 7 के तहत पुनः प्रस्तुत किया जा सकता हैः

" विशेष रूप से, योजना के खंड 7 (vi) में प्रावधान था कि सीमेंट इकाइयों को न्यूनतम रोजगार प्रदान करने के अधीन वैट के भुगतान/निक्षेपण के 75 प्रतिशत तक पूंजी निवेश सब्सिडी दी जाए।

200 व्यक्ति और Rs.400 करोड़ का निवेश। बाद में कहा गया कि

रुपये से अधिक का निवेश किया। 100 करोड़ लेकिन रुपये से कम। 200.00 करोड़ रुपये से देय/जमा कर/वैट के 60 प्रतिशत तक और 200 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी दी जा सकती थी, इसे देय/जमा कर/वैट के 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता था। शायद इकाई के लिए लाभप्रद बी. आई. डी. आई. की बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर दिया गया था

उपरोक्त खंड के तहत दिनांकित 1.1.2006 (sic)। इसके अलावा, इस कार्यालय में कोई अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस संबंध में अनुरोध किया जाता है

वित्त विभाग को मामले की स्वयं जांच करने और निर्णय लेने के लिए।

8.4 . दिनांक 17.02.2017 पर उपरोक्त उत्तर प्राप्त करने के बाद, राज्य सरकार के वित्त विभाग ने अपनी बात व्यक्त की बी. आई. डी. आई. के निर्देशों के कथित संदर्भ में एस. एल. एस. सी. द्वारा लिए गए निर्णय पर आपत्ति जताते हुए और अन्य बातों के साथ-साथ इस मामले में उचित कार्रवाई की उम्मीद करते हुए उद्योग विभाग को अपना दिनांक 03.04.2017 भेजाः

" इस संबंध में प्राप्त जानकारी और दस्तावेजों से

वित्त विभाग से यह प्रतीत होता है कि

तत्कालीन अतिरिक्त निदेशक, उद्योग के खिलाफ प्रस्ताव, जो आर. आई. पी. एस.-2003 के तहत कार्यात्मक अधिकारी के रूप में प्रासंगिक समय पर काम कर रहे थे। यह बताया गया है कि उक्त अधिकारी के सेवानिवृत्त होने और राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के तहत समय से बाधित होने के कारण जांच आगे नहीं बढ़ सकी। 27 पीपी। 470-472 कागज-पुस्तक [2020] 7 एस. सी. आर.

आर. आई. पी. एस. 2003 के खंड 7 (i) (ए) और (बी) को बी. आई. डी. आई. के समक्ष नहीं रखा गया था, इसलिए बी. आई. डी. आई. द्वारा कोई अनुमोदन नहीं किया गया था। बी. आई. डी. आई. की दिनांक 1.4.2006 की 21 वीं बैठक में एजेंडा आइटम संख्या 13 के तहत ग्रासिम इंडस्ट्रीज के कोटपुतली सीमेंट संयंत्र का मामला रखा गया था। बी. आई. डी. आई. के समक्ष जिसके संबंध में बी. आई. डी. आई. ने निम्नलिखित आदेश पारित किए:

" बी. आई. डी. आई. ने निर्देश दिया कि हाल ही में घोषित सीमेंट पैकेज और आर. आई. पी. एस.-2003 कंपनी पर लागू होंगे। कोई भी बदलाव

वैट के बाद की व्यवस्था अन्य इकाइयों पर भी उपलब्ध होगी।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि बी. आई. डी. आई. द्वारा उपखंड 7 (i) (ए) और (बी) के प्रावधान के अनुसार 75 प्रतिशत सब्सिडी देने के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई थी। मेसर्स के मामले में आर. आई. पी. एस. 2003। यूट्रेक्ट सीमेंट लिमिटेड (इकाई)

- कोटपुतली सीमेंट वर्क्स)।

एम/एस के संबंध में। अल्ट्राटेक शंभूपुरा जिला चित्तौड़गढ़ (यूनिट आदित्य सीमेंट वर्क्स-II) और मेसर्स। यूट्रेक्ट सीमेंट लिमिटेड (इकाई-कोटपुतली सीमेंट वर्क्स) संक्षिप्त टिप्पणी

(नोट-ए और नोट-बी) संलग्न किए जा रहे हैं जो यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एस. एल. एस. सी. के रूप में रखे गए एजेंडा नोटों में बी. आई. डी. आई. द्वारा इन मामलों के लिए 75 प्रतिशत पूंजी निवेश सब्सिडी की मंजूरी दिखाई जा रही है और एस. एल. एस. सी. ने दोषपूर्ण निर्णय लिया है। इन मामलों में एस. एल. एस. सी. का निर्णय दोषपूर्ण है और राजस्व ब्याज के विपरीत है इसलिए यह है - सभी तथ्यों के साथ मामलों को फिर से रखना आवश्यक है और

एस. एल. एस. सी. के समक्ष दस्तावेज।

वित्त के सम संख्या वाले 17.11.2011 दिनांकित पत्र द्वारा

संबंधित आदेश की जानकारी मांगने पर विभाग बी. आई. डी. आई. द्वारा सब्सिडी सीमा को 75 प्रतिशत तक बढ़ाने पर आपके कार्यालय ने 5 साल से अधिक के अंतराल के बाद जवाब दिया है। जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता

इस तरह की देरी भी दिखाई देती है। (sic)

तदनुसार कार्रवाई करें और वित्त को अद्यतन करें।

विभाग "।

9. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, एस. एल. एस. सी. ने 22.05.2017 पर आयोजित अपनी 20 वीं बैठक में इस मामले को फिर से उठाने के लिए आगे बढ़ा। आई. डी. 1 दिनांकित कार्यवृत्त की बैठक में एस. एल. एस. सी.

ने बी. आई. डी. आई. के निर्णय के उद्देश्य और प्रभाव पर वित्त विभाग द्वारा उठाए गए मुद्दों को रेखांकित किया और खंड एम/एस के तहत उचित कार्रवाई का सुझाव दिया।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]आर. आई. पी. एस.-2003 एस. एल. एस. सी. दिनांकित 5.2017 के इस संकल्प के प्रासंगिक भाग को भी 28 के तहत उपयोगी रूप से निकाला जा सकता हैः

इसी तरह बी. आई. डी. आई. की दिनांकित 01-04-2006 की बैठक से इसका अवलोकन किया गया है। 13 कि केवल कोटपुतली संयंत्र के लिए चर्चा की गई थी और शंभूपुरा जिले के चित्तौड़गढ़ संयंत्र के मामले को चर्चा के लिए बी. आई. डी. आई. के समक्ष नहीं रखा गया है। विस्तृत कार्रवाई पर बी. आई. डी. आई. की दिनांकित 1-4-2006 बैठक

एजेंडा नं. 13 निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है -

आर. आई. पी. एस.-2003 कंपनी पर लागू होगा। पोस्ट में कोई भी बदलाव अन्य इकाइयों के लिए भी वैट व्यवस्था उपलब्ध होगी।

संभवतः, बी. आई. पी. ने अपने दिनांकित 17-6-2006 पत्र में बी. आई. डी. आई. के निर्णयों पर लिखा है क्योंकि यह कार्यान्वयन है। यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त पैकेज सीमेंट इकाइयों के लिए है, इसे वापस ले लिया गया है

& यह इन इकाइयों के लिए लागू नहीं है।

प्रथम दृष्टया, यह स्पष्ट है कि शंभूपुरा (जिला-चित्तौड़गढ़) का मामला बी. आई. डी. आई. के समक्ष नहीं रखा गया था। जबकि

कोटपुतली (जिला-जयपुर) संयंत्र का मामला, इसके लिए सहमति निवेश सब्सिडी सीमा को जमा राशि के 75 प्रतिशत तक बढ़ाना।

कर सीमा स्पष्ट नहीं है।

समिति से निम्नलिखित कानूनी पहलुओं पर ध्यान आकर्षित करने का अनुरोध किया जाता है -

वित्त विभाग द्वारा अपेक्षित कार्रवाई के संबंध में प्रावधान

(i) योजना प्रावधान के नियम 12 के अनुसार यदि राज्य स्तर पर

जाँच समिति के निर्णय के 60 दिनों के भीतर एक पत्र प्राप्त हो गया है, फिर समिति अपने निर्णय की समीक्षा करेगी।

((ii) नियम 13 के तहत एक प्रावधान है कि वित्त विभाग के स्वयं के आदर्श वाक्य या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त जानकारी के आधार पर जांच समिति के निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। यदि निर्णय सरकार के हितों के खिलाफ है। हालाँकि निर्णय बदलने से पहले, लाभार्थी इकाइयों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए

पूर्ण लाभ के 5 साल बाद की समय सीमा।

पात्रता प्रमाण पत्र इकाई के पक्ष में 29-4-2011 पर जारी किया गया था। समय सीमा 6 महीने की थी जो पहले ही समाप्त हो चुकी है। लेकिन दी गई लाभ अवधि 7 साल के लिए थी,

संभवतः, यह अभी भी जारी है। इसलिए, नियम 13 के तहत, वित्त विभाग द्वारा कार्रवाई की समय सीमा समाप्त नहीं हुई है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि इस मामले में नियम 13 के तहत सिफारिश वित्त विभाग को भेजी जा सकती है और इसे तय किया जा सकता है

जिम्मेदारी की कार्रवाई फाइल पर की जा सकती है।

अंत में, राष्ट्रपति को धन्यवाद और बैठक है

बन्द "।

आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 13 के तहत पुनरीक्षण कार्यवाहीः

दिनांकित आक्षेपित आदेश 12.03.2018

10. एस. एल. एस. सी. की उपरोक्त सिफारिश के बाद, एक नोटिस

बेयरिंग नं. पी12 (55) वित्त/कर/2017-भाग-I दिनांक 10.07.2017 राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित के बारे में सूचित करते हुए अपीलार्थी को जारी किया गया था। आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 13 के तहत वित्त विभाग की कार्रवाई, क्योंकि एस. एल. एस. सी. द्वारा 17.03.2011 पर लिया गया निर्णय गलत और राजस्व के हित के खिलाफ पाया गया था। अपीलार्थी को बुलाया गया था कि

प्रासंगिक दस्तावेजों और साक्ष्यों के साथ बचाव में प्रवेश करें।

10.1 . राज्य सरकार से दिनांक 10.07.2017 का उपरोक्त नोटिस प्राप्त करने के बाद, अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत बी. आई. डी. आई. की दिनांकित 01.04.2006 की बैठक के कार्यवृत्त और दिनांकित 28.03.2006 की बी. आई. डी. आई. की पूर्व बैठक के कार्यवृत्त में मद संख्या 13 के संबंध में कार्यसूची नोट की एक प्रति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन किया। आवश्यक प्राप्त करने के बाद

दस्तावेजों, अपीलार्थी ने अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कीं और अन्य बातों के साथ-साथ इस आशय के कारण बताए जाने के नोटिस का जवाब दिया कि उसने आर. आई. पी. एस.-2003 के तहत 05.10.2010 के तहत उसे दिए गए पात्रता प्रमाण पत्र और सात साल की अवधि के आधार पर लाभ उठाया था। पूरा होने पर, प्राप्त लाभ को वापस नहीं लिया जा सकता है। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि एस. एल. एस. सी. द्वारा पहले लिया गया निर्णय एक प्रामाणिक और उचित निर्णय था, जो अनुमेय व्याख्या का था; और यदि एक से अधिक व्याख्या संभव थी, तो निर्धारिती के पक्ष में व्याख्या को स्वीकार किया जाना चाहिए। अपीलार्थी ने यह भी प्रस्तुत किया कि उसने

एक करोड़ रुपये का भारी निवेश किया। 1661.88 दिनांक 02.12.2005 की अधिसूचना के आधार पर करोड़ रुपये और वचन के सिद्धांतों का आह्वान किया गया

एस्टोपल। यह भी तर्क दिया गया कि एस. एल. एस. सी. को राज्य सरकार द्वारा मामले को संशोधन के लिए भेजने का कोई अधिकार नहीं है। एम/एस की ओर से।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

विभाग, अपीलार्थी की आपत्तियों का जवाब, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क देते हुए दायर किया गया था कि अपीलार्थी की इकाई का मामला बी. आई. डी. आई. द्वारा अनुमोदित नहीं था और प्राप्त लाभ आर. आई. पी. एस.-2003 के तहत अनुमेय सीमा से बहुत अधिक था। यह भी तर्क दिया गया कि खंड 13 के तहत राज्य सरकार की शक्ति किसी भी आदेश को संशोधित करने के लिए पर्याप्त थी अनुचित लाभ देना जो गलत और राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल था। अपीलार्थी ने प्रस्तुतियों के साथ एक विस्तृत प्रत्युत्तर दायर किया कि सब्सिडी आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के उपखंड (vi) और (vii) के तहत नहीं दी गई थी, बल्कि यह राज्य सरकार के साथ किए गए समझौता ज्ञापन और आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) के प्रावधान के आधार पर दी गई थी।

11. विद्वान अपर मुख्य सचिव ने पूरी जांच की

अभिलिखित करें और अपीलार्थियों की सभी आपत्तियों पर ध्यान दें और फिर अपने दिनांक 12.03.2018 के विस्तृत आदेश में यह अभिनिर्धारित किया कि एस. एल. एस. सी. ने गलती से दिनांक 29.04.2006 पर उपरोक्त पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए थे और

24.11.2011 ; और यह कि अपीलार्थी देय और जमा किए गए कर के 50 प्रतिशत से अधिक सब्सिडी का हकदार नहीं था। दिनांकित 12.03.2018 के आक्षेपित क्रम में प्रासंगिक टिप्पणियाँ और निष्कर्ष निम्नानुसार हैं:

" 27. निष्कर्ष के प्रकाश में उपरोक्त प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त करें

ऊपर बताए गए समग्र निष्कर्ष पर विचार निम्नानुसार किया गया है: i) दिनांकित बैठक के एजेंडा संख्या 13 के तहत लिया गया निर्णय

17.03.2011 राज्य स्तरीय जांच समिति (एसएलएससी) गलत है क्योंकि मामले पर विचार करते समय

समिति ने अनुमान लगाया कि पूंजी निवेश में वृद्धि

राजस्थान निवेश संवर्धन योजना, 2003 (आर. आई. पी. एस.-2003) के खंड 7 (आई) (ए) और 7 (आई) (बी) के पहले प्रावधान के अनुसार जमा कर की सब्सिडी 50 प्रतिशत की सीमा से 75 प्रतिशत की सीमा तक कर दी गई है।

अवसंरचना विकास बोर्ड द्वारा अनुमोदित और

निवेश संवर्धन (बी. आई. डी. आई.) ने अपनी दिनांकित 01.04.20016 (एस. आई. सी.) की बैठक में बोर्ड द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। अवसंरचना विकास और निवेश संवर्धन

(बी. आई. डी. आई.) राजस्थान निवेश के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध पूंजी निवेश सब्सिडी को 50 प्रतिशत की सीमा से बढ़ाकर देय और जमा कर के 75 प्रतिशत करने के लिए।

पदोन्नति योजना 2003 (आर. आई. पी. एस.-2003)।

(ii) अनुसूची संख्या 13 के तहत लिए गए निर्णय को आगे बढ़ाते हुए।

राज्य स्तरीय जांच समिति [2020] 7 एस. सी. आर. की दिनांकित बैठक।

(एस. एल. एस. सी.) ने राज्य स्तरीय जांच समिति (एस. एल. एस. सी.) की अगली बैठक के एजेंडा संख्या 18 के तहत कुल देय कर के 75 प्रतिशत तक पूंजी निवेश सब्सिडी का संदर्भ भी गलत है।

राज्य स्तरीय जांच समिति (एस. एल. एस. सी.) की दिनांकित बैठक के एजेंडा संख्या 13 के तहत लिया गया निर्णय और राज्य स्तरीय जांच समिति (एस. एल. एस. सी.) की अगली बैठक में एजेंडा संख्या 18 के तहत कुल देय कर के 75 प्रतिशत की पूंजी निवेश सब्सिडी के संदर्भ में लिया गया निर्णय राज्य राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल है क्योंकि इकाई पूंजी निवेश में किए गए निवेश के लिए सब्सिडी देय के 50 प्रतिशत तक उपलब्ध थी और राजस्थान निवेश संवर्धन योजना, 2003 (आर. आई. पी. एस.-2003) के खंड 7 (i) (ए) के अनुसार ही कर जमा किया गया था, लेकिन राज्य स्तरीय जांच समिति (एस. एल. एस. सी.) ने इसे देय और जमा कर के 75 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस प्रकार, कंपनी को राजस्थान निवेश संवर्धन योजना, 2003 (आर. आई. पी. एस.-2003) के तहत देय पूंजी निवेश सब्सिडी से अधिक राशि राज्य कोषागार से प्राप्त हुई है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, राज्य स्तरीय जांच समिति (एस. एल. एस. सी.) की दिनांकित बैठक के एजेंडा संख्या 13 के तहत लिया गया निर्णय और उसे आगे बढ़ाते हुए पूंजी के संदर्भ में लिया गया निर्णय।

राज्य स्तरीय जांच समिति (एस. एल. एस. सी.) की अगली बैठक के एजेंडा संख्या 18 के तहत कुल देय कर का 75 प्रतिशत निवेश सब्सिडी गलत है और राज्य राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल है, इसलिए राज्य स्तरीय जांच के निर्णय में संशोधन किया गया है। राजस्थान निवेश संवर्धन योजना, 2003 (आर. आई. पी. एस.-2003) के खंड 13 के तहत वित्त विभाग द्वारा पुनरीक्षण कार्यवाही में समिति (एस. एल. एस. सी.) की आवश्यकता है और यह विधिसम्मत है।

राज्य स्तरीय जांच का निर्णय दिनांक 17.3.2011 समिति (एस. एल. एस. सी.) मेसर्स में निर्धारित सीमा के भीतर संशोधन कर रही है।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

राजस्थान निवेश संवर्धन योजना का खंड 13 (बी),

2003 (आर. आई. पी. एस-2003)।

11.1 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विद्वान अपर मुख्य सचिव ने अपीलार्थी और एस. एल. एस. सी. को निम्नलिखित शर्तों में निर्देश दिएः

28. अतः, इस पुनरीक्षण कार्यवाही में प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है -

संशोधन के लिए वित्त विभाग को भेजे गए बिंदुओं का संदर्भ

राजस्थान निवेश संवर्धन योजना, 2003 के खंड 13 के तहत

(आर. आई. पी. एस.-2003) राज्य स्तरीय जाँच द्वारा लिया गया निर्णय समिति (एस. एल. एस. सी.) ने अपनी दिनांकित 17.03.2011 की बैठक में जैसा कि निर्णय लिया गया

i) कंपनी की कोटपुतली सीमेंट कार्य इकाई सक्षम होगी के खंड 7 (i) (a) के प्रावधान के अनुसार पूंजी निवेश सब्सिडी प्राप्त करें

राजस्थान निवेश संवर्धन योजना, 2003 (आर. आई. पी. एस.-2003)

देय और जमा किए गए कर का 50 प्रतिशत की सीमा क्योंकि अवसंरचना विकास बोर्ड द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और

पूँजी निवेश बढ़ाने के लिए निवेश संवर्धन (बी. आई. डी. आई.)

राजस्थान निवेश संवर्धन योजना, 2003 (आर. आई. पी. एस.-2003) के खंड 7 (आई) (ए) और 7 (आई) (बी) के प्रावधान के अनुसार सब्सिडी 50 प्रतिशत से

75 % देय और जमा किए गए कर का।

ii) में जारी किया गया पात्रता प्रमाण पत्र दिनांक 29.04.2011

राज्य स्तरीय जांच समिति (एसएलएससी) की बैठक को आगे बढ़ाना

दिनांकित 17.03.2011 और संशोधित पात्रता प्रमाण पत्र भी दिनांकित

24.11.2011 दिनांक 17.10.2011 की बैठक को आगे बढ़ाने के लिए जारी किया गया

और यह राज्य स्तरीय जाँच समिति (एस. एल. एस. सी.) को आदेश दिया जाता है कि निवेश सब्सिडी के लिए नया पात्रता प्रमाण पत्र जारी करना

50 % कोटपुतली सीमेंट कार्य इकाई के लिए कुल कर की सीमा

कंपनी।

iii) पूंजी निवेश सब्सिडी के संवितरण अधिकारी

राज्य स्तरीय जाँच समिति (एस. एल. एस. सी.) द्वारा इस पुनरीक्षण आदेश और मामले में कंपनी इस संदर्भ में

इकाई को पहले ही देय पूंजी से अधिक लाभ मिल चुका है।

इस संशोधन आदेश के तहत निवेश सब्सिडी तब वसूली के लिए

कंपनी से अतिरिक्त राशि बताई।

v) कंपनी को पूंजी के लाभों को वापस करने का आदेश दिया जाता है। राज्य स्तरीय जांच समिति (एस. एल. एस. सी.) के गलत आदेश के तहत देय और जमा किए गए कर के 50 प्रतिशत से अधिक की निवेश सब्सिडी राज्य को 18 प्रतिशत ब्याज के साथ दी जाती है।

सरकार "।

12. ए. सी. एस. दिनांक 12.03.2018 के उपरोक्त आदेश के अनुसार, एस. एल. एस. सी. की एक बैठक 28.03.2018 पर आयोजित की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि

24.11.2011 पर अपीलार्थी के पक्ष में जारी पात्रता प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया जाए और उसके स्थान पर एक संशोधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाए जिसमें निम्नलिखित के स्थान पर 50 प्रतिशत की सीमा तक पूंजी निवेश सब्सिडी की अनुमति दी जाए: 75 % जमा बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर/वस्तु एवं सेवा कर। तदनुसार, संशोधित पात्रता प्रमाण पत्र दिनांक 1 इस आशय से जारी किया गया था कि 'ब्याज और मजदूरी/रोजगार सब्सिडी की अधिकतम राशि राज्य बिक्री कर/वैट और आवेदक विक्रेता द्वारा भुगतान किए गए केंद्रीय बिक्री कर के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।'

12.1 . उपरोक्त की अगली कड़ी में, एसीएस द्वारा 04.04.2018 दिनांकित एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें कुल कर और अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ उठाया गया था। कंपनी की गणना 05.02.2010 से 31.12.2016 तक की अवधि के लिए की गई थी।

और जिसके द्वारा, अपीलार्थी को निम्नलिखित शर्तों में ब्याज के साथ अतिरिक्त प्राप्त सब्सिडी की राशि वापस करने का निर्देश दिया गया था:

" इसलिए आपको अतिरिक्त पूंजी जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

निवेश अनुदान राशि रु। 15,96,37,794 / -ब्याज के साथ रु। 17,18,33,816 / - उस पर कुल रु. 33,14,71,610 / राज्य कोषागार में बजट शीर्ष (वैट-अन्य गलत भुगतान) के तहत ई-ग्रास के माध्यम से 3.5.2008 तक और अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति के समक्ष इसका साक्ष्य प्रस्तुत करें। कृपया ध्यान दें कि अतिरिक्त लाभ उठाने के मामले में 18 प्रतिशत ब्याज के भुगतान के लिए प्रपत्र संख्या 2 में उपक्रम

कंपनी द्वारा पहले ही लाभ दिए जा चुके हैं।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त राशि रु। 33,14,71,610 / - राजस्थान निवेश संवर्धन योजना 2003 के प्रावधानों के तहत 31.05.2018 तक जमा नहीं किया गया है, फिर मैसर्स।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

उक्त राशि कंपनी से भूमि राजस्व के रूप में वसूल की जाएगी।

देय राशि "।

उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाः दिनांकित आक्षेपित आदेश 11.01.2019

13. आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 13 के तहत संशोधन कार्यवाही में ए. सी. एस. द्वारा पारित दिनांक 12.03.2018 के आदेश से व्यथित; जारी करना।

पुनः संशोधित पात्रता प्रमाणपत्र; और ए. सी. एस. का दिनांकित 04.04.2018 आदेश जिसमें अतिरिक्त सब्सिडी की मांग की गई है। 15,96,37,794 / - रुपये की ब्याज राशि के साथ। 17,18,33,816 / - , अपीलार्थी ने आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 13 को मनमाना और असंवैधानिक होने के साथ-साथ दिनांकित 12.03.2018,02.04.2018 के आदेशों को रद्द करने की राहत की मांग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की पीठ के समक्ष 2018 की डब्ल्यू. पी. संख्या 9090 होने के कारण रिट याचिका को प्राथमिकता दी। और अन्य प्रार्थनाओं के बीच 28.03.2018। उच्च न्यायालय ने दिनांक 11.01.2019 के विवादित आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया है। विषय-वस्तु और उससे जुड़े प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए, हम उन कारणों पर भी ध्यान दे सकते हैं जो अपीलार्थी के मामले को अस्वीकार करने में उच्च न्यायालय के साथ प्रचलित थे।

13.1 . उच्च न्यायालय ने सबसे पहले अपीलार्थी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि यदि सब्सिडी देने में कोई गलती हुई है, तो

खंड 9 (बी) (vii) के संदर्भ में केवल चार साल की अवधि के भीतर सुधार किया गया है, जैसा कि राजस्थान मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 द्वारा निर्धारित किया गया है। वाणिज्यिक कर विभाग के निर्धारण अधिकारी द्वारा आवेदन करने का इरादा था और खंड 13 के तहत कार्रवाई के लिए कोई बाधा नहीं थी

आर. आई. पी. एस.-2003।

13.2 . इसके बाद, उच्च न्यायालय ने आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 का बारीकी से विश्लेषण किया और इसके विभिन्न संशोधनों/संशोधनों पर भी ध्यान दिया, जैसा कि यहां पहले वर्णित किया गया है। उच्च न्यायालय ने कंपनी द्वारा सीधे किए गए आवेदन सहित पक्षों के लेनदेन का भी उल्लेख किया

बी. आई. डी. आई.; पूर्व-बी. आई. डी. आई. बैठक दिनांक 28.03.2006 के कार्यवृत्त; बी. आई. डी. आई. बैठक दिनांक 01.04.2006 के कार्यवृत्त; कंपनी द्वारा 26.04.2006 पर किया गया दूसरा आवेदन; और कंपनी द्वारा 26.05.2006 पर किया गया अभ्यावेदन। इस प्रकार अभिलेख पर प्रासंगिक सामग्री की जांच करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि कंपनी ने लाभों के लिए प्रार्थना की खंड 7 के नए अंतःस्थापित उपखंड (vii) के तहत दिनांकित 26.04.2006 आवेदन के माध्यम से, लेकिन खंड 7 के दोनों उपखंड (vi) और (vii) [2020] 7 एस. सी. आर. थे।

सरकार द्वारा 28.04.2006 पर हटा दिया गया। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि कंपनी इस तथ्य से पूरी तरह से अवगत थी कि वह इसे प्राप्त नहीं करेगी।

कंपनी की निवेश योजना को बड़ा झटका; और यह अनुरोध करना कि अधिसूचना दिनांक 28.04.2006 के तहत नए जोड़े गए खंडों पर पुनर्विचार किया जाए। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि बी. आई. पी. ने अनुकूलित पैकेज के अनुरोध के संबंध में दिनांक 17.06.2006 के अपने संचार में, केवल यह कहा गया है कि कंपनी रियायतों के लिए पात्र होगी

आर. आई. पी. एस.-2003 में निहित; और यहां तक कि दिनांक 30.11.2007 के समझौता ज्ञापन में भी कहा गया था कि राज्य परियोजना प्रोत्साहनों का विस्तार करेगा।

आर. आई. पी. एस.-2003 के तहत परियोजना के लिए अनुमत

समय-समय पर '।

13.3 . उच्च न्यायालय ने आगे उपरोक्त पर ध्यान दिया

दिनांक 2 का स्पष्टीकरण जिसके द्वारा राज्य सरकार ने यह स्पष्ट किया कि 'आर. आई. पी. एस.-2003 डब्ल्यू. ई. एफ. <आई. डी. 1 के खंड 7 के उपखंड (vi) और (vii) को हटाने पर, स्पष्टीकरण में क्रम संख्या 1 से 6 में गिने गए प्रकारों में से कोई भी हटाए गए उपखंडों के तहत लाभ के लिए योग्य नहीं होगा।' उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि दिनांक 30.09.2008 का संशोधन, जिसके द्वारा खंड 7 के उपखंड (iii) के बाद एक और परंतुक जोड़ा गया था, इस प्रभाव के लिए कि नई सीमेंट इकाई या विस्तार के तहत इकाई दोनों के लिए 22.05.2008 से पहले या पुनरुत्थान राजस्थान शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत किया गया या किया गया निवेश।

प्रतिदिन 200 टन से अधिक की क्षमता रखने वाली इकाई खंड 7 के तहत इस शर्त पर सब्सिडी के लिए पात्र होगी कि इकाई वाणिज्यिक रूप से काम करना शुरू कर देगी। 31.03.2011 द्वारा उत्पादन।

13.4 . इस प्रकार आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के संपूर्ण सरगम को इसके संशोधनों/संशोधनों के साथ-साथ पृष्ठभूमि से भी पार कर लिया गया है।

कंपनी के प्रस्तावों से संबंधित पहलुओं पर, उच्च न्यायालय ने कंपनी द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने और संशोधन दिनांक 02.12.2005 के तहत लाभों के लिए किए गए आवेदन 2 9 पर ध्यान दिया और उसमें मौलिक दोष को इंगित किया कि संशोधन दिनांक 02.12.2005 को पहले ही 28.04.2006 पर हटा दिया गया था। उच्च न्यायालय ने एस. एल. एस. सी. दिनांकित 17.03.2011 के निर्णय पर भी ध्यान दिया और उसमें मूल त्रुटि की ओर इशारा किया कि बी. आई. डी. आई. दिनांकित 01.04.2006 का निर्णय था

29 इस आवेदन पर तारीख 04.02.2010 है, लेकिन इसे 21.02.2010 पर दाखिल किया गया था, पैराग्राफ 7.9 के अनुसार। 1 और फुटनोट 21 यहाँ पहले।

एम/एस। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]y गलत समझा गया। उच्च न्यायालय ने एस. एल. एस. सी. द्वारा 22.05.2017 पर लिए गए सुधारात्मक निर्णय पर भी ध्यान दिया और निम्नलिखित टिप्पणी कीः

..... हालाँकि याचिकाकर्ताओं ने एक आवेदन प्रस्तुत किया

04.02.2010 पात्रता प्रमाण पत्र और लाभ जारी करने के लिए

अधिसूचना दिनांक 02.12.2005 के तहत जबकि संशोधन

उस अधिसूचना के तहत किए गए पहले से ही 28.04.2006 पर हटा दिए गए थे।

यह उस स्तर पर था कि एस. एल. एस. सी. ने इस आवेदन पर विचार किया

याचिकाकर्ताओं ने अपनी बैठक दिनांक 17.03.2011 में निर्देश दिया कि

इस परंतुक के तहत 75 प्रतिशत की सीमा तक सब्सिडी प्रदान करना

खंड 7 (i) (ए) और (बी) कथित रूप से दी गई मंजूरी को देखते हुए

बी. आई. डी. आई. 21 तारीख के कार्यवृत्त की सावधानीपूर्वक जाँच

01.04.2006 पर आयोजित बी. आई. डी. आई. की बैठक से पता नहीं चलता है

बी. आई. डी. आई. की ओर से ऐसा कोई निर्णय। बीआईडीआई बस निर्देश दिया कि हाल ही में आर. आई. पी. एस. में सीमेंट पैकेज की घोषणा की गई

2003 यह कंपनी पर लागू होगा। एसएलएससी आगे पुनरीक्षण के लिए अपनी दिनांकित 17.10.2011 बैठक में इस मामले पर विचार किया गया

पात्रता प्रमाण पत्र। नतीजतन, अधिकार

29.04.2011 पर जारी प्रमाण पत्र को 24.11.2011 पर संशोधित किया गया था। द. तदनुसार याचिकाकर्ताओं ने सब्सिडी का लाभ उठाया। हालांकि, एसएलएससी

दिनांकित अपनी बैठक में 22.05.2017 ने पत्र पर इस मुद्दे पर विचार किया

विभाग से प्राप्त हुआ, जिसमें पाया गया कि बी. आई. डी. आई. ने कभी नहीं

सब्सिडी को 75 प्रतिशत तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई और तदनुसार

खंड के तहत कार्यवाही के लिए सरकार को सिफारिश की गई

13 आर. आई. पी. एस.-2003 ".

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

13.5 . समकालीन प्रदर्शनी के सिद्धांत का आह्वान

इस निवेदन के लिए अपीलकर्ता का आधा हिस्सा कि एस. एल. एस. सी., जिसमें ज्यादातर राज्य के वित्त विभाग के ई. अधिकारी शामिल थे, बी. आई. डी. आई. के निर्णय का अर्थ लगाने की स्थिति में था, को भी खारिज कर दिया गया था।

निम्नलिखित शब्दों में न्यायालयः

" यह तर्क कि एस. एल. एस. सी. जिसमें अधिकारी शामिल थे

अधिकतर राज्य के वित्त विभाग से

समकालीन प्रदर्शनी का सिद्धांत सबसे अच्छी स्थिति में था

विचार करें कि बी. आई. डी. आई. के निर्णय को सबसे पहले अस्वीकार कर दिया गया है क्योंकि बी. आई. डी. आई. के निर्णय में कोई अस्पष्टता नहीं है और

दूसरा, इस तरह के निर्णय को तथ्यों के संदर्भ में पढ़ना होगा। द. बी. आई. डी. आई. ने बाद में [2020] 7 एस. सी. आर. पर अपनी समझ की व्याख्या कभी नहीं की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

01.04.2006 . एस. एल. एस. सी. ने इस प्रकार के निर्णय को गलत समझा बीआईडीआई। आर. आई. पी. एस.-2003 भी इसके लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है।

ऐसा निर्णय। इस पहलू पर उद्धृत निर्णयों में यह कहा गया है कि इंगित किया कि किसी विशेष प्राधिकारी द्वारा ऐसी व्याख्या

न्यायालयों पर किसी भी तरह से नियंत्रण प्रभाव नहीं पड़ता है और यदि अवसर आता है, ठोस के लिए उपेक्षा की जानी चाहिए और

परिप्रेक्ष्य कारण और त्रुटि के एक स्पष्ट मामले में, अदालत

बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करने से इनकार कर देंगे निर्माण "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

13.6 . अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियों की एक और पंक्ति कि

सेंटिव्स को पूर्वव्यापी रूप से वापस नहीं लिया जा सकता है जिसे भी खारिज कर दिया गया था

द्वारा प्राप्त लाभों की प्रकृति के संदर्भ में उच्च न्यायालय

लांट। उच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित टिप्पणी कीः

" ..... उन मामलों से उद्धृत निर्णय उत्पन्न हुए जहाँ

जिसकी स्वीकृति के आधार पर कर एकत्र नहीं किया गया हो

सरकार द्वारा दी गई छूट को दायित्व के साथ नहीं जोड़ा जा सकता था

पीछे की ओर। वर्तमान मामले में स्थिति पूरी तरह से अलग है।

जिसमें याचिकाकर्ताओं ने उस समय अनुचित लाभ उठाया जब

संयंत्र की स्थापना की, जिसे बाद में पुनर्प्राप्त करने की मांग की जा रही है

व्यवसाय में इसकी पूर्ण स्थापना। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ

याचिकाकर्ताओं ने करों की वसूली नहीं की और बकाया राशि जमा नहीं की

छूट देने के लिए। इसलिए उद्धृत निर्णय लागू नहीं होते हैं।

और केवल असंभवता के सिद्धांत की अभिव्यक्ति हैं और इक्विटी के कारणों पर आधारित हैं जो इसमें लागू नहीं होते हैं।

मामला। आर. आई. पी. एस.-2003 का खंड 13 स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि लाभ

गलत तरीके से दिए जाने को पूरी तरह से लाभ उठाने के बाद वापस लिया जा सकता है और याचिकाकर्ताओं ने खुली आँखों और पूरी तरह से लाभ उठाया ज्ञान। जिन निर्णयों का उल्लेख किया गया है, उनमें ऐसी स्थिति नहीं थी याचिकाकर्ताओं की ओर से "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

13.7 . उच्च न्यायालय ने दिनांकित संशोधन की आगे जांच की 0.2008 और अपीलार्थी के लिए इसका कोई लाभ नहीं पाया गया; और एस. एल. एस. सी. के दिनांकित निर्णय में त्रुटि के मूल कारण का पता लगाएँ . 2011 जहाँ यह अपनी शक्ति के दायरे से आगे बढ़ गया था और निम्नलिखित शब्दों में ऋतिः

एम/एस। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

" खंड 7 (iii) में किए गए संशोधन के विवाद के संबंध में

पुनरुत्थान राजस्थान के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत किए गए निवेश शिखर सम्मेलन, 31.03.2011 द्वारा शुरू किया गया वाणिज्यिक उत्पादन प्रदान किया गया

याचिकाकर्ताओं के मामले में भी सुधार नहीं होता है। भले ही

राजस्थान शिखर सम्मेलन लेकिन यह संशोधन किसी भी तरह से नहीं है एस. एल. एस. सी. को अधिक सब्सिडी देने के लिए कोई अतिरिक्त शक्ति प्रदान करें।

जो वह अन्यथा इस्तेमाल करता था। उपरोक्त तिथि पर

50 प्रतिशत की सीमा और उससे अधिक नहीं। हालाँकि, एस. एल. एस. सी. गलत तरीके से याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार किया-कंपनी के तहत

निर्णय पर गलत तरीके से भरोसा करके खंड 7 (i) (a) का परंतुक

सब्सिडी की सीमा बढ़ाने में बी. आई. डी. आई. दिनांक 01.04.2006

75 % . एस. एल. एस. सी. अधिकतम प्रदान कर सकता था

50 प्रतिशत की सीमा तक कर सब्सिडी और हो सकती है, जब तक

बी. आई. डी. आई. अस्तित्व में था, याचिकाकर्ता के मामले को संदर्भित किया

कर सब्सिडी की सीमा 50 प्रतिशत से बढ़ाने के लिए कंपनी

75 प्रतिशत तक। चूँकि बी. आई. डी. आई. को 07.06.2009 पर भंग कर दिया गया था, इसलिए, यह अस्तित्व में नहीं था जब एस. एल. एस. सी. ने काम शुरू किया था

अपनी बैठक में विचार के लिए याचिकाकर्ता का मामला

17.03.2011 पर आयोजित। इस प्रकार स्पष्ट रूप से, यह नहीं हो सकता था

50 प्रतिशत से अधिक कर सब्सिडी प्रदान की गई।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

13.8 . आगे बढ़ते हुए, उच्च न्यायालय ने प्रस्तुतिकरण पर विचार किया

अपीलार्थी की ओर से कि उत्तरदाता द्वारा बाध्य थे

प्रोमिसरी एस्टोपल और उसे दो गुना के साथ अस्वीकार कर दिया वैशनः एक कि कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है; और

छल, कि अपीलार्थी को ऐसा कोई अभ्यावेदन नहीं दिया गया था

आई. डी. आई. या एस. एल. एस. सी. जैसा कि आरोप लगाया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा और अभिनिर्धारित किया कि:

" यह तर्क कि आक्षेपित पुनरीक्षण आदेश उल्लंघन था

याचिकाकर्ता कंपनी को किए गए वादे का जो बाध्यकारी था

प्रत्यर्थियों पर वचन निषेध के सिद्धांत द्वारा और न्यायसंगत अवरोध को सरल के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है

कारण यह है कि क़ानून के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है।

बी. आई. डी. आई. ने एस. एल. एस. सी. को 75 प्रतिशत कर सब्सिडी देने का निर्देश नहीं दिया।

याचिकाकर्ता-कंपनी। इसने केवल यह निर्देश दिया कि "हाल ही में घोषित [2020] 7 एस. सी. आर.

सीमेंट पैकेज और आर. आई. पी. एस.-2003 पर लागू होगा

आर. आई. पी. एस.-2003 के अनुसार, इसका अर्थ यह होगा कि प्रावधानों में निहित आर. आई. पी. एस.-2003 में इसका पालन करना होगा और

याचिकाकर्ता-कंपनी के साथ उसके अनुसार व्यवहार किया जाएगा।

वे दो प्रावधान जिनके तहत याचिकाकर्ता-कंपनी हो सकती थी

75 प्रतिशत तक प्राप्त कर सब्सिडी उपखंड थे -

खंड के प्रावधान के अनुसार 75 प्रतिशत के कर प्रोत्साहन का लाभ उठाया जा सकता था 7 (i) (a) और 7 (i) (b) जिस मामले में याचिकाकर्ता-कंपनी थी

एस. एल. एस. सी. में आवेदन करने की आवश्यकता होती है जिसके बाद एस. एल. एस. सी.

इसे बी. आई. डी. आई. को भेजा जा सकता था। बी. आई. डी. आई. अस्तित्व में रहा।

07.06.2009 तक और उस समय तक, द्वारा ऐसा कोई संदर्भ नहीं दिया गया था

इसके लिए एस. एल. एस. सी.। इसलिए शायद ही कोई औचित्य है कि

तर्क दें कि किसी भी प्रतिनिधित्व को आयोजित किया गया था

याचिकाकर्ता-बी. आई. डी. आई. या एस. एल. एस. सी. द्वारा कंपनी।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

13.9 . उच्च न्यायालय ने संविधान पीठ को भी संदर्भित किया

सीमा शुल्क आयुक्त (आयात), मुंबई बनाम के मामले में निर्णय। दिलीप कुमार एंड कंपनी और अन्यः (2018) 9 एस. सी. सी. 1 यह इंगित करने के लिए कि जहां छूट अधिसूचना या छूट खंड में अस्पष्टता है, ऐसी अस्पष्टता का लाभ निर्धारिती को नहीं दिया जा सकता है और इस सवाल का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि क्या निर्धारिती छूट खंड के भीतर आता है। उच्च न्यायालय ने लाभ की प्रकृति का उल्लेख किया

अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किया गया और इस तथ्य को दोहराया कि अपीलार्थी के मामले पर बी. आई. डी. आई. द्वारा विचार भी नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा,

" ..... वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं के मामले में भी नहीं है बी. आई. डी. आई. द्वारा विचार किया गया जिसने इसे केवल एस. एल. एस. सी. में स्थानांतरित कर दिया,

आर. आई. पी. एस.-2003 के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

को। छूट योजनाओं के विपरीत जहां निर्धारिती नहीं है

ग्राहक/खरीदार से कर एकत्र करना, यहाँ

सब्सिडी के वर्तमान मामले में, कर ग्राहकों से एकत्र किया जाता है /

खरीदार और उसे विभाग में जमा करने के बाद, एम/एस।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

हकदारी के अनुसार 50 प्रतिशत या 75 प्रतिशत की सीमा तक राशि

प्रमाण पत्र, निर्धारिती को वापस कर दिया जाता है।

13.10 . उच्च न्यायालय ने भी दृष्टिकोण में बुनियादी दोष को दोहराया

एस. एल. एस. सी. ने जहां बी. आई. डी. आई. के निर्णय का गलत अर्थ निकाला था और कहा था कि आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के गैर-मौजूदा उपखंड (vi) और (vii) के तहत अपीलार्थी को अनुचित लाभ देने में एस. एल. एस. सी. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण इस मामले का बिल्कुल भी संभावित दृष्टिकोण नहीं था; और यह कि -

अपीलार्थी 'इस स्थिति को पूरी तरह से समझ गया', जो 26.05.2006 पर किए गए उसके अभ्यावेदन से स्पष्ट था। 13.11 . फिर भी, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की ओर से इस तर्क की जांच की कि इसके परिणामस्वरूप राजस्व का प्रत्येक नुकसान

अधीनस्थ प्राधिकारी के आदेश को राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल नहीं माना जा सकता है और मालाबार औद्योगिक कंपनी लिमिटेड के मामले में उद्धृत निर्णय को भी संदर्भित किया जा सकता है। आयकर आयुक्त, केरल राज्यः (2000) 2 एस. सी. सी. 718 ने यह इंगित करते हुए कि "राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल" वाक्यांश व्यापक महत्व का है और केवल कर के नुकसान तक ही सीमित नहीं है। उद्धृत से प्रासंगिक अंश निकालने के बाद

निर्णय लेते हुए, उच्च न्यायालय ने मामले में सिद्धांतों को इस प्रकार लागू कियाः

" वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपरोक्त निर्णय के अनुपात को लागू करते हुए, यह स्वीकार करना होगा कि बी. आई. डी. आई. के आदेश को गलत तरीके से पढ़ने के कारण, जिसने स्वयं 75 प्रतिशत कर सब्सिडी देने का निर्देश नहीं दिया था, लेकिन केवल यह निर्देश दिया था कि "हाल ही में घोषित सीमेंट पैकेज और आर. आई. पी. एस.-2003 कंपनी पर लागू होंगे", एस. एल. एस. सी. केवल ऐसी कर सब्सिडी दे सकता था।

जो वह करने में सक्षम था। एस. एल. एस. सी. गलती से

बी. आई. डी. आई. के उपरोक्त निर्णय का गलत अर्थ निकालते हुए उपखंड (vii) का लाभ बढ़ाया गया, जबकि याचिकाकर्ता कंपनी द्वारा विकल्प का प्रयोग करने के केवल दो दिन बाद उक्त खंड हटा दिया गया। इसलिए एस. एल. एस. सी. का आदेश निश्चित था

" राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल "इस अर्थ में

याचिकाकर्ता का राजस्व और लाभ-राज्य के खजाने की कीमत पर कंपनी जो आखिरकार सार्वजनिक धन है। याचिकाकर्ता कंपनी केवल 50 प्रतिशत कर सब्सिडी देने की हकदार थी। जिस तारीख को एस. एल. एस. सी. ने अपने मामले पर विचार करने के लिए बैठक की और [2020] 7 एस. सी. आर. का समाधान किया।

75 प्रतिशत की अनुदान सब्सिडी, यह उसके लिए सक्षम नहीं था। पैसे से।

राज्य के खजाने का याचिकाकर्ता को कम भुगतान किया गया है

कंपनी भले ही उसे प्राप्त करने का अधिकार नहीं था।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

13.12 . आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 13 को चुनौती देने के संबंध में,

उच्च न्यायालय ने कहा कि अपीलार्थी अपना आवेदन दाखिल करते समय उसमें परिकल्पित प्रावधानों से बहुत अवगत था और यह अपीलार्थी का मामला नहीं था कि सरकार के पास योजना में ऐसा खंड प्रदान करने या विचाराधीन नीति तैयार करने का अधिकार नहीं था और न ही यह प्रदर्शित किया गया था कि खंड 13 ने किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया है या अन्यथा।

13.13 . के खंड 13 के तहत की गई कार्रवाई की वैधता के संबंध में

आर. आई. पी. एस.-2003, उच्च न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने फरवरी 2010 के महीने से 75 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठाना शुरू कर दिया और फरवरी 2017 के महीने तक इसका लाभ उठाया; और चूंकि फरवरी 2017 से छह महीने के भीतर कारण बताएँ नोटिस भेजा गया था, यह खंड 13 के तहत प्रदान की गई पांच साल की सीमा अवधि के भीतर था। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित रूप में निर्णय दिया और निष्कर्ष निकालाः

फरवरी, 2010 से सब्सिडी का लाभ और पूरी तरह से लाभ उठाया फरवरी, 2017 तक 75 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ।

छह महीने के भीतर कारण बताएँ नोटिस जारी/प्राप्त किया गया था फरवरी, 2017, जिस समय तक, सब्सिडी का पूरी तरह से लाभ उठाया गया था

याचिकाकर्ता-कंपनी। अतः यह तर्क कि सात वर्ष की समाप्ति के बाद पाँच वर्ष के भीतर पुनरीक्षण की शक्ति

जिसके दौरान याचिकाकर्ता-कंपनी द्वारा लाभ उठाया गया था,

उक्त प्रावधान अनुचित, मनमाना, दमनकारी और

याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का कोई गुण नहीं है।

14. रिट को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार पारित आदेश

इस अपील में याचिका और सब्सिडी के 25 प्रतिशत हिस्से को वापस लेने की उत्तरदाताओं की कार्रवाई पर सवाल उठाया गया है।

एम/एस। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रतिद्वंद्वी विवाद

अपीलार्थी

15. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के साथ-साथ

अतिरिक्त मुख्य सचिव, अपीलार्थियों के विद्वान वरिष्ठ वकील ने बड़ी मेहनत से हमें मामले के तथ्यों के बारे में बताया है और विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी हैं कि अपीलार्थी कंपनी को 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए।

कानून में वैध था और तथ्यों पर उचित था।

15.1 . विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि

कंपनी

बी. आई. डी. आई. ने कोटपुतली में प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र के लिए प्रोत्साहन के एक अनुकूलित पैकेज के लिए बी. आई. डी. आई. को आवेदन किया था और इस आवेदन का बी. आई. डी. आई. द्वारा 01.04.2006 पर निपटारा किया गया था, जहां यह निर्देश दिया गया था कि हाल ही में घोषित पैकेज कंपनी को दिया जाए और आर. आई. पी. एस.-2003 के लाभ भी दिए जाएं। यह इंगित करते हुए कि यह पैकेज, जो नए स्थापित या काफी हद तक विस्तारित सीमेंट उपक्रमों को 75 प्रतिशत बिक्री कर सब्सिडी प्रदान करता है, आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 में उपखंड (vi) और (vii) को शामिल करने के साथ आई. डी. 1 पर पेश किया गया था और इन उपखंडों को आई. डी. 2 पर हटा दिया गया था, विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि बी. आई. डी. आई. के पास अधिकार था

5 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश वाले किसी भी औद्योगिक उपक्रम को देय और जमा किए गए कर का 75 प्रतिशत तक सब्सिडी प्रदान करना। 400 करोड़ योजना के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के प्रावधान के तहत; और अपीलकर्ता कंपनी के संबंध में बी. आई. डी. आई. का ऐसा निर्णय सही था

एस. एल. एस. सी. द्वारा कार्यान्वित।

15.1. 1 . विद्वान वकील यह भी प्रस्तुत करेगा कि सब्सिडी के तहत

खंड 7 (vi) और 7 (vii) में 45 प्रतिशत अग्रिम सब्सिडी शामिल थी, जो उपक्रम द्वारा खर्च की गई मजदूरी और ब्याज राशि पर निर्भर हुए बिना तुरंत देय थी और शेष 30 प्रतिशत सब्सिडी में मजदूरी और ब्याज सब्सिडी शामिल थी, लेकिन इसके विपरीत, अपीलार्थी को दी गई सब्सिडी में कोई अग्रिम सब्सिडी शामिल नहीं थी, बल्कि इसमें केवल 75 प्रतिशत मजदूरी और ब्याज सब्सिडी शामिल थी और इसलिए, यह इस बात से परे है कि अपीलार्थी को इस तरह से दी गई सब्सिडी परंतुक के तहत थी। आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के लिए, विशेष रूप से जब इसमें कोई अग्रिम सब्सिडी शामिल नहीं थी और इसमें केवल 75 प्रतिशत मजदूरी और ब्याज शामिल था।

अनुदान। विद्वान वकील के अनुसार, एस. एल. एस. सी. की दिनांकित बैठक के कार्यवृत्त यह स्पष्ट करते हैं कि 75 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय बी. आई. डी. आई. का था न कि एस. एल. एस. सी. का।

15.2 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने समकालीन प्रदर्शनी के सिद्धांतों को भी इन प्रस्तुतियों के साथ लागू किया है कि

प्रासंगिक समय पर आदान-प्रदान, यह संबंधित अधिकारियों द्वारा स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से समझा गया था कि अपीलकर्ता कंपनी का अधिकार था

योजना के प्रावधानों की सही व्याख्या में और मामले के तथ्यों पर उनके सही अनुप्रयोग पर 75 प्रतिशत की सीमा तक सब्सिडी; और इसलिए, उत्तरदाताओं को मामले में अपने रुख को बदलने का अधिकार नहीं है।

बाद के चरण में। विद्वान वकील ने स्पेंटेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया है। सी. सी. ई. : (2016) 1 एस. सी. सी. 780, कि अभिलेख और तथ्यात्मक स्थिति के बारे में एस. एल. एस. सी. की समझ को न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए।

समकालीन प्रदर्शनी।

15.2. 1 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा है कि हालांकि इसे दिनांकित कारण दिखाएँ नोटिस में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था

10.07.2017 कि बी. आई. डी. आई. ने आई. डी. 1 पर निर्णय लिया था, लेकिन यह आरोप लगाया गया था कि बी. आई. डी. आई. ने स्पष्ट रूप से 75 प्रतिशत सब्सिडी नहीं दी; और यही विचार पुनरीक्षण आदेश में परिलक्षित होता है, जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। हालांकि, विद्वान वकील के अनुसार, यह विचार बी. आई. डी. आई. के निर्णय में 'हाल ही में घोषित सीमेंट पैकेज' शब्दों का अनुवाद करेगा।

दिनांकित 01.04.2006 पूरी तरह से अर्थहीन है; और यह दृष्टिकोण एस. एल. एस. सी. की समकालीन समझ के विपरीत भी है, जैसा कि में निर्धारित किया गया है

इसकी बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 17.03.2011। विद्वान वकील यह बनाए रखेंगे कि बी. आई. डी. आई. के शब्द, 'हाल ही में घोषित सीमेंट' देते हैं।

कंपनी के लिए 'पैकेज' का अर्थ केवल 75 प्रतिशत सब्सिडी देना हो सकता है, हालांकि यह खंड 7 (vi) या 7 (vii) के तहत या उसके संदर्भ में नहीं था, लेकिन यह आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के परंतुक से संबंधित था।

15.3 . विद्वान वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी ने रुपये से अधिक का अपना पूरा निवेश किया है। 1,600 बी. आई. डी. आई. के दिनांक 01.04.2006 के निर्णय के बाद और पुनरुत्थान राजस्थान शिखर सम्मेलन में दिनांक 30.11.2007 के समझौता ज्ञापन में प्रवेश करने के बाद, जिसके तहत प्रतिवादी राज्य सरकार ने आर. आई. पी. एस.-2003 के तहत उपलब्ध सभी रियायतों और लाभों को बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विद्वान वकील का तर्क होगा कि बी. आई. डी. आई. का निर्णय दिनांकित है।

01.04.2006 और राज्य सरकार की दिनांकित 30.112007 की प्रतिबद्धता ने स्पष्ट रूप से इसके खिलाफ वचन बहिष्कार के सिद्धांत को आकर्षित किया

प्रत्यर्थियों लेकिन उच्च न्यायालय ने इस तर्क को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया है कि किसी कानून के खिलाफ वचन-निषेध का कोई लाभ नहीं है, जो उच्च न्यायालय की ओर से एक पेटेंट त्रुटि है क्योंकि आर. आई. पी. एस.-2003 एक एम/एस रहा है।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

15.4 . विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि बी. आई. डी. आई. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय था। और इसके निर्णय को आर. आई. पी. एस. 2003 के खंड 13 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता था। विद्वान वकील के अनुसार, आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 13 के तहत केवल एस. एल. एस. सी. के निर्णय को संशोधित किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान मामले में एस. एल. एस. सी. ने केवल बी. आई. डी. आई. के दिनांक 01.04.2006 के निर्णय को लागू किया और इसे नहीं लिया।

सब्सिडी देने के लिए अपने दम पर कोई भी निर्णय और इसलिए, एस. एल. एस. सी. के दिनांकित 17.03.2011 खंड 13 के तहत संशोधन के लिए खुले नहीं थे। विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि विचाराधीन प्रमाणपत्रों में सही था

बी. आई. डी. आई. के निर्णय के संदर्भ में कार्य करते हुए एस. एल. एस. सी. द्वारा जारी किया गया है, जो उत्तरदाताओं के लिए बाध्यकारी है और इसलिए, उत्तरदाताओं को सब्सिडी का लाभ उठाने के बाद किसी भी अलग व्याख्या का सुझाव देने का अधिकार नहीं है।

15.5 . पुनरीक्षण की ऐसी शक्तियों के दायरे के संबंध में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने मालाबार इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है। आय आयुक्त कर, केरल राज्य। : (2002) 2 एस. सी. सी. 718 और प्रस्तुत किया है कि आर. आई. पी. एस.-2003 का खंड 13, जो राज्य सरकार को एस. एल. एस. सी. के आदेशों को संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 263 के समान है, जिसकी इस न्यायालय द्वारा इस तरह से व्याख्या की गई है कि यदि निर्णय आदेश संभावित विचारों में से एक है, तो कोई संशोधन नहीं होगा। विद्वान वकील के अनुसार, एस. एल. एस. सी. द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, जैसा कि दिनांक 1 की बैठक के कार्यवृत्त में निर्धारित किया गया था, निश्चित रूप से एक संभावित दृष्टिकोण था और इसलिए, किसी भी स्थिति में, आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 13 के तहत संशोधन के लिए कोई कार्यवाही एस. एल. एस. सी. के इस निर्णय के खिलाफ बनाए रखने योग्य नहीं थी।

15.6 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने भी भरोसा करते हुए तर्क दिया है

बिड़ला जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय के निर्णय सहित विभिन्न निर्णय। एम. पी. का राज्य : 119 एस. टी. सी. 14 (एस. सी.) और राजस्थान उच्च न्यायालय का आयुक्त, वाणिज्यिक कर,

राजस्थान, जयपुर और अन्र। वी. राजस्थान कराधान न्यायाधिकरण और ओआरएस। : 38 कर उप-तिथि 131, कि जब निर्धारिती को दिए गए प्रोत्साहन का पूरी तरह से लाभ उठाया गया था और प्रोत्साहन अवधि पहले ही [2020] 7 एस. सी. आर.

पूरा हो जाने के बाद, प्रोत्साहनों को पूर्वव्यापी प्रभाव से वापस नहीं लिया जा सकता है या वापस नहीं लिया जा सकता है।

15.7 . विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस दलील के साथ ब्याज लगाने पर भी सवाल उठाया है कि 25 प्रतिशत सब्सिडी का अनुदान दिया गया है।

रद्द किया गया अपीलार्थी द्वारा किए गए किसी भी चूक के कारण नहीं, बल्कि केवल लगभग आठ वर्षों के बाद उत्तरदाताओं द्वारा अचानक राय बदलने के कारण। इस तथ्य स्थिति में, विद्वान वकील के अनुसार, आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 10 का, ब्याज लगाने को अधिकृत करने का कोई अनुप्रयोग नहीं है। इंडिया कार्बन लिमिटेड और अन्य में निर्णयों के संदर्भ में। वी. असम राज्य। : (1997) 6 एससीसी 479, मारुति वायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड वी. बिक्री कर अधिकारी। : (2001) 3 एससीसी 735 और जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम। सीटीओ। : (1994) 4 एस. सी. सी. 276, विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि ब्याज प्रभार के प्रावधान को सख्ती से कर लगाने के लिए प्रभार प्रावधान की तरह समझा जाना चाहिए; और जब तक कि की शर्तें न हों

ब्याज लगाने के प्रावधान को सख्ती से पूरा किया जाता है, कोई ब्याज नहीं लिया जा सकता है। विद्वान वकील आग्रह करेंगे कि शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, वर्तमान मामले में ब्याज नहीं लिया जा सकता है।

उत्तरदाताओं

16. विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, की ओर से उपस्थित होते हुए

प्रत्यर्थियों ने अपीलकर्ताओं की ओर से की गई प्रस्तुतियों का जोरदार विरोध किया है, जबकि यह बनाए रखा है कि अपीलकर्ता कंपनी थी

केवल देय और जमा किए गए बिक्री कर/वैट के 50 प्रतिशत की सीमा तक सब्सिडी का हकदार है और अपीलकर्ता एस. एल. एस. सी. के गलत निर्णयों के तहत गलत तरीके से प्राप्त की गई 25 प्रतिशत की अतिरिक्त सब्सिडी को वापस करने के लिए बाध्य है।

16.1 . तथ्यों के इतिहास के समान रूप से विस्तृत संदर्भ में, विद्वान एएजी ने प्रस्तुत किया है कि विशेष सीमेंट पैकेज

आर. आई. पी. एस.-2003 में खंड 7 में उपखंड (vi) और (vii) को सम्मिलित करके इसे शामिल किया गया और यह स्थिति <आई. डी. 2 पर प्राप्त की जा सकती थी जब बी. आई. डी. आई. ने प्रार्थना पर निर्णय लिया था।

कंपनी द्वारा किया गया; और इसलिए, सब्सिडी देने के लिए बी. आई. डी. आई. का दिनांक <आई. डी. 1 का निर्णय केवल खंड 7 के उक्त उपखंड (vi) और (vii) के संबंध में हो सकता था क्योंकि विशिष्ट प्रावधान हमेशा सामान्य प्रावधान को ओवरराइड करता है, जैसा कि जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड v. यू. पी. की स्थितिः (1961) 3 एससीआर 185। इस प्रकार, विद्वान ए. ए. जी. के

अनुसार, इसमें अपीलकर्ता खंड 7 के उक्त उपखंड (vi) और (vii) से प्रवाहित राहत की मांग कर सकते थे, लेकिन वे एम/एस।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

16.1. 1 . आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के परंतुक के आधार पर अपीलार्थी के दावे का खंडन करते हुए, विद्वान ए. ए. जी. ने तर्क दिया है कि उक्त परंतुक के तहत सामान्य शक्तियां नहीं हो सकती हैं। बी. आई. डी. आई. द्वारा 01.04.2006 पर प्रयोग किया गया है, क्योंकि उस तारीख को खंड 7 के उक्त उपखंड (vi) और (vii) अस्तित्व में थे और वे अकेले सीमेंट इकाइयों से सह-संबंधित थे। विद्वान ए. ए. जी. प्रस्तुत करेगा कि अपीलकर्ता कंपनी एक सीमेंट इकाई है और समकालीन है।

पत्राचार पर्याप्त रूप से दर्शाता है कि अपीलकर्ताओं ने भी प्रासंगिक समय पर यह समझा कि सब्सिडी आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के उक्त उपखंड (vi) और (vii) के तहत दी गई थी और केवल उक्त उपखंड (vi) और (vii) को हटाने से बचने के लिए, अपीलकर्ताओं ने आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के प्रावधान के तहत सब्सिडी का दावा करना शुरू कर दिया। विद्वान ए. ए. जी. के अनुसार, इस प्रकार किया गया दावा

अपीलार्थी केवल एक पश्चात्वर्ती विचार था और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप एक ऐसा लाभ प्रदान किया जाएगा जो 28.04.2006 के बाद अस्तित्व में नहीं था। दिनांक 01.04.2006 की बी. आई. डी. आई. बैठक के कार्यवृत्त के बार-बार संदर्भ के साथ, विद्वान ए. ए. जी. ने प्रस्तुत किया है कि एक भी दस्तावेज़ नहीं है। प्रासंगिक समय पर अस्तित्व में था, यानी लगभग 01.04.2006, जो दूर से भी यह सुझाव दे सकता है कि सब्सिडी आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के प्रावधान के संदर्भ में दी गई थी।

16.2 . प्रस्तुतियों के अन्य भागों का विरोध करते हुए, विद्वान ए. ए. जी. ने प्रस्तुत किया है कि समकालीन एक्सपोज़िशियो का सिद्धांत

यह प्राचीन कानूनों पर लागू होता है और वर्तमान मामले में इसका कोई उपयोग नहीं है। विद्वान ए. ए. जी. आगे प्रस्तुत करेंगे कि भले ही यह सिद्धांत वर्तमान कानूनों पर लागू होता है, यह केवल तभी लागू होगा जब कार्यपालिका द्वारा एक विशेष दृष्टिकोण लिया गया हो और विचाराधीन खंडों के निर्माण में अस्पष्टता हो, लेकिन वर्तमान मामले में, कोई अस्पष्टता नहीं है। योजना के निर्माण के संबंध में। विद्वान ए. ए. जी. ने आगे तर्क दिया कि यह सिद्धांत तब लागू नहीं होगा जब एक प्रशासनिक निकाय ने मामले के गलत दृष्टिकोण पर छूट दी थी क्योंकि सक्षम प्रशासनिक निकाय सही तथ्यों से अवगत होने के बाद इस तरह के निर्णय को रद्द करने का हकदार है।

16.3 . विद्वान ए. ए. जी. ने आगे कहा है कि समझौता ज्ञापन

आर. आई. पी. एस.-2003 के तहत समय-समय पर उपलब्ध प्रोत्साहनों के अनुदान के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है और खंड 7 के उक्त उपखंड (vi) और (vii) को वापस लेने के बाद, समझौता 50 प्रतिशत सब्सिडी की अनुमति देने से आगे नहीं जा सकता था, जैसा कि उस तारीख को योजना के तहत उपलब्ध था। इस प्रकार, विद्वान ए. ए. जी. के अनुसार, वचन पत्र के सिद्धांत भी वर्तमान मामले में लागू नहीं होते हैं। चूंकि खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के प्रावधान के तहत 75 प्रतिशत सब्सिडी न तो समझौता ज्ञापन में निर्धारित की गई थी और न ही बी. आई. डी. आई. की बैठक में दी गई थी।

दिनांकित 01.04.2006।

16.4 . विद्वान ए. ए. जी. उन प्रस्तुतियों पर जोर देंगे जो राज्य सरकार ने निर्धारित करने के लिए संशोधन की शक्ति का सही उपयोग किया है।

एस. एल. एस. सी. के आदेश को दरकिनार करते हुए, जिसने गलती से 75 प्रतिशत सब्सिडी दी थी, भले ही योजना में संबंधित प्रावधान 28.04.2006 पर वापस ले लिए गए थे; और यह कि एस. एल. एस. सी. द्वारा सब्सिडी का अनुदान रोक का कोई मुद्दा नहीं बनाएगा क्योंकि यह एक गलत अनुदान था और इसे योजना के तहत आरक्षित पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग करते हुए ठीक किया गया था। 16.4. 1 . यह भी तर्क दिया गया है कि पुनरीक्षण प्राधिकरण ने आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 13 के तहत स्पष्ट रूप से शक्ति का प्रयोग किया है।

इसका लाभ उठाने की अंतिम तिथि से उसमें निर्धारित पाँच वर्ष की अवधि लाभ होता है। विद्वान ए. ए. जी. के अनुसार, अपीलकर्ता कंपनी द्वारा लाभ प्राप्त करने की अंतिम तिथि फरवरी 2017 के महीने में होने के कारण, आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 13 (बी) के तहत 12.03.2018 पर पारित पुनरीक्षण आदेश निर्धारित अवधि के भीतर अच्छी तरह से बना हुआ है।

16.5 . आर. आई. पी. एस.-2003 के नियमों और शर्तों के संदर्भ में उत्तरदाताओं की ओर से ब्याज के लेवी को भी उचित ठहराया गया है।

और इस निवेदन के साथ कि अपीलकर्ता कंपनी योजना में निर्धारित ब्याज के संदर्भ में या कम से कम सरकार को प्रस्तुत किए गए वचन में सहमति के अनुसार सरकार को क्षतिपूर्ति करते हुए गलत तरीके से प्राप्त राशि को वापस करने के लिए बाध्य है। 16.5. 1 . विद्वान ए. ए. जी. द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सब्सिडी राज्य सरकार और सरकार के बीच एक अनुबंध के रूप में थी।

अपीलार्थी कंपनी और इसलिए, अपीलार्थी इस वचन से बाध्य है कि यदि कोई अतिरिक्त लाभ लिया जाता है, तो उसे 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा। विद्वान ए. ए. जी. ने प्रस्तुत किया है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 72 में सन्निहित सिद्धांतों पर भी गलती से प्राप्त किसी भी लाभ को ब्याज के साथ वापस किया जाना चाहिए ताकि अन्यायपूर्ण संवर्धन से बचा जा सके।

एम/एस। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

निर्धारण के लिए बिंदु

17. ऊपर जो ध्यान दिया गया है, उसके लिए इस मामले में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाला मूल बिंदु यह है कि अपीलकर्ता कंपनी किस हद तक

निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले समान रूप से प्रासंगिक बिंदु हैंः इस बारे में कि क्या एस. एल. एस. सी. द्वारा 75 प्रतिशत सब्सिडी देने के अपने प्रारंभिक निर्णयों में लिया गया दृष्टिकोण बी. आई. डी. आई. के निर्णय के आधार पर अपीलार्थी का इस मामले के बारे में एक संभावित दृष्टिकोण रहा था कि क्या समकालीन एक्सपोज़िशियो का सिद्धांत इस मामले पर लागू होता है और क्या अपीलार्थी के लाभ के लिए है; क्या प्रत्यर्थी वचनबद्धता के सिद्धांतों पर 25 प्रतिशत सब्सिडी वापस नहीं ले सकता है; क्या राज्य सरकार आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 13 के तहत संशोधन की शक्तियों का प्रयोग करने की हकदार थी और क्या उसने ऐसी शक्तियों का सही उपयोग किया है; और इस तथ्य का क्या प्रभाव है कि अपीलार्थी द्वारा निर्णय से पहले ही 75 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठाया जा चुका था।

इस संबंध में उत्तरदाताओं द्वारा सवाल उठाए जाने और फिर से खोले जाने की मांग की गई थी। अंत में, यदि राज्य सरकार द्वारा ली गई सब्सिडी के 25 प्रतिशत हिस्से को वापस लेने के निर्णय को बरकरार रखा जाता है, तो फिर भी इस बात पर विचार करने की आवश्यकता होगी कि क्या राज्य प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की वसूली करना उचित है?

18. हमने प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों और लागू कानून के संदर्भ में इस मामले में उत्पन्न होने वाले बिंदुओं पर चिंता से विचार किया है और पूरे रिकॉर्ड को स्कैन किया है।

पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए अपीलार्थी की हकदारीः बी. आई. डी. आई. के निर्णय का प्रभाव

19. ऊपर जो ध्यान दिया गया है, उसके लिए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुतियों का मुख्य मुद्दा यह है कि - आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के परंतुक के तहत 75 प्रतिशत की सीमा की अनुमति थी और बी. आई. डी. आई. अपने पक्ष में ऐसी मंजूरी दे सकता था और वास्तव में दे सकता था। अपीलार्थी के अनुसार, 75 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्णय बी. आई. डी. आई. द्वारा 01.04.2006 पर लिया गया था जबकि एस. एल. एस. सी. केवल

उसी को लागू किया। यह भी सुझाव दिया गया है कि कंपनी ने प्रोत्साहन के एक अनुकूलित पैकेज के लिए आवेदन किया और बी. आई. डी. आई. के निर्णय को अनुदान [2020] 7 एस. सी. आर. को अधिकृत करने के प्रावधान के आलोक में समान रूप से देखा जाना चाहिए।

अनुकूलित पैकेज। हमारे विचार में, ये प्रस्तुतियाँ कई कमियों से ग्रस्त हैं, जहाँ बी. आई. डी. आई. दिनांकित 01.04.2006 के संकल्प/निर्णय और एस. एल. एस. सी. दिनांकित 17.3.2011 के निर्णय के बीच एक ठीक लेकिन अच्छी तरह से परिभाषित रेखा को नजरअंदाज कर दिया जाता है।

19.1 . जैसा कि देखा गया है, कंपनी द्वारा पहले किया गया आवेदन

01.04.2006 , आर. आई. पी. एस. 2003 के खंड 7 के उपरोक्त उपखंड (vi) और (vii) अस्तित्व में थे और वास्तव में, वाक्यांश "हाल ही में घोषित सीमेंट पैकेज" उपखंडों के उक्त प्रावधानों को सटीक रूप से संदर्भित करता है। (vi) और (vii), जिसे आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 में 02.12.2005 पर जोड़ा गया था। इसके अलावा, जब बी. आई. डी. आई. ने कहा कि 'हाल ही में घोषित सीमेंट पैकेज' कंपनी पर लागू होगा, तब भी इसे योजना, यानी आर. आई. पी. एस.-2003 की प्रयोज्यता की आवश्यकता के साथ जोड़ा गया था। बी. आई. डी. आई. के दिनांक 01.04.2006 के उपरोक्त निर्णय के बाद, कंपनी ने उद्योग आयुक्त को अपने दिनांक 26.04.2006 के पत्र में मांग की

आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के उपखंड (vii) के संदर्भ में एक नए सीमेंट संयंत्र/कैप्टिव बिजली संयंत्र के लिए पंजीकरण, जिसे स्थापित करने का इरादा है

कोटपुतली। हालांकि, बी. आई. डी. आई. के दिनांक 01.04.2006 के उक्त निर्णय और कंपनी के दिनांक 26.04.2006 के आवेदन के बाद आर. आई. पी. एस.-2003 के संबंध में महत्वपूर्ण विकास/संशोधन हुए थे, जिसमें खंड 7 के उक्त उपखंड (vi) और (vii) को विशेष रूप से 28.04.2006 पर योजना से हटा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि एस. एल. एस. सी. द्वारा तत्कालीन मौजूदा उपखंडों के संदर्भ में कंपनी को सब्सिडी देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था। (खंड 7 का (vii) और (vii) 28.04.2006 तक। बाद में कंपनी द्वारा 21.02.2010 पर किया गया आवेदन और उसके बाद एस. एल. एस. सी. द्वारा लिया गया निर्णय

17.03.2011 पर बी. आई. डी. आई. के दिनांकित 01.04.2006 के निर्णय के साथ सह-संबंध न रखें और न ही कर सकते हैं, जिसका प्रारंभिक भाग, अर्थात 'हाल ही में घोषित सीमेंट पैकेज' आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के उपरोक्त संशोधन और इसके उपखंड (vi) और (vii) को हटाने के साथ निरर्थक हो गया।

19.2 . उपरोक्त के अलावा, यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आर. आई. पी. एस.-2003 के तहत सब्सिडी को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी केवल एम/एस थे।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

एस. एल. एस. सी. उसके खंड 6 के संदर्भ में। हालाँकि अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा यह जोरदार तर्क दिया गया है कि बी. आई. डी. आई. एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री है और यह भी कहा गया है कि वित्त सचिव बी. आई. डी. आई. के साथ-साथ एस. एल. एस. सी. के भी समान रूप से सदस्य रहे हैं, लेकिन हमें डर है कि ये प्रस्तुतियाँ किसी भी तरह से अपीलार्थी के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाती हैं। भले ही बी. आई. डी. आई. एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय होता, लेकिन इसके प्रस्तावों या निर्देशों को किसी भी मामले में लागू प्रावधानों के अनुरूप ही पढ़ा जा सकता था।

विशेष प्रस्ताव; और यह तथ्य कि सचिवों में से एक बी. आई. डी. आई. और एस. एल. एस. सी. दोनों का सदस्य रहा है, बी. आई. डी. आई. के संकल्प को एस. एल. एस. सी. की निर्णय लेने की प्रक्रिया में योजना के तहत अनुमत से परे आयात नहीं किया जा सकता था।

20. प्रस्तुतियों का दूसरा अंग जिसे बी. आई. डी. आई. ने 75 प्रतिशत दिया था।

आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के प्रावधान के तहत सब्सिडी कई कारणों से अस्वीकार्य है। यह चेहरे पर स्पष्ट है

खंड 7 के उपखंड (vi) और (vii) में 75 प्रतिशत सब्सिडी, 45 प्रतिशत अग्रिम रूप से स्वीकार्य और शेष 30 प्रतिशत ब्याज और मजदूरी/रोजगार सब्सिडी के रूप में, ब्याज सब्सिडी की सीमा के साथ ब्याज की प्रलेखित दर के 5 प्रतिशत तक की मांग की गई है। कभी कोई प्रस्ताव नहीं आया था बी. आई. डी. आई. के समक्ष अपीलार्थी कंपनी के मामले में आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के उक्त परंतुक को लागू करने के लिए ताकि सब्सिडी की अधिकतम सीमा को 75 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके। निर्णय से पहले आगे बढ़ना

बी. आई. डी. आई. दिनांकित 01.04.2006, यह तथ्य कि कंपनी जानबूझकर थी आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के उपखंड (vii) के तहत लाभ की मांग करना रिकॉर्ड के चेहरे पर उसके दिनांकित 26.04.2006 आवेदन की सामग्री पर एक नंगे नज़र से फिर से स्पष्ट है। इस आवेदन पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था और यह आवेदन करने के दो दिनों के भीतर, राज्य ने

सरकार ने आर. आई. पी. एस.-2003 में संशोधन किया और खंड 7 के उपरोक्त उपखंड (vi) और (vii) को हटा दिया। कंपनी ने राज्य सरकार को योजना के खंड 7 के उपखंड (vi) और (vii) को हटाने के इस तरह के संशोधन को वापस लेने और उन हटाए गए प्रावधानों का लाभ देने के लिए अपने अभ्यावेदन दिनांक 26.05.2006 के माध्यम से मनाने का एक हताश प्रयास किया, लेकिन इसके बाद बी. आई. पी. द्वारा 17.06.2006 पर कंपनी को भेजा गया संदेश फिर से इस प्रभाव पर था कि कंपनी [2020] 7 एस. सी. आर. होगी।

आर. आई. पी. एस.-2003 में निहित रियायतों के लिए पात्र। यहां तक कि

राज्य सरकार ने प्रचलित नीति के अनुसार अतिरिक्त सहायता के साथ आर. आई. पी. एस.-2003 के तहत अनुमेय प्रोत्साहन प्रदान करने के रूप में समर्थन देने का बीड़ा उठाया।

20.1 . हमारे विचार में, क्या उपरोक्त पृष्ठभूमि में से प्रत्येक

पहलुओं को अलग-अलग देखा जाता है या क्या इन सभी पहलुओं को एक साथ रखा जाता है, यह किसी भी कल्पना से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि बी. आई. डी. आई. द्वारा किसी भी स्तर पर एक सचेत निर्णय लिया गया था कि अपीलकर्ता कंपनी सामान्य रूप से स्वीकार्य 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत सब्सिडी की अनुमति देकर किसी भी अंतर और लाभप्रद उपचार का विस्तार किया जाएगा।

20.2 . आर. आई. पी. एस. 2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के लिए परंतुक का आह्वान एस. एल. एस. सी. की दिनांकित बैठक में केवल एक सृजन प्रतीत होता है।

17.03.2011 अपीलार्थी द्वारा 21.02.2010 पर किए गए आवेदन पर विचार करते समय। उल्लेखनीय है कि उक्त आवेदन में भी, अपीलार्थी ने जो दावा किया था, वह केवल आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के उपखंड (vi) के संदर्भ में रियायत थी। दावा सटीक रूप से यह था कि लाभ हो सकते हैं

उक्त अधिसूचना दिनांक 02.12.2005 के संदर्भ में अनुमति दी जाए। एस. एल. एस. सी. ने उक्त आवेदन को लेते समय, अपने दम पर, अपीलार्थी की प्रार्थना को बी. आई. डी. आई. के निर्णय से जोड़ा और उस मामले के लिए, ऐसा पढ़ा मानो बी. आई. डी. आई. का निर्णय आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के उक्त परंतुक के संदर्भ में 75 प्रतिशत की सीमा तक सब्सिडी देने का था। हम एस. एल. एस. सी. द्वारा अपनी बैठक में दिए गए किसी भी तर्क और तर्क को खोजने में असमर्थ हैं।

17.03.2011 , उक्त प्रावधान को आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) में बी. आई. डी. आई. के दिनांकित 01.04.2006 के निर्णय में शामिल किया गया और फिर लागू किया गया।

अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में बी. आई. डी. आई. के आदेश को इस तरह गलत तरीके से पढ़ना 75 प्रतिशत अनुदान देने के लिए। एस. एल. एस. सी., जिसके पास 50 प्रतिशत तक सब्सिडी देने का अधिकार था, इस सीमा से आगे अनुचित तरीके से अनुदान नहीं दे सकता था।

बी. आई. डी. आई. के दिनांकित 01.04.2006 के निर्णय का अनुप्रयोग और वह भी इसके गलत निर्माण के साथ; इसमें ऐसी शक्तियों को पढ़कर, जिन्हें न तो बी. आई. डी. आई. द्वारा लागू किया गया था और न ही प्रयोग किया गया था। एस. एल. एस. सी. का दिनांक 17.03.2011 का निर्णय और दिनांक 24.11.2011 का इसका दोहराया गया निर्णय पूरी तरह से विकृत निकला और इसे केवल अस्वीकृत किया जा सकता था।

21. यह सवाल उठाते हुए कि क्या बी. आई. डी. आई. का निर्णय संबंधित है

एक अनुकूलित पैकेज का अनुदान, अधिक चर्चा की आवश्यकता के बिना उत्तर नकारात्मक होगा क्योंकि किसी विशेष कंपनी या प्रतिष्ठान के लिए अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज का ऐसा अनुदान आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 6-ए द्वारा शासित था, जिसका एक समिति के रूप में पूरी तरह से अलग निर्धारित प्राधिकरण था, जिसे एम/एस. होना चाहिए था।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अलग-अलग मामलों की जांच करें और इसके लिए सिफारिश कर सकते हैं

बी. आई. डी. आई. के माध्यम से अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज की मंजूरी। इस मामले में लेन-देन की पूरी अवधि में, हम खंड 6-ए में निर्दिष्ट समिति द्वारा ऐसा कोई निर्णय और अपीलार्थी के संबंध में अनुकूलित प्रोत्साहन पैकेज के लिए कोई सिफारिश नहीं पा सकते हैं। बी. आई. डी. आई. का दिनांकित 01.04.2006 का निर्णय भी अपीलार्थी कंपनी के लिए किसी भी अनुकूलित पैकेज का उल्लेख नहीं करता है और न ही उससे संबंधित है।

22. आर. आई. पी. एस.-2003 के अभिलेख और विभिन्न संशोधनों/संशोधनों के समग्र परिप्रेक्ष्य में, यह प्रतीत होता है कि हालांकि एक स्तर पर (यानी,

02.12.2005) , राज्य सरकार ने एक घोषणा करना उचित समझा

सीमेंट इकाइयों को एक अलग पद्धति के साथ 75 प्रतिशत सब्सिडी देकर पूरी तरह से अलग व्यवहार किया गया और इसलिए, आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 में उप-खंड (vi) और (vii) जोड़ा गया, लेकिन इसने उस नीति को जारी नहीं रखा और 28.04.2006 पर उक्त उप-खंड को हटा दिया। यह सामान्य बात है कि छूट, छूट, रियायत या सब्सिडी के रूप में किसी भी प्रोत्साहन का विस्तार सरकार की नीति और उस मामले के लिए राजकोषीय नीति का विषय है। आम तौर पर, नीति का ऐसा प्रारूपण सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहता है और सरकार को एक विशेष नीति बनाने और उसे बदलने का अधिकार है, जिसे उचित और उचित माना जाता है। सीमेंट उद्योग को आर. आई. पी. एस.-2003 के तहत 75 प्रतिशत सब्सिडी दी जानी थी या नहीं, यह निश्चित रूप से सरकार की नीति का विषय था और जब अपीलार्थी के आवेदन पर विचार के समय ऐसी नीति मौजूद नहीं थी, तो गैर-मौजूद नीति के तहत किसी भी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता था।

23. तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए सेट में, हमारे विचार में, अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सही माना है कि एस. एल. एस. सी. का निर्णय दिनांकित है।

17.03.2011 और इसका दोहराया गया दिनांक 24.11.2011 का निर्णय बहुत ही बुनियादी बातों पर गलत था जहां यह माना गया था कि जैसे कि बी. आई. डी. आई. ने पहले ही कंपनी को 75 प्रतिशत सब्सिडी स्वीकृत कर दी थी। उच्च न्यायालय ने भी

अपीलार्थी को 75 प्रतिशत सब्सिडी देने का एस. एल. एस. सी. का निर्णयः क्या मामले का एक संभावित दृष्टिकोण है 24. अपीलकर्ता कंपनी की ओर से सुझाव, कि यदि दो विचार संभव थे और एस. एल. एस. सी. ने अपने पहले के निर्णय में एक [2020] 7 एस. सी. आर. लिया था।

उन विचारों में, जिनमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था, उनकी अपनी कमियां हैं। 24.1 . सबसे पहले, तथाकथित अन्य दृष्टिकोण (गलत) की संभावना केवल तभी उत्पन्न हो सकती है जब एस. एल. एस. सी. को केवल खुद को बदलने का हकदार माना जाए।

योजना के लागू प्रावधानों से दूर रहते हुए तथ्य यह है कि खंड 7 के उपखंड (vi) और (vii) को पहले ही हटा दिया गया था और साथ ही इसकी व्याख्या करने के लिए संदिग्ध विवेकाधिकार प्रदान किया गया है।

बी. आई. डी. आई. का निर्णय चाहे वह किसी भी तरीके से चाहे। जाहिर है, इस तरह का मनमाना अधिकार या निरंकुश विवेकाधिकार किसी भी निर्णय लेने वाले निकाय के लिए उपलब्ध नहीं है और कम से कम सरकार के एक जिम्मेदार निकाय के लिए स्वीकार किया जा सकता है, जैसे कि एस. एल. एस. सी., जो सरकारी खजाने से संबंधित है। अभिलेख की समग्रता की जांच करने के बाद, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि एस. एल. एस. सी. का प्रारंभिक निर्णय न केवल गलत था, बल्कि अत्यधिक विकृत था, जो बेतुकेपन के स्तर तक पहुंच गया था। एस. एल. एस. सी. का दृष्टिकोण नहीं हो सकता है किसी भी दृष्टिकोण या किसी भी कोण से मामले के संभावित दृष्टिकोण के रूप में माना जाता है।

24.2 . उपरोक्त के अलावा, भले ही यह तर्क के लिए माना जाए कि लागू प्रावधानों में कोई अस्पष्टता थी

आर. आई. पी. एस.-2003 या बी. आई. डी. आई. के निर्णय पर हमारा स्पष्ट मत है कि ऐसी किसी भी अस्पष्टता का लाभ अपीलार्थी कंपनी को नहीं दिया जा सकता था। यदि कोई अस्पष्टता होती, तो उसका लाभ केवल इस साधारण कारण से राजस्व के पक्ष में जाता कि विचाराधीन प्रावधानों के तहत, राज्य अपने राजस्व के एक हिस्से को देने के लिए प्रोत्साहन के रूप में सहमत हुआ था। जहां तक उनकी प्रयोज्यता का संबंध है, ऐसे प्रावधान, चाहे वे क़ानून में हों या गैर-वैधानिक दस्तावेज़ में, अपनी प्रकृति से सख्त व्याख्या के अधीन हैं। दिलीप कुमार एंड कंपनी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के साथ इस संबंध में कानून के सिद्धांत अच्छी तरह से तय किए गए हैं। हाल ही में, रामनाथ एंड कंपनी बनाम के मामले में। आयकर आयुक्तः आयकर अधिनियम, 1961-30 की धारा 80-ओ में निहित प्रोत्साहन प्रावधान पर विचार करते हुए, 2020 की सिविल अपील Nos.2506-2509 ने 05.06.2020 पर निर्णय लिया, इस न्यायालय ने दिलीप कुमार एंड कंपनी में निर्धारित सिद्धांतों पर ध्यान दिया है और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः

" 17.3 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और कई अन्य फैसलों के संदर्भ में, दिलीप कुमार एंड कंपनी में, संविधान पीठ ने संक्षेप में कहा इन सिद्धांतों को निम्नानुसार बनाएँः

30 इसके बाद '1961 का अधिनियम' के रूप में संदर्भित एम/एस।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

" 66. संक्षेप में, हम संदर्भ धारण का उत्तर इस प्रकार देते हैं:

66.1 . छूट अधिसूचना की व्याख्या की जानी चाहिए।

सख्ती से; प्रयोज्यता साबित करने का बोझ होगा निर्धारिती को यह दिखाने के लिए कि उसका मामला मापदंडों के भीतर आता है

छूट खंड या छूट अधिसूचना।

66.2 . जब छूट अधिसूचना में अस्पष्टता हो

जो सख्त व्याख्या के अधीन है, का लाभ

ऐसी अस्पष्टता का विषय द्वारा दावा नहीं किया जा सकता है /

निर्धारिती और इसकी व्याख्या इसके पक्ष में की जानी चाहिए राजस्व। 66.3 . सन एक्सपोर्ट के मामले में अनुपात सही नहीं है

और सभी निर्णय जिन्होंने सूर्य के समान दृष्टिकोण अपनाया

निर्यात मामला खारिज कर दिया गया है "।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

17.4 . जाहिर है, सन एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (ऊपर) के मामले में और अन्य मामलों में भी सामान्यीकृत, बल्कि व्यापक प्रस्ताव कहा गया है। ऐसे मामले जिनमें कराधान के मामलों में, जब दो विचार संभव हों, तो निर्धारिती के लिए अनुकूल विचार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

दिलीप कुमार में संविधान पीठ द्वारा विशेष रूप से अस्वीकृत

& कं. (ऊपर)। संविधान पीठ द्वारा यह अनिश्चित शब्दों में निर्धारित किया गया है कि छूट अधिसूचना की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए; इसकी प्रयोज्यता साबित करने का बोझ निर्धारिती पर है; और किसी भी अस्पष्टता के मामले में, विषय/निर्धारिती द्वारा इसके लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसकी व्याख्या राजस्व के पक्ष में की जाएगी।

***

***

19. विभिन्न प्रोत्साहनों से संबंधित विविध प्रावधानों पर अनावश्यक रूप से विस्तार किए बिना, यह ध्यान रखना पर्याप्त होगा कि प्रोत्साहन प्रावधानों को "उदार व्याख्या" प्राप्त होनी चाहिए या यह कहना कि निर्धारिती को राहत देने के पक्ष में झुकना इस न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया दृष्टिकोण नहीं है। छूट अधिसूचना के संबंध में संविधान पीठ द्वारा घोषित कानून, वास्तव में, कर लगाने वाले कानूनों में किसी भी समान प्रस्ताव की व्याख्या और अनुप्रयोग पर लागू होगा।

छूट, कटौती, छूट आदि। , जो सभी अनिवार्य रूप से सरकार द्वारा उकसाने के लिए दिए गए कर प्रोत्साहन का रूप हैं या

किसी विशेष गतिविधि को प्रोत्साहित या समर्थन करें।

24.3 . उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थी की ओर से विवाद

मामले में किसी भी अस्पष्टता के अस्तित्व के बारे में और अस्पष्टता का लाभ अपने तक बढ़ाने के बारे में केवल अस्वीकार किया जा सकता है और किया जाता है।

समकालीन प्रदर्शनी का सिद्धांतः यदि लागू होता है?

25. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि एस. एल. एस. सी. की अभिलेख की समझ और तथ्यात्मक है।

समकालीन प्रदर्शनी के सिद्धांत पर स्थिति को स्वीकार किया जाना चाहिए। हमारे विचार में, न तो इस सिद्धांत को वर्तमान मामले में लागू किया जा सकता है और न ही इससे संबंधित सिद्धांतों को लागू किया जा सकता है।

25.1 . संदर्भित सिद्धांत उक्ति में सन्निहित है

' समकालीन प्रदर्शनी इस में इष्टतम और दुर्भाग्यपूर्ण है 'जो

इसका मतलब है कि किसी दस्तावेज़ को समझने का सबसे अच्छा तरीका इसे पढ़ना है जैसा कि इसे बनाए जाने पर पढ़ा गया होगा। इस सिद्धांत को इसके द्वारा संक्षिप्त रूप से समझाया गया है

देशबंधु गुप्ता बनाम के मामले में न्यायालय। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड : ए. आई. आर. 1979 एस. सी. 1049 निम्नलिखित शब्दों में (पी.

1054) :

प्रशासनिक या कार्यकारी अधिकारियों द्वारा नियुक्त एक कानून को लागू करना) आम तौर पर इसे पलटने से पहले स्पष्ट रूप से गलत होना चाहिए; ऐसा निर्माण, जिसे आमतौर पर व्यावहारिक निर्माण के रूप में जाना जाता है, हालांकि नियंत्रित नहीं है, फिर भी काफी वजन का हकदार है; यह अत्यधिक प्रेरक है। बालेश्वर बगारती बनाम। भागीरथी दास आई. एल. आर. 35 कैल. 713 सिद्धांत, जिसे मथुरा मोहन सना बनाम में दोहराया गया था। राम कुमार साहा आई. एल. आर. 43

कैल। 790 जे. मुखर्जी ने इस प्रकार कहा हैः

यह निर्माण का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अदालतें एक क़ानून का अर्थ लगाने में इसके अधिनियमन के समय और उन लोगों द्वारा की गई व्याख्या को बहुत महत्व देंगी, जिनका कर्तव्य इसका अर्थ लगाना, निष्पादित करना और लागू करना रहा है। मैं एक पल के लिए भी यह सुझाव नहीं देता कि इस तरह की व्याख्या का किसी भी तरह से न्यायालयों पर नियंत्रण प्रभाव पड़ता है; ऐसी व्याख्या, यदि अवसर उत्पन्न होता है, तो ठोस और एम/एस के लिए अवहेलना की जा सकती है।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

प्रेरक कारण, और त्रुटि के एक स्पष्ट मामले में, एक अदालत

बिना किसी हिचकिचाहट के इस तरह के निर्माण का पालन करने से इनकार करते हैं।

25.2 . इस सिद्धांत की कुछ बुनियादी विशेषताएं

समकालीन प्रदर्शनी और इसकी प्रयोज्यता और गैर-प्रयोज्यता,

जैसा कि सिद्धांतों में तय किए गए मामलों के संदर्भ में समझाया गया है

न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह द्वारा वैधानिक व्याख्या भी उपयोगी हो सकती है।

निम्नानुसार निकाला गयाः

" एक कानून के तहत विकसित उपयोग या अभ्यास का संकेत है

समकालीन राय द्वारा इसके शब्दों को दिया गया अर्थ और

उस राज्य में। 34 ..... भले ही अधिनियम से निपटने वाले व्यक्ति इसे एक विशेष तरीके से समझते हों, लेकिन यह न्यायालय को अधिनियम को इसका वास्तविक निर्माण देने से नहीं रोकता है। 3 5. सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

टेलीग्राफ अधिनियम, 188536 और साक्ष्य अधिनियम, 1872.37 इसके अलावा, समकालीन प्राधिकरण से प्राप्त क़ानून की व्याख्या। न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं है और इसकी अवहेलना करनी पड़ सकती है यदि

इस तरह की व्याख्या स्पष्ट रूप से गलत है।

25.3 . वर्तमान उद्देश्य के लिए यह अवलोकन करने के लिए पर्याप्त है कि सार में,

समकालीन एक्सपोज़िशियो के सिद्धांत को एक मार्गदर्शक के रूप में लागू किया जाता है

व्याख्या का उल्लेख करके किसी क़ानून या दस्तावेज़ की व्याख्या

कि उसी ने संबंधित सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त किया था 31 14 संस्करण, पीपी। 375-376

32 ओप्टिमस फली इस समझ में आता है; समकालीन प्रदर्शनी ओप्टिमा और फोर्टिसिमो इन लेज है

33 वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक बनाम। लक्ष्मीनारायण चोपड़ा, ए. आई. आर 1962 एस. सी. 159, पी. 162 : 1962 (3) एससीआर 146

34 राम आधार सिंह बनाम। बंसी, (1987) 2 एस. सी. सी. 482, पी. 485 : ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 987 35 पंजाब ट्रेडर्स बनाम पंजाब राज्य, ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 2300, पी. 2304 : 1991 (1) एस. सी. सी. 86 36 वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक बनाम लक्ष्मीनारायण चोपड़ा, ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 159, पृ. 162 , 163

: 1962 (3) एससीआर 146।

37 राजा राम जयसवाल बनाम। बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 828, पी. 836 : 1964 (2) एससीआर 752 [2020] 7 एस. सी. आर.

समय का बिंदु। यह सिद्धांत टकटकी लगाने के निर्णय के सिद्धांत से भी संबंधित है, जिसके तहत, लंबे समय तक चलने वाली व्याख्या को एक स्थापित कानून माना जाता है और इसे इस तरह से लागू किया जाता है। जहां तक कानून को लागू करने के लिए जिम्मेदार प्रशासनिक या कार्यकारी अधिकारियों द्वारा किए गए समकालीन निर्माण का संबंध है, अदालतें इसे काफी महत्व देने के पक्ष में हैं, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि किसी विशेष प्रशासनिक या निष्पादन प्राधिकरण की समझ हमेशा उचित है और गलत होने पर भी इसे लागू करना होगा। सच्चा सिद्धांत इसके ठीक विपरीत हैः अर्थात्, यदि समकालीन प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई निर्माण स्पष्ट रूप से गलत या त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसकी उपेक्षा की जानी चाहिए।

25.4 . स्पेन्टेक्स इंडस्ट्रीज (उपरोक्त) के मामले में, सवाल यह था कि क्या निर्माता/निर्यातक छूट का हकदार था जब विनिर्मित उत्पाद पर उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाता था और विनिर्मित उत्पाद पर भी उत्पाद शुल्क का भुगतान किया जाता था, जो विनिर्मित उत्पाद में चला गया था और विनिर्मित उत्पाद का निर्यात किया गया था। यह उपरोक्त प्रश्न के संदर्भ में था कि इस न्यायालय ने प्रासंगिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 और उसके तहत अधिसूचना की व्याख्या की प्रक्रिया में,

द्वारा जारी अधिसूचनाओं के संबंध में समकालीन प्रदर्शनी

विचाराधीन नियम को प्रभावी बनाने में सरकार; और यह देखा गया कि जब केंद्र, जिसने नियम बनाए थे और जारी भी किए थे

अधिसूचनाओं में यह राय थी कि उत्पाद शुल्क के दोनों रूपों पर छूट की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके लिए सरकार बाध्य थी। यह निर्णय हाथ में मामले पर भी दूर से लागू नहीं होता है और एस. एल. एस. सी. के गलत निर्णय केवल इसलिए उचित नहीं हैं क्योंकि एस. एल. एस. सी. ने बी. आई. डी. आई. के निर्णय पर गलत निर्माण करने का विकल्प चुना है। तथ्यों पर और वर्तमान मामले की परिस्थितियों में, अपीलार्थी की ओर से समकालीन एक्सपोज़िशियो के सिद्धांत का आह्वान पूरी तरह से अप्रासंगिक है और उस संबंध में दलीलों को केवल खारिज किया जा सकता है।

25.5 . कि समकालीन एक्सपोज़िशियो का सिद्धांत नहीं हो सकता है

यदि इस सिद्धांत को लागू किया जाता है तो वर्तमान प्रकृति के मामले में परिणाम की कल्पना करना भी स्पष्ट होगा। यह खोजना दूर की बात नहीं है कि यदि इस सिद्धांत को लागू किया जाता है, तो परिणाम यह होगा कि चाहे जो भी हो।

कार्यकारी या प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा लिया गया निर्णय गलत हो सकता है, एक बार जब यह कुछ अधिकारियों या अधिकारियों की समझ से निकलता है, तो यह आने वाले सभी समय के लिए जांच से प्रतिरक्षा प्राप्त करेगा। इस सिद्धांत का उद्देश्य कभी ऐसा नहीं रहा है

समकालीन प्रदर्शनी और न ही इस तरह के परिणाम को स्वीकार किया जा सकता है।

एम/एस। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

क्या प्रोमिसरी एस्टोपेल के सिद्धांत लागू होते हैं?

26. अपीलार्थी की ओर से वचन निरसन के सिद्धांतों पर आधारित प्रस्तुतियों की एक और पंक्ति समान रूप से आधारहीन बनी हुई है। में से बेशक, इस तरह के तर्क को खारिज करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा कि

इस सिद्धांत को किसी कानून के खिलाफ लागू नहीं किया जा सकता है, लेकिन साथ ही, उच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट रूप से पाया कि वास्तव में, बी. आई. डी. आई. या एस. एल. एस. सी. द्वारा अपीलार्थी को कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था जैसा कि आरोप लगाया जाना चाहिए।

26.1 . आर. आई. पी. एस.-2003 निश्चित रूप से एक गैर-वैधानिक योजना थी, लेकिन इसके उद्देश्य की प्रकृति को देखते हुए इससे शायद ही कोई फर्क पड़ता है।

योजना जिसके तहत राज्य को अंततः बिक्री कर/वैट की राशि के अपने सेवन को कम करके लाभ का विस्तार करना था और ऐसा सेवन वास्तव में क़ानून द्वारा नियंत्रित होता है। इसके अलावा, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि कभी भी एक सचेत निर्णय लिया गया था। इस स्तर पर या किसी भी स्तर पर कि अपीलार्थी को एस. एल. एस. सी. द्वारा कोई अंतर और लाभप्रद व्यवहार दिया जाना था और सामान्य रूप से स्वीकार्य 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत सब्सिडी की अनुमति दी जानी थी। बी. आई. डी. आई. ने अपीलार्थी को 75 प्रतिशत सब्सिडी देने के लिए एस. एल. एस. सी. को कभी कोई निर्देश जारी नहीं किया। इसने केवल यह निर्देश दिया कि "हाल ही में घोषित सीमेंट पैकेज और आर. आई. पी. एस.-2003

कंपनी पर लागू होता है। जाहिर है, अपीलार्थी के मामले को एस. एल. एस. सी. द्वारा केवल आर. आई. पी. एस.-2003 में निहित लागू प्रावधानों के अनुसार ही निपटाया जाना आवश्यक था। जिन प्रावधानों के तहत अपीलार्थी 75 प्रतिशत तक कर सब्सिडी का लाभ उठा सकता था, अर्थात उक्त उप-प्रावधान

खंड 7 के खंड (vi) और (vii) को 28.04.2006 पर हटा दिया गया था, कंपनी द्वारा 26.04.2006 के लिए आवेदन जमा करने के केवल दो दिन बाद।

इसके तहत लाभ उठाना। कंपनी का बार-बार अनुरोध

इस तरह के विलोपन को वापस लेने और उक्त हटाए गए उपखंडों के तहत लाभ की अनुमति देने के लिए, दिनांक 26.05.2006 के अपने अभ्यावेदन के तहत, कोई सफलता नहीं मिली और बी. आई. पी. के माध्यम से सरकार का एकमात्र जवाब यह था कि कंपनी आर. आई. पी. एस.-2003 में निहित रियायतों के लिए पात्र होगी। यहां तक कि दिनांक 30.11.2007 के समझौता ज्ञापन में भी, राज्य ने जो किया वह केवल प्रचलित नीति के अनुसार अतिरिक्त समर्थन के साथ आर. आई. पी. एस.-2003 के तहत अनुमेय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए था।

उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए एस. एल. एस. सी. इसे बी. आई. डी. आई. को भेज सकता था, लेकिन, अपीलार्थी द्वारा न तो ऐसा कोई आवेदन किया गया था और न ही ऐसा कोई मामला बी. आई. डी. आई. के समक्ष तब तक रखा गया था जब तक कि यह अस्तित्व में नहीं रहा अर्थात 07.06.2009। इस मामले के

समग्र दृष्टिकोण से, यह खोजना मुश्किल है कि किसी भी स्तर पर, राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रतिनिधित्व किया गया था जिसके कारण कंपनी को अपनी स्थिति में बदलाव करना पड़ा।

26.2 . उपरोक्त के अलावा, जब एस. एल. एस. सी. के निर्णय दिनांकित थे

17.03.2011 और 24.04.2011 अनधिकृत साबित होता है और योजना के लागू प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, उनके प्रवर्तन के लिए वचन पत्र के सिद्धांतों को लागू नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, डॉ. अशोक कुमार माहेश्वरी बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय से निम्नलिखित अंश का संदर्भ। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राज्य : (1998) 2 एससीसी 502 पर्याप्त होगाः

" 22. क्या एक वचन रद्द करना, जो एक "वादे" पर आधारित है

कानून के विपरीत लागू किया जा सकता है पहले से ही द्वारा विचार किया गया है

कासिंका ट्रेडिंग बनाम में यह न्यायालय। भारत संघः (1995) 1 एससीसी

274 जैसा कि शाबी कंस्ट्रक्शन कंपनी वी. में भी है। शहर और औद्योगिक

विकास निगम। : (1995) 4 एस. सी. सी. 301 जिसमें यह निर्धारित किया गया है

कि "प्रोमिसरी एस्टोपेल" का नियम लागू नहीं किया जा सकता है

एक "वचन" या एक "घोषणा" के प्रवर्तन के लिए जो

कानून के विपरीत या अधिकार या शक्ति के बाहर है

सरकार या वह व्यक्ति जो यह वादा करता है।

(बोल्ड आपूर्ति में जोर)

26.3 . अन्यथा भी, जब एस. एल. एस. सी. का निर्णय या कोई निर्णय

उस मामले के लिए किसी भी प्राधिकरण का, जो योजना के खंड 13 के संदर्भ में सरकार द्वारा संशोधन के अधीन था, यह सुझाव नहीं दिया जा सकता है कि संशोधन की उक्त शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, वचन निरसन के सिद्धांत सरकार की ऐसी पुनरीक्षण शक्ति के खिलाफ काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए, विवादों का यह हिस्सा भी अस्वीकार किए जाने के योग्य है।

राज्य सरकार द्वारा पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग

खंड 13 के तहत

27. ऊपर बताए गए स्वयं के कारणों के लिए, तर्कों पर आग्रह किया गया

मालाबार औद्योगिक कंपनी (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 13 के तहत संशोधन की शक्ति के प्रयोग के खिलाफ अपीलार्थी की ओर से तथ्य पूरी तरह से रहित साबित होता है।

27.1 . मालाबार औद्योगिक कंपनी (ऊपर) में, इस न्यायालय का अर्थ था -

1961 के अधिनियम की धारा 263 जिसमें भी, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा संशोधन की शक्ति के प्रयोग का आधार आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 13 के समान है, लेकिन थोड़ा अंतर के साथ। 1961 के अधिनियम की धारा 263 के तहत, संबंधित आयुक्त संशोधन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, यदि वह मानता है कि निर्धारण मेसर्स द्वारा पारित आदेश।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अधिकारी गलत है क्योंकि यह हितों के लिए प्रतिकूल है।

राजस्व 'जबकि आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 13 में, ऐसी शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा वित्त विभाग में किसी भी जांच समिति द्वारा पारित आदेश के संबंध में किया जा सकता है' जहां भी यह गलत और राज्य राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल पाया जाता है '।

27.1. 1 . उपरोक्त वैधानिक प्रावधान के निर्माण के लिए,

इस न्यायालय ने मालाबार औद्योगिक कंपनी (उपर्युक्त) में कहा कि 'राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल' वाक्यांश को निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के लिए 'त्रुटिपूर्ण' अभिव्यक्ति के साथ पढ़ा जाना चाहिए। वास्तव में, वर्तमान मामले में व्याख्या की ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि दो पहलुओं, यानी 'गलत' और 'राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल' को पहले ही योजना के खंड 13 में संयोजन के साथ कहा जा चुका है। 27.1. 2 . यह भी उल्लेखनीय है कि मालाबार औद्योगिक कंपनी (ऊपर) के मामले में भी, इस न्यायालय ने अंततः, मालाबार औद्योगिक कंपनी (ऊपर) के अधिनियम की धारा 263 (1) के तहत आयुक्त द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को बरकरार रखा।

1961 , विशेष रूप से जब यह पाया गया कि लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी; और मूल्यांकन अधिकारी आवश्यक जांच करने में विफल रहा था, बल्कि यह पाया गया कि प्रश्नगत आदेश मूल्यांकन अधिकारी द्वारा बिना सोचे समझे पारित किया गया था। यह न्यायालय, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित और अभिनिर्धारित करता हैः

आयुक्त सहमत नहीं हैं, इसे राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल एक गलत आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता है जब तक कि आयकर अधिकारी द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून में अस्थिर न हो। इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित राशि नहीं है यदि उसके इस प्रकार के प्रस्ताव पर उसके हाथ में आय के रूप में मूल्यांकन किया जाता है, तो निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे स्वीकार करते हुए पारित आदेश गलत होगा और राजस्व के हितों के लिए प्रतिकूल होगा। (रामप्यारी देवी सरावगी बनाम देखें। सी. आई. टी.: (1868) 67 आईटीआर 84 (एससी) और तारा देवी अग्रवाल बनाम। सी. आई. टी.: (1973) 88 आईटीआर 323.)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

11. तत्काल मामले में, आयुक्त ने नोट किया कि आयकर अधिकारी ने बिना सोचे समझे शून्य मूल्यांकन का आदेश पारित किया। वास्तव में, उच्च न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया कि आयकर अधिकारी सभी परिप्रेक्ष्य में मामले में अपने दिमाग को लागू करने में विफल रहे और उनके द्वारा पारित आदेश गलत था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी कंपनी के बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव को निर्धारण अधिकारी के समक्ष नहीं रखा गया था। इस प्रकार, अपीलार्थी के दावे का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी कि उक्त राशि कृषि आय के नुकसान के लिए मुआवजे का प्रतिनिधित्व करती है। वह.

द्वारा दाखिल खाते के विवरण में प्रविष्टि को स्वीकार किया किसी भी सहायक सामग्री के अभाव में और कोई जांच किए बिना अपीलार्थी। इन तथ्यों पर यह निष्कर्ष निकलता है कि आदेश

आयकर अधिकारी की गलती अप्रतिरोध्य है। इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय ने उचित रूप से अभिनिर्धारित किया है कि धारा के तहत आयुक्त द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग

263 (1) उचित था "।

27.1. 3 . उपरोक्त टिप्पणियाँ और निष्कर्ष, अपीलार्थी के कारण को आगे नहीं बढ़ाते हैं; और यदि कोई भी आवेदन है, तो वे काम करते हैं।

केवल अपीलार्थी के मामले के विरुद्ध।

27.2 . वर्तमान मामले में, जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, प्रारंभिक

एस. एल. एस. सी. का निर्णय पूरी तरह से गलत था और इसे मामले का संभावित दृष्टिकोण नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ, उक्त निर्णय सीधे तौर पर राजस्व के ब्याज के लिए प्रतिकूल था, जहां राज्य के खजाने को प्राप्त या प्राप्य कर राशि का अतिरिक्त 25 प्रतिशत देना था।

अपीलार्थी से। जैसा कि देखा गया है, विद्वान ए. सी. एस. ने योजना के खंड 13 के तहत संशोधन की ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 12.03.2008 का आदेश पारित करते हुए, पूरी सामग्री की सावधानीपूर्वक जांच की है और पक्षों के व्यवहार और योजना के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक निष्कर्ष को दर्ज किया है। योजना के खंड 13 के अनुसार संशोधन की शक्ति का प्रयोग बना हुआ है।

वर्तमान मामले में अक्षम्य।

7 वर्षों के लिए 75 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठाने का प्रभाव

28. अपीलार्थियों की ओर से यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सब्सिडी को पूर्वव्यापी प्रभाव से रद्द या वापस नहीं लिया जा सकता है और

पूरी तरह से लाभ उठाने के बाद। इस तरह के विवाद में इस साधारण कारण से कोई सार नहीं है कि योजना के खंड 13 के उपखंड (बी) में विशेष रूप से एम/एस द्वारा तारीख से पांच साल की अवधि के लिए प्रावधान किया गया है।

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

योजना के तहत किन लाभों का लाभ उठाया जाता है, वह अवधि जिसके भीतर राज्य सरकार द्वारा संशोधन की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। मान लीजिए, वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता कंपनी ने फरवरी 2017 के महीने तक लाभों का लाभ उठाया था और योजना में निर्धारित पांच साल की अवधि के भीतर संशोधन का आदेश 12.03.2018 पर पारित किया गया था। मामले के इस दृष्टिकोण में, बिड़ला जूट एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय जैसे निर्णयों का संदर्भ पूरी तरह से गलत है। निर्दिष्ट निर्णयों में टिप्पणियाँ विचाराधीन योजना की विशिष्ट शर्त से संबंधित नहीं हैं और आगे विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

29. यह भी उल्लेखनीय है कि एस. एल. एस. सी. के दिनांकित 17.03.2011 के निर्णय की शुद्धता पर बुनियादी सवाल वास्तव में सरकार के वित्त विभाग द्वारा अपने दिनांकित पत्र द्वारा उठाए गए थे।

17.11.2011 . जैसा कि देखा गया है, उद्योग विभाग ने असामान्य समय के लिए वित्त विभाग के उक्त संचार और अनुस्मारकों का जवाब नहीं देने का फैसला किया और केवल फरवरी 2017 के महीने में जवाब भेजा। उस समय तक, अपीलार्थी ने व्यावहारिक रूप से पूरा लाभ उठा लिया था एस. एल. एस. सी. के प्रश्नगत निर्णय के तहत लाभ। इसके बाद, एस. एल. एस. सी. ने केवल आई. डी. 1 पर मामले की फिर से जांच की और आर. आई. पी. एस.-2013 के खंड 13 के तहत कार्यवाही करने के लिए इसे वित्त विभाग पर छोड़ दिया। तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए समूह में, यह सुझाव कि पहले से ही लाभ प्राप्त किया जा चुका है, वापस नहीं लिया जा सकता है, खोखला और आधारहीन साबित होता है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा जो कुछ भी प्राप्त किया गया था, उसकी पात्रता से परे, वह केवल एस. एल. एस. सी. के गलत और अनधिकृत निर्णय पर आधारित था। किसी भी मामले में, आर. आई. पी. एस.-2003 के रूप में रियायत का मामला है

रियायत, सार्वजनिक खजाने की कीमत पर अपीलार्थी द्वारा लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और योजना के लिए स्वयं राज्य सरकार में गलत और प्रतिकूल आदेश को संशोधित करने की शक्तियों को सुरक्षित रखने के लिए लाभों का पूरी तरह से लाभ उठाने की तारीख से पांच साल की अवधि के भीतर, ऐसी शक्तियों का राज्य सरकार द्वारा उचित रूप से उपयोग किया गया है।

निर्धारण के लिए प्रमुख बिंदुओं पर सारांश

30. पूर्वगामी चर्चा इस स्पष्ट उत्तर की ओर ले जाती है कि बी. आई. डी. आई. ने अपने दिनांक 1 में कभी भी 75 प्रतिशत सब्सिडी देने का निर्देश नहीं दिया था।

आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के प्रावधान के संदर्भ में अपीलकर्ता कंपनी को और न ही कंपनी को किसी भी अनुकूलित पैकेज की अनुमति दी। रिकॉर्ड की स्थिति स्पष्ट है कि बी. आई. डी. आई. का दिनांकित निर्णय केवल हाल ही में घोषित सीमेंट [2020] 7 एस. सी. आर. की अनुमति देने के लिए था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आर. आई. पी. एस.-2003 की प्रयोज्यता की आवश्यकता के साथ कंपनी को पैकेज 38 भी जोड़ा गया था। इस निर्णय का प्रारंभिक भाग

बी. आई. डी. आई. दिनांक 01.04.2006 और कंपनी की प्रार्थना दिनांक 26.04.2006

आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के उपखंड (vii) के संदर्भ में पंजीकरण के लिए आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के संशोधन और उपखंड (vi) और (vii) को हटाने के साथ <आई. डी. 1 पर निरर्थक हो गया क्योंकि एस. एल. एस. सी. द्वारा कंपनी को सब्सिडी देने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया था। खंड 7 के उक्त उपखंड (vi) और (vii) की शर्तें उस तारीख तक यानी 28.04.2006। इसके अलावा, एस. एल. एस. सी. द्वारा अपने प्रारंभिक निर्णयों में, बी. आई. डी. आई. के निर्णय के आधार पर अपीलार्थी को 75 प्रतिशत सब्सिडी देने के लिए लिया गया दृष्टिकोण, जबकि बी. आई. डी. आई. ने आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 (i) (ए) और 7 (i) (बी) के प्रावधान के तहत ऐसा निर्णय लिया था, पूरी तरह से विकृत था और

अनधिकृत; और मामले का एक संभावित दृष्टिकोण नहीं था। बी. आई. डी. आई. के निर्णय में कोई अस्पष्टता नहीं थी और यदि कोई संदेह या अस्पष्टता थी, तो इसका लाभ अपीलार्थी को नहीं मिल सकता था। अपीलकर्ता कंपनी आर. आई. पी. एस. के तहत सब्सिडी की हकदार थी। 2003 केवल देय और जमा किए गए कर के 50 प्रतिशत की सीमा तक और एस. एल. एस. सी. द्वारा अनुमत 75 प्रतिशत तक नहीं।

30.1 . यह भी स्पष्ट है कि समकालीन एक्सपोज़िशियो का सिद्धांत

न तो इस मामले पर लागू होता है और न ही अपीलार्थी के लाभ पर लागू होता है। प्रोमिसरी एस्टोपल के सिद्धांत समान रूप से लागू नहीं होते हैं और राज्य सरकार ने आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 13 के तहत संशोधन की शक्तियों का उपयोग एस. एल. एस. सी. के गलत फैसलों में हस्तक्षेप करने के लिए किया है, जिसके तहत अपीलार्थी को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी की अनुमति दी गई थी और जो स्पष्ट रूप से राजस्व के हित के लिए प्रतिकूल था और एस. एल. एस. सी. के गलत फैसलों के तहत अपीलार्थी द्वारा केवल लाभों का लाभ उठाना कोई प्रभाव नहीं है, विशेष रूप से जब राज्य सरकार ने आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 13 में निर्धारित समय के भीतर संशोधन की शक्तियों का प्रयोग किया है।

31. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमें उच्च न्यायालय के दिनांकित 11.01.2019 के आदेश की पुष्टि करने और बदले में, जहां तक अतिरिक्त मुख्य सचिव ने अभिनिर्धारित किया है कि अपीलकर्ता कंपनी की कोटपुतली सीमेंट कार्य इकाई दिनांक 12.03.2018 के संशोधन के आदेश में कहा गया है कि

राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा गलत तरीके से जारी किए गए दिनांक 1 और 2 के पात्रता प्रमाणपत्रों के अनुसार, केवल देय और जमा किए गए कर के 50 प्रतिशत की सीमा तक पूंजी निवेश सब्सिडी का हकदार है, न कि 75 प्रतिशत की सीमा तक। एसएलएससी

38 जैसा कि बार-बार देखा गया है, उक्त अभिव्यक्ति 'हाल ही में घोषित सीमेंट पैकेज' केवल आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 7 के उपखंड (vi) और (vii) के लिए संदर्भित है।

एम/एस। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

अपीलकर्ता कंपनी की उक्त कोटपुतली इकाई को कुल कर के 50 प्रतिशत की सीमा तक सब्सिडी के लिए नया पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था और कंपनी को इस राशि को वापस करने का निर्देश दिया गया था।

देय और जमा कर के 50 प्रतिशत से अधिक की सब्सिडी। 31.1 . हालाँकि, दिनांक 12.03.2018 के विवादित आदेश में, अपीलार्थी को ब्याज के साथ इस तरह का धनवापसी करने का भी निर्देश दिया गया था

18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से। जैसा कि यहाँ पहले देखा गया है, भले ही राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत प्राप्त सब्सिडी को वापस लेने के निर्णय को बरकरार रखा जाए,

जिस बिंदु पर अभी भी विचार करने की आवश्यकता है वह यह होगा कि क्या राज्य प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की इस दर से ब्याज की वसूली करना उचित है?

ब्याज का शुल्क

32. वसूली के लिए मांगी गई राशि पर ब्याज लगाने के सवाल पर, अपीलार्थियों की ओर से यह तर्क दिया गया है कि आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 10 का ब्याज लेने का प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं है क्योंकि 25 प्रतिशत सब्सिडी का अनुदान अपीलार्थियों द्वारा किए गए किसी भी चूक के कारण नहीं बल्कि केवल लगभग आठ वर्षों के बाद उत्तरदाताओं द्वारा राय बदलने के कारण रद्द कर दिया गया है। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का कहना है कि यदि लाभ हैं

गलती से प्राप्त होने पर, उसे ब्याज के साथ वापस किया जाना चाहिए ताकि अन्यायपूर्ण संवर्धन से बचा जा सके।

33. यह निर्विवाद है कि आर. आई. पी. एस.-2003 का खंड 10,

योजना के तहत प्राप्त लाभों से जुड़े नियमों और शर्तों में यह परिकल्पना की गई है कि किसी भी शर्त के 'उल्लंघन' से पूंजी निवेश सब्सिडी/छूट राशि उस तारीख से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कर या भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूल की जाएगी, जिस तारीख से पूंजी निवेश सब्सिडी दी जाती है।

प्रदान किया गया था '। यह उत्तरदाताओं का मामला नहीं है कि अपीलार्थी ने योजना के खंड 10 में उल्लिखित किसी भी शर्त का उल्लंघन किया था और सब्सिडी की अत्यधिक राशि (25 प्रतिशत) थी

इस तरह के किसी भी उल्लंघन के कारण वसूली की जा रही है। जैसा कि देखा गया है, अपीलार्थी की 50 प्रतिशत सब्सिडी की पात्रता पर सवाल नहीं उठाया गया है; और केवल सवाल यह था कि क्या अपीलकर्ता कंपनी 75 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठा सकती थी? हालांकि, अपीलार्थी को इस तरह की 75 प्रतिशत सब्सिडी का वितरण केवल गलत निर्णयों के आधार पर किया गया था और

एस. एल. एस. सी. द्वारा जारी दिनांकित 29.04.2011 और 24.11.2011 पात्रता प्रमाण पत्र। 33.1 . यहां तक कि जब एस. एल. एस. सी. के उक्त निर्णय गलत और अमान्य पाए जाते हैं और अपीलकर्ता कंपनी केवल [2020] 7 एस. सी. आर. सब्सिडी की हकदार पाई जाती है।

50 प्रतिशत की सीमा तक, यह नहीं कहा जा सकता है कि अतिरिक्त 25 प्रतिशत अपीलार्थी की ओर से योजना की किसी भी शर्त के उल्लंघन से संबंधित है और न ही अपीलार्थी को किसी भी गलत निरूपण के माध्यम से सब्सिडी की अत्यधिक राशि का लाभ उठाने के लिए कहा जा सकता है। बुनियादी गलती थी गलत निर्णय लेने और दिनांक 29.04.2011 और 24.11.2011 के अनधिकृत पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने में एस. एल. एस. सी. की भूमिका। प्रत्यर्थी राज्य ने अपने अधिकारियों की ओर से गलती का एहसास करने में असामान्य रूप से लंबा समय लिया और पूरे लाभ का लाभ उठाने के बाद ही सुधारात्मक उपाय किए क्योंकि वापस बुलाने की कार्यवाही केवल जुलाई 2017 के महीने में शुरू की गई थी जिसके कारण दिनांक 12.03.2018 का विवादित आदेश आया और फिर, संशोधित पात्रता प्रमाण पत्र केवल 02.04.2018 पर जारी किया गया था।

33.2 . उपरोक्त के अलावा, यह भी देखा गया है कि जब योजना में 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की परिकल्पना की गई थी, तब भी अपीलकर्ताओं द्वारा दायर किए गए प्रपत्र 2 में, अत्यधिक लाभ प्राप्त करने या इसका पालन न करने की स्थिति में सब्सिडी की राशि का भुगतान करने का वचन दिया गया था।

12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ योजना के प्रावधान। दोनों पक्षों ने अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त वचन के संदर्भ में आगे बढ़ना शुरू किया था और इसे उनके बीच अनुबंध की बाध्यकारी अवधि के रूप में माना जाना आवश्यक है। 33.3 . इसलिए, जब 75 प्रतिशत की सब्सिडी का लाभ उठाया जाता है (और इस तरह 25 प्रतिशत से अधिक का लाभ उठाया जाता है) तो इसे किसी भी गलत व्याख्या के लिए संदर्भित नहीं किया जाता है।

अपीलार्थियों द्वारा और अपीलार्थियों द्वारा ऐसे लाभ का लाभ उठाते समय आर. आई. पी. एस.-2003 की किसी भी शर्त के उल्लंघन का कोई आरोप नहीं है, प्रत्यर्थी को आर. आई. पी. एस.-2003 के खंड 10 में निर्धारित दर पर ब्याज की मांग करने का हकदार नहीं ठहराया जा सकता है। हालाँकि, और साथ ही, जब अपीलकर्ता कंपनी ने 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ उठाकर मौद्रिक संदर्भ में अनुचित लाभ प्राप्त किया था; और 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ किसी भी अत्यधिक लाभ को वापस करने का वचन दिया था,

यह देखते हुए कि अपीलकर्ता कंपनी सहमत दर यानी 12 प्रतिशत प्रति वर्ष पर ब्याज के साथ अतिरिक्त राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी रहती है।

33.4 . इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के दिए गए सेट में, इंडिया कार्बन लिमिटेड, जे. के. में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा करें। सिंथेटिक्स लिमिटेड और मारुति वायर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। लि. (उपरोक्त), ब्याज वसूलने के लिए विशेष कर विधियों की योजना से निपटने के लिए, ब्याज की कुल छूट का मामला नहीं बनाता है क्योंकि तथ्य यह है कि अपीलकर्ता कंपनी ने वास्तव में अत्यधिक 25 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठाया था।

39 पैराग्राफ 7.9 में निकाली गई घोषणा को देखें। 2 .

एम/एस। अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड। & एएनआर। वी. राजस्थान और ओआरएस का राज्य। [दिनेश माहेश्वरी, जे।]

गैर-वैधानिक योजना के तहत और इसकी ओर से 12 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ अतिरिक्त राशि वापस करने का स्पष्ट वचन दिया गया था। प्रति वर्ष।

33.5 . यह भी देखा गया है कि अपीलार्थियों की प्रस्तुतियों के अनुसार, निर्णय के बाद राज्य द्वारा अपनाई गई वसूली कार्यवाही के माध्यम से

उच्च न्यायालय की, अतिरिक्त सब्सिडी की पूरी मूल राशि, अर्थात रु। 15,96,37,794 / - पहले ही बरामद किया जा चुका है। इस मामले की परिस्थितियों और प्रासंगिक विशेषताओं की समग्रता में, हमारे विचार में, न्याय का ब्याज तब पूरा होगा जब प्रत्यर्थियों को अपीलकर्ताओं द्वारा अत्यधिक (25 प्रतिशत) सब्सिडी का लाभ उठाने की तारीख से और वसूली/भुगतान तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की अनुमति दी जाती है।

निष्कर्ष 34.

तदनुसार, इस अपील की आंशिक रूप से इस हद तक अनुमति है और

ऊपर बताए गए तरीके से। अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, सरकार द्वारा पारित 12.03.2018 दिनांकित आदेश को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय का दिनांक 11.01.2019 का विवादित आदेश

राजस्थान, जयपुर की पुष्टि की गई है लेकिन इस संशोधन के साथ कि प्रतिवादी अपीलार्थियों द्वारा अत्यधिक सब्सिडी (25 प्रतिशत) का लाभ उठाने की तारीख से भुगतान/वसूली तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की वसूली करने के हकदार होंगे। मामले की परिस्थितियों में, पक्षों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अपील की

आंशिक रूप से अनुमति है।

कल्पना के. त्रिपाठी